

UPFD010067032017



**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।**

उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"

परिवाद सं०-0000111/2017

श्रीमती नेमा देवी पत्नी राजकपूर, निवासी अराँव, थाना सिरसागंज,  
जिला फिरोजाबाद, उम्र 44 वर्ष। ----- परिवादिया।

*बनाम*

1. अजय पुत्र धर्मवीर सिंह,
2. अतुल पुत्र धर्मवीर सिंह,
3. धर्मवीर सिंह पुत्र गरीब दास,
4. नीरज पुत्र धर्मवीर, समस्त निवासीगण अराँव, थाना सिरसागंज,  
जिला फिरोजाबाद। ----- अभियुक्तगण।

धारा-323/149, 354, 504,

506 भा०दं०सं० एवं

धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम

थाना-सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद

**:- निर्णय :-**

1- परिवादिया श्रीमती नेमा देवी द्वारा अभियुक्तगण अजय, अतुल, धर्मवीर सिंह व नीरज के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-323, 504, 506, 354 भा०दं०सं० व धारा 7/8 पोक्सो अधिनियम, न्यायालय में दर्ज परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण नाबालिग पीड़िता के छेड़छाड़ करने से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214, नगेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य फौजदारी अपील (एस०जे०) संख्या-750/2020, निर्णय दिनांकित 21-01-2021, एस रामकृष्ण बनाम

परिवाद सं०-0000111/2017, श्रीमती नेमा देवी बनाम अजय आदि, धारा-354, 323, 504, 506  
भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम, थाना-सिरसागंज, जिला फिरोजाबाद।

राज्य (2009) 1 एस० सी० सी० 133 व अन्य एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट और विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध- 2(बी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित करने से निषेधित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (पी) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3- परिवाद पत्र के अनुसार घटनाक्रम इस प्रकार है कि परिवादिया श्रीमती नेमा देवी की पुत्री/पीड़िता (पी) से अभियुक्तगण अजय, अतुल, धर्मवीर, नीरज द्वारा बदनीयति करने का विरोध परिवादिया के पति द्वारा करने पर दिनांक 14-07-2017 को परिवादिया के पति को अभियुक्तगण ने बुरी तरह से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी बावत परिवादिया के पति ने दिनांक 15-07-2017 को अ०सं०-621/2017, धारा-452, 323, 324, 506 भा०दं०सं०, थाना सिरसागंज में पंजीकृत कराया था। मुल्जिमान आर्थिक स्थिति से मजबूत होने के कारण पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही न होने से अभियुक्तगण के हौसले बुलन्द हो गये।

4- परिवादिया के पति आवश्यक कार्य से बाहर रिश्तेदारी में गये थे तथा परिवादिया व उसकी पुत्री/पीड़िता (पी), उम्र करीब 16 साल अपने घर पर बरामदे में सो रही थीं। दिनांक 25-07-2017 को रात करीब 11:00 बजे अजय व अतुल दारु पीकर, तमंचा अन्टी में दबाकर, चुपचाप आकर परिवादिया की पुत्री/पीड़िता (पी) के पास लेट गये और पुत्री की सलवार का नाड़ा खोल कर, नंगी कर, छेड़छाड़ करने लगे। पुत्री की आँख खुल गयीं और देखते ही चीख पड़ी। उसी समय परिवादिया भी जाग गयी। परिवादिया ने चिल्लाया, विरोध किया, तो तमंचा दिखाते व जान से मारने की धमकी देकर देते हुए चुप रहने को कहा और परिवादिया व उसकी पुत्री की मारपीट शुरू कर दी।

5- शोरगुल सुनकर मौके पर अभियुक्तगण धर्मवीर सिंह व नीरज आ गये, जिन्होंने अपने लड़के व भाई का पक्ष लेते हुए परिवादिया और उसकी पुत्री के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया और जबरन बलपूर्वक गुण्डागर्दी से परिवादिया के सोने के कुण्डल तोड़ लिये और कानूनी कार्यवाही करने पर जान से मारने की धमकी देकर, तमंचे से फायर करते हुए भाग गये। परिवादिया चुटैल हालत में अपनी पुत्री व पति के साथ थाना

सिरसागंज गयी, लेकिन थाना पुलिस ने मुकदमा लिखने से मना कर दिया और कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की और चोटों के मेडीकल हेतु मजरूबी चिट्ठी मांगी, तो सीधे अस्पताल जाने को कह दिया। परिवादिया ने दिनांक 28-07-2017 को पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद व थानाध्यक्ष सिरसागंज को शिकायती प्रार्थनापत्र जरिए डाक रजिस्ट्री भेजे, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब परिवादिया न्यायालय की शरण में आई।

6- परिवादिया श्रीमती नेमा देवी ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने आदेश दिनांक 25-08-2017 से परिवाद के रूप में दर्ज करके, आदेश दिनांक 11-01-2018 से अभियुक्तगण अजय, नीरज, अतुल व धर्मवीर सिंह को धारा-323, 504, 506, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु आहूत किया।

7- अभियुक्तगण अजय, नीरज, अतुल व धर्मवीर सिंह, जरिए सम्मन न्यायालय उपस्थित आये। उनको आवश्यक प्रपत्रों की नकलें प्रदान करके दिनांक 17-04-2023 को उनके विरुद्ध अन्तर्गत धारा-323 सपठित धारा-149, 354, 504, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम, आरोप विरचित किये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

8- परिवादिया की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	श्रीमती नेमा देवी (परिवादिया)	प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रदर्श क-1
पी०डब्लू०-2	पीड़िता (पी)	--
पी०डब्लू०-3	राज कपूर (पिता)	--
पी०डब्लू०-4	धर्मेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य	पीड़िता का प्रवेश प्रार्थनापत्र प्रदर्श क-2, एस०आर० रजिस्टर प्रदर्श क-3 व क्रास लिस्ट प्रदर्श क-4

9- पी०डब्लू०-1 परिवादिया श्रीमती नेमा देवी ने कहा कि मेरे साथ मारपीट की घटना धर्मवीर, अजय, अतुल, नीरज ने की

थी। उस मारपीट की घटना में मेरे व मेरे पति को चोटें आयी थीं, जिसका मुकदमा हम दोनों ने दिनांक 15-07-2017 को थाना सिरसागंज में लिखाया था। मेरी लड़की का नाम पीड़िता (पी) है। जिस समय मेरी लड़की के साथ घटना हुई थी, उस समय उसकी उम्र 16 वर्ष थी। मेरी लड़की/पीड़िता (पी) के साथ घटना दिनांक 25-07-2017 को रात 11:00 बजे हुई थी। मेरी लड़की घर के बरामदे में लेटी हुई थी। मैं भी थोड़ी दूरी पर अलग चारपाई पर लेटी हुई थी, तभी शराब पीकर अजय और अतुल आये। अजय तमंचा अन्टी में दबाया था, जो आकर मेरी लड़की के सलवार का नाड़ा खोल कर पुत्री को नंगी कर, गुप्तांग में छेड़छाड़ व उंगली करने लगे।

10- मेरी पुत्री की आँखें खुल गयीं। देखते ही चीख पड़ी। उसी समय मैं भी जाग गयी। मैंने चिल्लाया, तो मुझे तमंचा दिखाकर, जान से मारने की धमकी देकर चुप रहने को कहा। मुझे और मेरी पुत्री को पकड़ कर मारपीट करने लगे। शोरगुल सुनकर मौके पर धर्मवीर सिंह व नीरज आ गये, उन्होंने अपने लड़के व भाई का पक्ष लेते हुए मेरे और मेरी पुत्री के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। जबरन बलपूर्वक गुण्डागर्दी से मेरे सोने के कुण्डल तोड़ ले गये। घटना के समय मेरे पति रिश्तेदारी में थे। वह रिश्तेदारी से सुबह 10:00 बजे घर आये।

11- हम लोग अपनी लड़की व पति के साथ रिपोर्ट लिखाने सिरसागंज करीब 11:00 बजे पहुंचे। थाने में पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा, न हमारी चोटों के संबंध में पुलिस ने मजरूबी चिट्ठी दी, इसलिए मेडीकल नहीं हो पाया। कार्यवाही न होने पर न्यायालय में धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रार्थनापत्र दिया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर व फोटो लगा है। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। घटना के संबंध में मैंने थानाध्यक्ष सिरसागंज व पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को रजिस्ट्री के जरिए प्रार्थनापत्र दिये थे, जिन पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं शिनाख्त करती हूँ, जिनकी रसीद पत्रावली पर क्रमशः कागज संख्या-6 अ/1 व 7 अ/1 उपलब्ध है। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से परिवादपत्र प्रदर्श क-1 को साबित किया है।

12- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (पी) ने कहा है कि घटना दिनांक 25-07-2017 रात 11:00 बजे की है। उस रात अजय व अतुल, जो मेरे पड़ोसी हैं, ने दारू पीकर, तमंचा अंटी में दबाकर, बदनीयती से मेरी सलवार का नाड़ा खोलकर, नंगी कर मेरे गुप्तांग से

छेड़छाड़ शुरू कर दी और मेरी छाती दबा दी। मेरी आँख खुल गयी और मैं चीखने चिल्लाने लगी। बगल में मेरी माँ दूसरी चारपाई पर लेटी थी, वह मेरे पास आकर अजय व अतुल से मारपीट करना शुरू कर दी और मुझे बचाने लगी।

**13-** शोरगुल सुनकर धर्मवीर व नीरज कुमार छत से उतर कर मौके पर आ गये और अजय व अतुल का पक्ष लेते हुए मेरी व मेरी माँ की पिटाई की। मेरी माँ के सोने के कुण्डल छीन लिए और जान से मार देने की धमकी देकर मौके से भाग गये। उक्त घटना से पूर्व मेरे स्कूल में आते जाते समय यह लोग बदनीयती से रास्ते में छेड़छाड़ करते थे, जिसके संबंध में मैंने अपने पिताजी से कहा। मेरे पिताजी ने मुल्जिमों से पूछताछ की तो उन्होंने मेरे पिताजी, मेरी माँ की मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

**14-** उक्त घटना के समय मेरे पिता ने थाना सिरसागंज में मुल्जिमों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया था। घटना दिनांक 25-07-2017 की बावत मैं अपने पिता के साथ थाना सिरसागंज गई तो वहाँ ना तो मेरी कोई एफ०आई०आर० लिखी और ना ही कोई मजरूबी चिड्डी मेडीकल कराने के लिए दी और ना मेरा मेडीकल कराया। उस समय मेरी उम्र 16 वर्ष थी। मैंने कक्षा-10, आदर्श कृष्ण स्मारक इण्टर कालेज, रेशम बाग, अरांव से पास किया था। कक्षा-10 में मेरी जन्मतिथि 05-02-2000 अंकित है।

**15-** पी०डब्लू०-3 राज कपूर ने कहा है कि दिनांक 25-11-2017 की रात मैं घर से बाहर रिश्तेदारी में गया था। फिर कहा कि दिनांक 25-07-2017 की रात मैं घर से बाहर रिश्तेदारी में गया था। घर पर मेरी पत्नी नेमा देवी व मेरी पुत्री/पीड़िता (पी), उम्र 16 वर्ष तथा अन्य छोटे-छोटे बच्चे थे, तभी मौके का फायदा उठाकर अजय, अतुल बदनीयत से शराब पीकर, तमंचा अंटी में दबाकर मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) के पास आकर लेट गये तथा मेरी पुत्री की सलवार व कच्छा उतार कर पुत्री के गुप्तांग से छेड़छाड़ करने लगे तथा उसकी छाती दबाने लगे। मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) की आंख खुल गयी और चिल्लाने लगी, तभी पास में मेरी पत्नी लेटी थी, वह जाग गई और अजय व अतुल से धक्का-मुक्की करने लगी, तो अजय व अतुल मारपीट करने लगे।

**16-** शोरगुल सुनकर मेरे गाँव के पड़ोसी धर्मवीर व नीरज मौके पर आये और वह, अजय व अतुल का पक्ष लेते हुए मेरी पत्नी व पुत्री को मारने लगे तथा मेरी पत्नी के सोने के कुण्डल लूट लिए। उक्त

घटना की जानकारी मुझे जरिए फोन मिली थी। मुझे घटना के बारे में पत्नी व पुत्री/पीड़िता (पी) ने बताया था। घटना के पूर्व से मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) पढने जाती थी, तो रास्ते में मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) के साथ छेड़छाड़ और गलत संबंध बनाने की कोशिश करते थे, तो मेरी पुत्री ने घर आकर मुझसे कहा तो मैं व मेरी पत्नी, मुल्जिमान के घर शिकायत करने गये थे तो उन्होंने गुण्डागर्दी से मुझे व मेरी पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसका मु०अ०सं०-621/2017, धारा-323, 325, 506 भा०दं०सं०, थाना सिरसागंज में मुल्जिमान के खिलाफ लिखवाया था। उसी द्वेष भाव से यह घटना घटित की है। मैं अपनी पुत्री तथा पत्नी को लेकर थाना सिरसागंज रिपोर्ट लिखाने गया था तो पुलिस मुकदमा लिखने का आश्वासन देती रही, लेकिन ना तो मुकदमा लिखा और ना ही मेरी पुत्री का मेडीकल कराया।

**17-** पी०डब्लू०-4 धर्मेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य ने कहा कि मैं, आदर्श कृष्ण स्मारक इण्टर कालेज, रेशम बाग, अराँव, फिरोजाबाद में जुलाई, 2007 से प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हूँ। मेरे सामने पीड़िता (पी) पुत्री राज कपूर, निवासी आजमाबाद अराँव का प्रवेश दिनांक 11-07-2013 को हुआ था। प्रवेश के समय पीड़िता (पी) की जन्मतिथि 05-02-2000 अंकित कराई थी। पीड़िता (पी) का प्रवेश प्रार्थनापत्र भरा गया था। प्रवेश प्रार्थनापत्र व छात्र रजिस्टर की फोटो कॉपी एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद् की क्रास लिस्ट में आज दाखिल कर रहा हूँ। पीड़िता (पी) का मूल प्रार्थनापत्र व एस०आर० रजिस्टर, असल व क्रास लिस्ट असल लेकर आया हूँ, जिनके मिलान करने पर मेरे द्वारा प्रमाणित करके न्यायालय में दाखिल कर रहा हूँ। प्रवेश प्रार्थनापत्र, एस०आर० रजिस्टर व क्रास लिस्ट में पीड़िता (पी) की जन्मतिथि 05-02-2000 अंकित है। साक्षी ने अपने सशपथ बयान से पीड़िता (पी) से संबंधित प्रवेश प्रार्थनापत्र की फोटो प्रति प्रदर्श क-2, एस०आर० रजिस्टर की फोटो प्रति प्रदर्श क-3 एवं क्रास लिस्ट की फोटो प्रति प्रदर्श क-4 को प्रमाणित कर साबित किया है।

**18-** परिवादिनी ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

**19-** परिवादिनी पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 15-12-2023 को अंकित किये गये, जिसमें उन्होंने घटना को गलत

बताया। परिवादिया द्वारा झूठा बयान देना व गलत परिवाद साबित करना कहा। पीड़िता (पी) व राज कपूर द्वारा गलत बयान देना कहा। प्रधानाचार्य द्वारा गलत प्रपत्र दाखिल करना कहा। गवाहन द्वारा उनके विरुद्ध पारिवारिक बंटवारे की रंजिश के कारण गवाही देना एवं गलत तथ्यों के आधार पर झूठा मुकदमा चलना कहा। विशेष कथन में अभियुक्तगण ने कहा कि हमने कोई अपराध नहीं किया है। वे निर्दोष/ बेगुनाह हैं।

**20-** अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू० -1 गंगाधर तिलक व डी०डब्लू०-2 रामसेवक को परीक्षित कराया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में फेहरिस्त 26 ब से, मु०अ०सं०-621/2017 बनाम धर्मवीर, नीरज, अतुल, अजय, अन्तर्गत धारा-452, 323, 324, 506 भा०दं०सं०, थाना सिरसागंज, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि दाखिल की है।

**21-** मैंने, परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री अखलेश सिंह सागर तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दलवीर सिंह तोमर, एडवोकेट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

**22-** उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

**23-** धारा-354 भारतीय दण्ड संहिता - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा, या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह **दोनों में से किसी भाँति** के कारावास से, जिसकी अवधि **एक वर्ष से कम की नहीं** होगी, किन्तु जो **पाँच वर्ष तक** की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और **जुर्माने से भी** दण्डनीय होगा।

**24-** धारा-323 भारतीय दण्ड संहिता - स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड - उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह **दोनों में से किसी भाँति** के कारावास से, जिसकी अवधि **एक वर्ष तक** की हो सकेगी, या **जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक** का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

**25-** धारा-504 भारतीय दण्ड संहिता - लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान - जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह **दोनों में से किसी भाँति** के कारावास से, जिसकी अवधि **दो वर्ष तक** की हो सकेगी, या **जुर्माने से, या दोनों से,** दण्डित किया जाएगा।

**26-** धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता - आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड - जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह **दोनों में से किसी भाँति** के कारावास से, जिसकी अवधि **दो वर्ष तक** की हो सकेगी, या **जुर्माने से, या दोनों से,** दण्डित किया जाएगा।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतीत्व का लांछन लगाने की हो, तो वह **दोनों में से किसी भाँति** के कारावास से, जिसकी अवधि **सात**

वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

**27-** धारा-7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – **लैंगिक हमला** – जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक सम्पर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

**28-** धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – **लैंगिक हमले के लिए दंड** – जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि **तीन वर्ष से** कम की नहीं होगी किन्तु जो **पांच वर्ष तक** की हो सकेगी और **जुमाने से** भी दंडनीय होगा।

### -: निष्कर्ष :-

**29-** अब न्यायालय को यह देखना है कि परिवादिया द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण अजय, नीरज, अतुल व धर्मवीर सिंह के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

**30-** प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण अजय, नीरज, अतुल व धर्मवीर सिंह की भूमिका व संलिप्तता का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य पर आधारित है। अतः परिवादिया साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकन बचाव पक्ष के तर्कों के दृष्टिगत किया जाना है।

**31-** प्रश्नगत अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है। परिवादी पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी कमी का लाभ परिवादी पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट 2012 इस सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है। धारा 29 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियोग प्रारम्भ होने पर अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा किये जाने तथा धारा-30 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

**32-** धारा-29 पोक्सो अधिनियम 2012- कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा

करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

**33- धारा-30 पोक्सो अधिनियम 2012, आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा-**

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस मामले में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनो के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

**स्पष्टीकरण-** इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

**34-** इस प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान आज्ञापक हैं और उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना तथा अभियुक्त की आपराधिक मनः स्थिति की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसे अभियुक्त अपनी साक्ष्य से खण्डित कर सकता है।

**35-** माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुसाउद्दीन अहमद बनाम असम राज्य 2009 (66) ACC 682 सु०को० में यह प्रतिपादित किया है कि यदि पीड़िता के द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान एवं धारा-164 द०प्र०सं० के कथनों में गम्भीर विरोधाभास हो, तो यह परिवादिया के मामले को संदेहास्पद बनाता है। धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयान मौलिक साक्ष्य नहीं है और न ही इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

**-: आयु निर्धारण :-**

**36-** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम - 2012 की धारा-2(घ) में "बालक" को परिभाषित करते हुए यह

व्यवस्था प्रदत्त है कि - "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

37- विधि व्यवस्था जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 (7) एस०सी०सी० 263, गजब सिंह बनाम पंजाब राज्य 2019(2) आर०सी०सी०आर० (क्रि०) 631, ईरा द्वारा मंजुला कृपेन्दडोर्फ बनाम राज्य (दिल्ली एन०सी०टी० सरकार) और अन्य, 2017 (15) एस०सी०सी० 13, चमन खाँ बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य, मनु/उ०प्र०/2952/2019, के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा अधिनियम 2015 के अन्तर्गत बालक की आयु का निर्धारण घटना के समय प्रचलित पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाएगा।

38- यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम-2015, दिनांक 15-01-2016 से लागू हुआ है। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि जब विवाद जन्मतिथि का हो और प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हो तो अधिनियम-2015 उपरोक्त के प्रकाश में धारा-94 में प्रस्तुत व्यवस्था के दृष्टिगत वरीयता, प्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में अन्य प्रमाणपत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम-2015 में प्रथम विद्यालय से निर्गत प्रमाणपत्र को वरीयता दी गयी है, अर्थात् हाईस्कूल से निर्गत प्रमाणपत्र के ऊपर वरीयता प्रथम बार प्रवेश लिए गये विद्यालय के प्रमाणपत्र को दी जायेगी।

39- अभियुक्तगण अजय आदि ने फेहरिस्त 26 ब से अपराध संख्या-621/2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी राजकपूर ने अभियुक्तगण धर्मवीर, नीरज, अजय व अतुल के विरुद्ध थाना सिरसागंज में अन्तर्गत धारा-452, 323, 324, 504 भा०दं०सं० में दर्ज कराई। विवेचक ने उपरोक्त मामले में किस-किस अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र किन-किन धाराओं में दाखिल किया और विचारण न्यायालय द्वारा किस-किस अभियुक्त के विरुद्ध आरोप किस अपराध में, किस दिनांक को बनाए गये और उक्त पत्रावली इस समय किस स्तर पर चल रही है या निर्णीत हो गई, इस संबंध में परिवादिया नेमा देवी ने उक्त मुकदमे से संबंधित कोई अभिलेख अथवा न्यायालय के निर्णय/आदेश आदि की प्रमाणित प्रति इस पत्रावली में दाखिल नहीं की है। स्वीकृत: दोनों मामलों में 11 दिन का

अन्तर होने के कारण एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं।

40- पी०डब्लू०-1 परिवादिया नेमा देवी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रदर्श क-1 में पीड़िता (पी) की आयु 16 वर्ष एवं न्यायालय में दिये सशपथ बयान में भी घटना के समय पीड़िता (पी) की आयु 16 वर्ष बताई है।

41- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (पी) ने बयान धारा-202 दं०प्र०सं० में घटना के समय अपनी उम्र 16 वर्ष अंकित कराई है और न्यायालय में दिनांक 12-05-2023 को बयान देते समय अपनी उम्र 24 वर्ष और घटना के समय अपनी उम्र 16 वर्ष होना कहा है और यह भी कहा कि मैंने कक्षा-10, आदर्श कृष्ण स्मारक इण्टर कालेज, रेशम बाग, अरांव से पास किया था। कक्षा-10 में मेरी जन्मतिथि दिनांक 05-02-2000 अंकित है।

42- पीड़िता (पी) ने जिरह में कहा कि मैं कक्षा-12 पास हूँ। मैंने सन् 2016-17 में पास किया था। हम दो बहन, तीन भाई हैं। पाँचो भाई-बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ। मुझसे छोटा अनिल, उससे छोटा चन्द्र प्रकाश, उससे छोटा रानू और उसके बाद बहन शिवानी 12-13 साल की है। शिवानी हाईस्कूल पास कर चुकी है।

43- पी०डब्लू०-3 राजकपूर ने बयान धारा-202 दं०प्र०सं० में एवं विचारण के दौरान बयान देते समय दिनांक 02-06-2023 को, घटना के समय पीड़िता (पी)की उम्र 16 वर्ष होना कहा है। राजकपूर ने जिरह में कहा कि मेरी शादी को लगभग 28 वर्ष हो गये हैं। मुझे ध्यान नहीं कि मेरी शादी कौन से सन् में हुई थी। मेरी शादी के पाँच साल बाद मेरी पहली सन्तान लड़की/पीड़िता (पी) पैदा हुई थी। मैं, हाईस्कूल फेल हूँ। हाईस्कूल परीक्षा कब दी थी, सन् याद नहीं है। सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिपता है। यह भी जानकारी नहीं है।

44- पी०डब्लू०-4 धर्मेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य, आदर्श कृष्ण स्मारक इण्टर कालेज, रेशम बाग, अराँव, फिरोजाबाद ने कहा कि पीड़िता (पी) ने विद्यालय में दिनांक 11-07-2013 को प्रवेश लिया था। प्रवेश के समय पीड़िता (पी) की जन्मतिथि दिनांक 05-02-2000 अंकित कराई थी। मैंने प्रवेश प्रार्थनापत्र प्रदर्श क-2, एस०आर० रजिस्टर प्रदर्श क-3 एवं क्रास लिस्ट प्रदर्श क-4 की प्रमाणित छायाप्रति दाखिल की हैं, जिनमें पीड़िता (पी) की जन्मतिथि दिनांक 05-02-2000 अंकित है।

45- धर्मेन्द्र ने जिरह में कहा कि प्रवेश के समय जन्मतिथि के संबंध में आदर्श जू०हा०, अरांव की टी०सी० दाखिल की थी, जन्मतिथि प्रमाणपत्र नहीं था। पूर्व विद्यालय के प्रपत्रों को ही जन्मतिथि का प्रमाणपत्र माना था। आदर्श जू०हा०, अरांव द्वारा जारी टी०सी० में जन्मतिथि दिनांक 05-02-2000 अंकित होने के कारण हमारे कालेज के अभिलेखों में और बोर्ड की क्रास लिस्ट में पीड़िता (पी) की जन्मतिथि दिनांक 05-02-2000 अंकित की गई है। मैं यह नहीं बता सकता कि पीड़िता (पी) की पूर्व विद्यालय द्वारा जारी टी०सी० में जो जन्मतिथि दर्शाई गई है, वह सही है या गलत है।

46- अभियुक्तगण अजय, अतुल, नीरज व धर्मवीर सिंह ने बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० में परिवाद कथन, परिवादिया, पीड़िता (पी) और उसके पिता राजकपूर द्वारा पीड़िता (पी) की उम्र घटना के समय 16 वर्ष होने की बावत गलत बयान देना कहा है।

47- अभियुक्तगण अजय आदि ने सफाई साक्ष्य में डी० डब्लू०-1 गंगाधर तिलक एवं डी०डब्लू०-2 रामसेवक को परीक्षित कराया है, जिन्होंने घटना के समय पीड़िता (पी) की आयु के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण अजय आदि ने पीड़िता (पी) की आयु/शिक्षा/जन्मतिथि के संबंध में पत्रावली में कोई ऐसा साक्ष्य दाखिल नहीं किया है, जिससे परिवाद कथानक में संदेह उत्पन्न हो।

48- पीड़िता (पी) की आयु का निर्धारण किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 लागू है जिसके अन्तर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 बनाये गये हैं, जिसके नियम 54(18) (IV) के अनुसार पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

49- आयु के निर्धारण के लिए धारा 94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 में व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार आयु का निर्धारण करने के लिए निम्न

प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

50- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार पीड़िता (पी) की आयु का निर्धारण प्रथमतः शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मान्य होगा।

51- उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि परिवादिया नेमा देवी, पीड़िता (पी) एवं उसके पिता राजकपूर, तथ्य के उपरोक्त तीनों साक्षियों ने पीड़िता (पी) की जन्मतिथि दिनांक 05-02-2000 होना बताया है और घटना के समय पीड़िता (पी) की उम्र 16 वर्ष होना कहा है, जिसका समर्थन आदर्श कृष्ण स्मारक इण्टर कालेज, रेशम बाग, अरांव के प्रधानाचार्य धर्मेन्द्र सिंह ने पीड़िता (पी) का प्रवेश फार्म प्रदर्श क-2, एस०आर० रजिस्टर प्रदर्श क-3 एवं क्रास लिस्ट प्रदर्श क-4 को अपनी साक्ष्य से साबित करते हुए पीड़िता (पी) की जन्मतिथि दिनांक 05-02-2000 होना साबित किया है, जिसके अनुसार घटना दिनांक 25-07-2017 को पीड़िता (पी) 17 वर्ष, 05 माह, 20 दिन की थी।

52- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार शैक्षिक प्रपत्र, अन्य साक्ष्य पर अधिशासी प्रभाव रखते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि पीड़िता (पी) घटना के समय पूर्णतः नाबालिग थी और अपना अच्छा बुरा सोचने-समझने में सक्षम नहीं थी। अभियुक्तगण अजय आदि ने घटना के समय पीड़िता (पी) की आयु/जन्मतिथि/शिक्षा के खण्डन में कोई साक्ष्य पत्रावली में दाखिल नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि पीड़िता (पी) घटना दिनांक 25-07-2017 को बालिग थी।

53- उपरोक्त विवेचन अनुसार घटना दिनांक 25-07-2017 को पीड़िता (पी) की आयु/जन्मतिथि दिनांक 05-02-2000 के अनुसार, केवल प्रस्तुत मामले के लिए पीड़िता (पी) की

आयु 17 वर्ष, 05 माह, 20 दिन, नाबालिग निर्धारित की जाती है।

### -: आरोपित अपराध का विवेचन :-

54- प्रस्तुत मामला धारा-156(3) दं०प्र०सं० के प्रार्थनापत्र के आधार पर न्यायालय के आदेश से अभियुक्तगण अजय, अतुल, धर्मवीर सिंह व नीरज के विरुद्ध दिनांक 25-08-2017 को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया और उपरोक्त अभियुक्तगण को धारा-323, 504, 506, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में आदेश दिनांक 11-01-2018 से विचारण हेतु आहूत किया।

55- पी०डब्लू०-1 परिवादिनी नेमा देवी ने अपने परिवाद में कहा कि विपक्षीगण उसकी पुत्री/पीड़िता (पी) से बदनीयती रखते हैं और इसी कारण उसके पति के विरोध करने पर विपक्षीगण ने उसके पति को दिनांक 14-07-2017 को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया था, तो परिवादिया के पति ने अपराध संख्या-621/2017, अन्तर्गत धारा-452, 323, 324, 506 भा०दं०सं०, थाना सिरसागंज में पंजीकृत कराया था, जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है, परन्तु उक्त अपराध से संबंधित कोई भी अभिलेख पत्रावली में दाखिल नहीं किया है।

56- नेमा देवी ने परिवाद प्रदर्श क-1 के कथन का समर्थन करते हुए न्यायालय में दिये बयान में कहा कि घटना दिनांक 25-07-2017 को रात 11:00 बजे मेरी लड़की/पीड़िता (पी) घर के बरामदे में लेटी हुई थी। मैं भी थोड़ी दूर पर अलग चारपाई पर लेटी हुई थी। तभी शराब पीकर अजय और अतुल आए। अजय ने अन्टी में तमंचा दबाया था, चुपचाप मेरी लड़की के साथ आकर लेट गये। मेरी पुत्री के सलवार का नाड़ा खोलकर, नंगी कर गुप्तांग में छेड़छाड़ व उंगली करने लगे। मेरी पुत्री की आँखें खुल गईं और चीख पड़ी। उसी समय मैं जाग गयी। मैंने चिल्लाया, विरोध किया, तो मुझे तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। मुझे और मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) को पकड़ कर मारपीट करने लगे।

57- शोरगुल सुनकर मौके पर धर्मवीर और नीरज आ गये। उन्होंने अपने लड़के और भाई का पक्ष लेते हुए मेरी व मेरी पुत्री के साथ और मारपीट की, जिससे हम लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये। जबरन बलपूर्वक गुण्डागर्दी से मेरे सोने के कुण्डल तोड़ ले गये।

मेरे पति रिश्तेदारी से दूसरे दिन सुबह 10:00 बजे घर आए थे। हम लोग अपनी लड़की व पति के साथ रिपोर्ट लिखाने करीब 11:00 बजे थाना सिरसागंज पहुंचे। थाने में पुलिस ने मुकदमा नहीं लिखा और न हमारी चोटों के संबंध में पुलिस ने मजरूबी चिट्ठी दी, इसलिए मेडीकल नहीं हो सका।

**58-** नेमा देवी ने जिरह में कहा कि मेरे पति राजकपूर तीन भाई हैं। 1. धर्मवीर, 2. महावीर, 3. राजकपूर। अजय, अतुल व नीरज मेरे जेठ के लड़के हैं और मेरे सगे भतीजे हैं। इस रिश्ते वाली बात मैंने अपने दावे में नहीं लिखाई है। महावीर सिंह मेरे जेठ हैं, जो विकलांग हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, वह मेरे साथ ही रहते हैं। जिस मकान में मैं रहती हूँ, वह दो मंजिला मकान है। मैं और मेरा परिवार व मेरे जेठ महावीर सिंह नीचे रहते हैं। नीचे चार कमरे बने हैं।

**59-** ऊपर दो कमरे बने हैं। ऊपर धर्मवीर और उनका परिवार रहता है। धर्मवीर के परिवार में, धर्मवीर, उनकी पत्नी और चारो लड़के रहते हैं। घटना के समय तीन लड़कों की शादी हो गयी थी, अतुल की शादी नहीं हुई थी। अराँव में पुलिस चौकी है, जो मेरे घर से, एक घर छोड़कर है। पुलिस चौकी रोड़ पर है और मेरा घर भी रोड़ पर है। दिनांक 06-09-2017 को मैंने अपने जेठ महावीर सिंह के हिस्से की खेती का दानपत्र लिखवा लिया है। घटना के संबंध में पुलिस को मैंने लिखित तहरीर दी थी।

**60-** मैंने अपने दावे में यह लिखाया है कि अजय, अतुल, नीरज, धर्मवीर मेरे गाँव के हैं। मैंने अपने बयान धारा-200 दं०प्र०सं० तथा दावे में अतुल, अजय, नीरज मेरे सगे जेठ के लड़के हैं व धर्मवीर मेरा सगा जेठ है, यह नहीं लिखाया है, क्योंकि रिश्ते का कोई मतलब नहीं था।

**61-** मैंने उपरोक्त लोगों के खिलाफ अपराध संख्या - 621/2017, धारा-452, 323, 324, 506 भा०दं०सं० में लिखाया था, क्योंकि मेरी मारपीट हुई थी, इसलिए मैंने यह मुकदमा लिखाया था। मैं और उपरोक्त मुल्जिमान एक ही मकान में रहते हैं। मुल्जिमान का निकास, आना-जाना मेरे घर में से ही है।

**62-** मैं और बेटी अलग-अलग चारपाई पर खुले बरामदे में सो रहे थे। मेरी बेटी की चारपाई से, मेरी चारपाई एक हाथ दूर थी। उक्त घटना कारित होने में करीब 5 मिनट का समय लगा था। मैंने व मेरी पुत्री ने शोर मचाया था, तो मौहल्ले का कोई व्यक्ति नहीं आया था, केवल यही चारो लोग आये थे, जबकि अजय व अतुल को तो

पीड़िता (पी) के साथ छेड़छाड़ करना कहा है। उस समय धर्मवीर व नीरज घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। घटना के समय अजय की पत्नी नहीं थी, लेकिन धर्मवीर की पत्नी, नीरज की पत्नी, अरविन्द की पत्नी और सभी बच्चे घर पर थे। जिस मकान में, मैं रह रही हूँ, उस मकान के ऊपरी मंजिल पर यह सब लोग थे। मेरे शोर मचाने पर महिलाएं व बच्चे घटना स्थल पर नहीं आए थे।

63- फायर एक ही हुआ था। तमंचा अजय व अतुल के हाथ में था। फायर किसने किया था, यह मैंने देख नहीं पाया था। फायर की आवाज खूब तेज हुई थी। वह फायर तमंचे से ही हुआ होगा, या उन्होंने बम चलाई। फायर आवाज सुनकर, घर के पास पुलिस चौकी है, वहाँ से कोई सिपाही, दरोगा नहीं आए थे। फायर की आवाज सुनकर मौहल्ले का कोई व्यक्ति भी नहीं आया था। इस घटना के बाद मैं पुलिस चौकी गई थी। पुलिस चौकी पर सिपाही और दरोगा जी मिले थे, वह मेरे घर नहीं आए। मैंने घटना के संबंध में सारी बताई व फायर होने की बात बताई, तो उस सिपाही ने कहा कि हमने तो इस तरह की कोई बात नहीं सुनी और न फायर होने की बात सुनी है। मैंने घटना के संबंध में मौहल्ले के किसी व्यक्ति से नहीं कहा था। मेरे पति जब आ गए थे, तब पति को बताया था। थाने में अपने पति व अपनी बेटी को लेकर 11:00 बजे गई थी और 01:00 बजे वापस चली आई थी।

64- नेमा देवी ने स्वीकार किया कि घटना का शोर शराबा व तमंचे की तेज आवाज सुनकर मौहल्ले के लोग व पुलिस चौकी से, पुलिस नहीं आई थी। नेमा देवी ने अभियुक्तगण के इस सुझाव से इन्कार किया कि मेरे जेठ धर्मवीर व मुझमें सम्पत्ति को लेकर विवाद हो, इसलिए आज मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रही हूँ।

65- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (पी) ने परिवाद कथन एवं अपनी नेमा देवी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि घटना दिनांक 25-07-2017, रात 11:00 बजे की है। उस रात अजय व अतुल, जो मेरे पड़ोसी हैं, दारू पीकर, तमंचा अन्टी में दबाकर, बदनीयती से मेरी सलवार का नाड़ा खोलकर, नंगी कर, मेरे गुप्तांग से छेड़छाड़ शुरू कर दी और मेरी छाती दबा दी। मेरी आँख खुल गई और मेरे चिल्लाने पर बगल में दूसरी चारपाई पर लेटी हुई मेरी माँ ने पास आकर अजय व अतुल से मारपीट करना शुरू कर दी और मुझे बचाने लगी। शोरगुल सुनकर धर्मवीर व नीरज, ऊपर छत से उतर कर घटना स्थल पर आ गए। उन्होंने मेरी व मेरी माँ की पिटाई की

और माँ के सोने के कुण्डल छीन लिए और जान से मारने की धमकी देकर भाग गये।

**66-** उक्त घटना से पूर्व मेरे स्कूल में आते-जाते समय यह लोग बदनीयती से रास्ते में छेड़छाड़ करते थे, जिसकी शिकायत मैंने अपने पिताजी से की, तो पिताजी ने मुल्जिमानों से पूछताछ की तो उन्होंने मेरे पिताजी, मेरी माँ को मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया। थाने पर मेरी कोई एफ०आई०आर० नहीं लिखी गई और ना ही मेडीकल कराया गया।

**67-** पीड़िता (पी) ने जिरह में कहा कि धर्मवीर, अजय, अतुल व नीरज मेरे पड़ोसी हैं और मेरे ताऊ व ताऊ के लड़के हैं। यह मेरे ताऊ व ताऊ के लड़के रिश्ते में लगते हैं, सगे नहीं हैं। जब मैं स्कूल आती-जाती थी, तब यह मुझसे रास्ते में छेड़छाड़ करते थे। छेड़छाड़ की घटना इन लोगों ने दो-तीन बार की थी। परिवादिनी ने इस आशय की कोई साक्ष्य पत्रावलित नहीं की है। मेरे घर से एक घर छोड़कर पास में ही पुलिस चौकी है। मैंने पुलिस चौकी पर शिकायत की थी, परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। थाना सिरसागंज में भी शिकायत की थी। ना तो मेरी एफ०आई०आर० लिखी गयी और ना ही मेरा मेडीकल कराया गया।

**68-** स्कूल आते-जाते समय छेड़छाड़ की घटना में मेरे सीने और तरेट (नाभि से नीचे) में चोट आई थी। इन चोटों से खून नहीं निकला था, लेकिन सूजन आई थी। स्कूल आते-जाते समय छेड़छाड़ की घटना के संबंध में मैंने प्रार्थनापत्र एस०पी० साहब के यहाँ दिया था। वह प्रार्थनापत्र पत्रावली पर दाखिल है या नहीं, नहीं मालूम। छेड़छाड़ के बारे में मैंने पिताजी को बताया था, तो धर्मवीर व उनके पुत्रों से पूछताछ की थी। इस बात को लेकर इन्होंने पिताजी के साथ मारपीट की थी। मेरे पिताजी ने अपराध संख्या-621/2017 की तहरीर में मेरे साथ हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर हुई मारपीट वाली बात लिखाई है या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

**69-** पीड़िता (पी) ने कहा कि मेरे पिताजी तीन भाई हैं। मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। हिन्दी महीना, क्वार, कार्तिक, चैत्र, बैशाख आदि मैं नहीं जानती, जबकि पीड़िता (पी) ने स्वयं को 10 वी व 12 वी कक्षा तक पढ़ना कहा है। पीड़िता (पी) ने स्वीकार किया कि धर्मवीर, अतुल, अजय व नीरज का घर, मेरे घर के ऊपर छत पर रहते हैं। मेरे पिताजी के एक भाई को मैं जानती हूँ, उनका नाम महावीर है। तीसरे भाई को मैं नहीं जानती। मैं, पिताजी के तीसरे भाई

के लड़कों को भी नहीं जानती हूँ। पीड़िता (पी) का यह कथन अत्यन्त अविश्वसनीय है। महावीर ताऊ की शादी नहीं हुई है। वह मेरे माता-पिता के साथ ही रहते हैं, क्योंकि वह विकलांग हैं, इसलिए मेरे माता-पिता ही खिलाते-पिलाते हैं।

70- घटना के संबंध में मुल्जिमानों ने लगभग एक-दो फायर किए थे, जबकि नेमा देवी ने कहा था कि एक ही फायर हुआ था। फायर की आवाज बहुत तेज हुई थी। फायर मिस नहीं हुआ था। मैंने व मेरी मम्मी ने बहुत शोरगुल किया था। फायर की आवाज मेरी व मेरी मम्मी की चीख पुकार सुनकर मौहल्ले का कोई व्यक्ति नहीं आया था और ना ही पुलिस चौकी से कोई पुलिस कर्मचारी आया।

71- धर्मवीर सिंह मेरे पड़ोसी होने के नाते ताऊ लगते हैं, सगे ताऊ नहीं हैं, फिर कहा कि सगे ताऊ हैं। वर्ष 2017 में घटना के समय ऊपर छत पर दो कमरे बने हुए थे। ऊपर दो कमरों में कौन-कौन रहता है, मुझे जानकारी नहीं है, फिर कहा धर्मवीर का परिवार रहता था। धर्मवीर, नीरज, अजय, अतुल रहते थे, और लोगों की जानकारी मुझे नहीं है। धर्मवीर की लड़कियाँ हैं या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पीड़िता (पी) का कथन अनियमित व संदिग्ध है।

72- पुनः जिरह दिनांक 19-05-2023 को कहा कि वर्ष 2017 में अजय, अतुल, नीरज में से नीरज, अजय की शादी हो चुकी थी। नीरज एवं अजय पर उस समय कितने बच्चे थे, यह ध्यान नहीं। इस समय नीरज पर चार बच्चे और अजय पर दो बच्चे हैं। मेरे ताऊ महावीर सिंह ने अपने हिस्से की खेती का दानपत्र मेरी मम्मी के नाम लिख दिया है, इस बावत मुझे कोई जानकारी नहीं है। मेरे पापा और धर्मवीर के बीच खेती को लेकर कोई विवाद नहीं रहता है। अजय, अतुल, नीरज वैसे तो रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं, परन्तु इन लोगों ने भाई जैसा बरताव नहीं किया, इसलिए मैं इनको भाई नहीं मानती, पड़ोसी मानती हूँ।

73- पीड़िता (पी) ने अभियुक्तगण के इस सुझाव से इन्कार किया कि जिस मकान में हम रहते हैं, उस मकान एवं खेती की जमीन के बंटवारे को लेकर मेरे पापा और धर्मवीर के बीच कोई विवाद हो और इसीलिए मैंने मम्मी-पापा के कहने से झूठा मुकदमा लिखा करा, झूठी गवाही दे रही हूँ।

74- पी०डब्लू०-3 राजकपूर, पीड़िता (पी) के पिता ने नेमा देवी एवं पीड़िता (पी) के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि घटना दिनांक 25-07-2017 की रात मैं घर से बाहर रिश्तेदारी में

गया था। घर पर मेरी पत्नी नेमा देवी और पुत्री/पीड़िता (पी) तथा अन्य छोटे-छोटे बच्चे थे, तभी मौके का फायदा उठाकर अजय, अतुल बदनीयती से शराब पीकर, तमंचा अंटी में दबाकर, मेरी पुत्री के पास आकर लेट गये और उसकी सलवार उतार कर व कच्छा उतार कर पुत्री के गुप्तांग से छेड़छाड़ करने लगे तथा उसकी छाती दबाने लगे। मेरी पुत्री के चिल्लाने पर मेरी पत्नी जग गयी और अजय, अतुल से धक्का-मुक्की करने लगी, तो अजय व अतुल मारपीट करने लगे। शोरगुल सुनकर मेरे गाँव के पड़ोसी धर्मवीर व नीरज मौके पर आये और उन्होंने भी मेरी पत्नी व पुत्री को मारापीटा तथा मेरी पत्नी के सोने के कुण्डल लूट लिए।

75- इस घटना की जानकारी मुझे फोन के जरिए मिली थी। मुझे घटना के बारे में पत्नी व पुत्री/पीड़िता (पी) ने बताया था। घटना से पूर्व मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) पढ़ने जाती थी, तो रास्ते में मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) के साथ छेड़छाड़ करते और गलत संबंध बनाने की कोशिश करते थे। मेरी पुत्री ने घर पर आकर शिकायत की, तो शिकायत करने मेरी पत्नी भी मेरे साथ गयी थी, तो उन्होंने गुण्डागर्दी से मुझे व मेरी पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया, जिसका मु०अ०सं०-621/2017, थाना सिरसागंज में लिखवाया था। उसी द्वेषभाव से यह घटना घटित की है। पुलिस मुकदमा लिखने का आश्वासन देती रही, ना तो मुकदमा लिखा, ना ही मेरी पुत्री का मेडीकल कराया।

76- राजकपूर ने जिरह में कहा कि नीरज, अतुल, अजय व धर्मवीर मेरे गाँव के हैं। मुझे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं की जानकारी नहीं है। सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है, यह मुझे जानकारी नहीं है, मैंने सुना है, जबकि साक्षी ने स्वयं को हाईस्कूल फेल होना कहा है। ऐसी स्थिति में साक्षी द्वारा दिया गया बयान, एक प्रज्ञावान व्यक्ति के समझ के अनुरूप नहीं है। इस साक्षी ने स्वयं को पागल अथवा मानसिक रूप से विकसित होना भी नहीं कहा है, जिससे यह प्रतीत होता है कि साक्षी किसी कारणवश झूठा बयान दे रहा है।

77- मैं और महावीर सिंह, मेरी जानकारी में दो ही भाई हैं, जबकि नेमा देवी एवं पीड़िता (पी) ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उसके पति/पिता तीन भाई हैं, जिनके नाम धर्मवीर, महावीर और राजकपूर हैं, लेकिन राजकपूर ने अपने सगे भाई धर्मवीर का नाम क्यों नहीं बताया, यह स्पष्ट नहीं किया है।

78- नेमा देवी और पीड़िता (पी) की तरह राजकपूर ने भी कहा कि अजय, अतुल स्कूल जाते समय मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते थे और गलत संबंध बनाने की कोशिश करते थे, जबकि नेमा देवी और पीड़िता (पी) ने सभी मुल्जिमान द्वारा स्कूल जाते समय छेड़छाड़ करना कहा है और शिकायत करने पर इन लोगों ने मेरे व मेरी पत्नी के साथ मारपीट की व गुण्डागर्दी की। साक्षी ने विवेचक को दिए बयान में मुल्जिमान द्वारा गुण्डागर्दी करना नहीं कहा। इस शब्द का प्रथम बार प्रयोग न्यायालय में बयान देते समय किया है, जिसका समर्थन तथ्य के अन्य साक्षियों ने नहीं किया है। सभी साक्षियों के कथन इस बिन्दु पर परस्पर विरोधाभासी हैं।

79- राजकपूर ने स्वीकार किया कि लड़की से छेड़छाड़ करने को लेकर मारपीट करने वाली बात मैंने अपनी एफ०आई०आर० में नहीं लिखाई थी। इस तथ्य का समर्थन नेमा देवी और पीड़िता (पी) ने भी अपने बयान में किया है। राजकपूर ने कहा कि मैंने यह बातें बदनामी के कारण नहीं लिखाई थीं। इस बिन्दु पर भी तथ्य के सभी साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है।

80- राजकपूर ने कहा कि मैंने छेड़छाड़ वाली घटना के संबंध में पुलिस थाना सिरसागंज, पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद को स्कूल से आते-जाते समय छेड़छाड़ करने के संबंध में कोई शिकायती प्रार्थनापत्र नहीं दिया था, जबकि नेमा देवी ने कहा कि मेरे पति ने थाने में शिकायत की थी और पीड़िता (पी) ने कहा कि मैंने खुद थाने जाकर और एस०पी०, फिरोजाबाद को प्रार्थनापत्र दिया था, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तीनों साक्षियों के कथनों में, मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाना अथवा एस०पी०, फिरोजाबाद को प्रार्थनापत्र देने के संबंध में परस्पर विरोधाभास है, जो परिवाद कथन को समर्थित नहीं करता है।

81- राजकपूर ने जिरह में स्वीकार किया कि मेरे हिस्से में लगभग साढ़े आठ-पौने नौ बीघा जमीन आती है। महावीर के हिस्से में भी लगभग साढ़े आठ-पौने नौ बीघा जमीन आती थी। मैंने अपने भाई महावीर सिंह के हिस्से की खेती अपनी पत्नी नेमा देवी के नाम दानपत्र, सब रजिस्ट्रार कार्यालय, शिकोहाबाद में लिखाया था। इस तथ्य को परिवादिनी नेमा देवी और पीड़िता (पी) ने भी अपने बयान से समर्थित किया है।

82- राजकपूर ने कहा धर्मवीर सिंह मेरे भाई नहीं हैं, बल्कि मेरे गाँव के हैं, जबकि नेमा देवी एवं पीड़िता (पी) ने अपने बयान में

स्वीकार किया कि मेरे पति/पिता राजकपूर तीन भाई- धर्मवीर, महावीर और राजकपूर हैं। राजकपूर ने असत्य बयान न्यायालय में क्यों दिया, इसको स्पष्ट नहीं किया है।

**83-** धर्मवीर का मकान, मेरे मकान से 60-70 मीटर दूर गंगा की तरफ है। राजकपूर ने धर्मवीर का मकान 60-70 मीटर दूर, गंगा की तरफ होने का कथन पहली बार न्यायालय के समक्ष किया है। राजकपूर के इस कथन का समर्थन परिवादिनी नेमा देवी और पीड़िता (पी) ने नहीं किया है और यह कहा कि अभियुक्त धर्मवीर अपने पुत्रगण अजय, अतुल व नीरज आदि के परिवार के साथ नेमा देवी के घर में प्रथम तल/छत पर बने दो कमरों में रहते हैं। नेमा देवी के अनुसार उनका निकास, आना-जाना मेरे घर में से ही है। परिवादिनी नेमा देवी व पीड़िता (पी) ने राजकपूर के बयान के विपरीत बयान दिया है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है।

**84-** राजकपूर हाईस्कूल फेल है, जिसे दिशाओं का ज्ञान नहीं है और यह भी ज्ञान नहीं है कि सूरज किधर से निकलता है और किधर डूबता है, उस व्यक्ति को यह कैसे मालूम कि गंगा नदी किस दिशा में बह रही है, यह अत्यन्त आश्चर्यजनक तथ्य है, जो साक्षी द्वारा असत्य कहने की क्षमता को प्रदर्शित करता है कि वह सही तथ्य न्यायालय के सामने नहीं कहना चाहता है। इसी कारण तथ्य के तीनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है, जो परिवाद कथानक को समर्थित नहीं करते हैं।

**85-** राजकपूर ने कहा कि घटना वाले दिन मैं मैनपुरी रिश्तेदारी में अपने साले के साढ़ू श्री मोतीलाल के यहाँ गया था। मोतीलाल, मैनपुरी दीवानी के पास भोजपुरा में रहते हैं। घटना की सूचना मुझे सुबह 06:00-07:00 बजे दिनांक 26-07-2017 को फोन द्वारा मिली थी। घटना की सूचना मुझे पत्नी ने मोबाइल नं०-9536544375 पर दी थी। मेरे पास फोन नहीं था। सूचना मेरे साले के साढ़ू के नम्बर पर दी थी, उसका नम्बर नहीं मालूम। मोबाइल फोन पर मेरी बात, मेरी पत्नी से हुई थी। नेमा देवी व पीड़िता (पी) ने कहा कि घटना के दूसरे दिन जब मेरे पति/पिता घर लौटकर आये तो हम दोनों ने घटना की सूचना दी थी, जबकि राजकपूर केवल पत्नी द्वारा साढ़ू के फोन पर सूचना प्राप्त करना कहा है। राजकपूर ने यह भी कहा कि घटना जिस समय घटित हुई थी, उस समय मेरी पत्नी ने घटना की सूचना नहीं दी थी। तीनों साक्षियों के बयानों में, घटना की सूचना राजकपूर तक पहुंचने में परस्पर विरोधाभास है।

**86-** राजकपूर ने यह भी कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे घटना की जानकारी देते समय यह नहीं बताया था कि मेरे साथ लूट हो गयी है, लेकिन लड़की के साथ छेड़खानी वाली बात बताई थी। फिर किस प्रकार राजकपूर ने अपनी पत्नी के कुण्डल मुल्जिमान द्वारा लूटने वाली बात न्यायालय के समक्ष बताई, यह स्पष्ट नहीं है।

**87-** राजकपूर ने कहा कि मुझे नहीं ध्यान है कि अभियुक्तगण ने मेरी बेटी/पीड़िता (पी) के साथ इस घटना से पूर्व कब छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, मुझे वह दिनांक याद नहीं है, जबकि राजकपूर ने स्वयं घटना की एफ०आई०आर० लिखाई है। इस घटना से पूर्व छेड़छाड़ की घटना की शिकायत मैंने किसी पुलिस अधिकारी से नहीं की थी। इसके विपरीत नेमा देवी और पीड़िता (पी) ने कहा कि स्कूल आते-जाते दो-तीन बार मुल्जिमान ने रास्ते में उसे छेड़ा था, जिसकी शिकायत उसने पापा से की थी तो पापा और मम्मी दोनों, मुल्जिमान से शिकायत करने गये थे, तो उन्होंने मारपीट करके उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका मुकदमा अपराध संख्या-621/2017 थाना सिरसागंज में राजकपूर ने दर्ज कराया था।

**88-** अब इस मुकदमे में, पूर्व में मुल्जिमान द्वारा मारपीट व छेड़छाड़ की घटना होने से, स्पष्ट रूप से इन्कार कर रहा है, जबकि नेमा देवी ने प्रस्तुत मामले की घटना का मूल हेतुक, पूर्व में हुई घटना का होना बताया है, जिसका समर्थन पीड़िता (पी) ने अपने बयान से किया है, परन्तु तथ्य के तीनों साक्षियों ने यह स्वीकार किया कि प्रस्तुत घटना, पूर्व में छेड़छाड़ करने की परिणिति के कारण नहीं, बल्कि केवल मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के कारण दर्ज कराई थी। सभी साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है, जो परिवाद कथानक को समर्थित नहीं करती है।

**89-** राजकपूर ने माना कि उसके सामने अभियुक्तगण द्वारा किसी तरह की कोई घटना मेरी पत्नी और पुत्री के साथ कारित नहीं की गयी, अर्थात् राजकपूर घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है, बल्कि अनुश्रुत साक्षी है, जिसका विधि की नजर में साक्षिक मूल्य नगण्य है।

**90-** राजकपूर ने अभियुक्तगण के इस सुझाव से इन्कार किया कि मेरी अभियुक्तगण से रंजिश रही हो, इसलिए झूठी गवाही दे रहा हूँ और मेरी पत्नी व पुत्री के साथ कोई घटना कारित न की गयी हो और गलत वाद दायर किया हो।

**91-** अभियुक्तगण अजय, धर्मवीर, अतुल व नीरज ने बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में घटना की बावत गलत कथन करना कहा। नेमा देवी, पीड़िता (पी) व राजकपूर द्वारा गलत व झूठा बयान देना कहा है। धर्मेन्द्र सिंह द्वारा गलत प्रपत्र साबित करना कहा। गवाहों ने पारिवारिक बंटवारे की रंजिश के कारण विरुद्ध साक्ष्य देना कहा है। गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा चलना कहा। सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू०-1 गंगाधर तिलक एवं डी०डब्लू०-2 राम सेवक को परीक्षित कराया है। विशेष कथन में कहा कि हम निर्दोष हैं। हमने कोई अपराध नहीं किया है।

**92-** सफाई साक्षी डी०डब्लू०-1 गंगाधर तिलक ने कहा नेमा देवी मेरे गाँव की है। नेमा का घर, मेरे घर के ठीक सामने है। नेमा देवी के पति तीन भाई- धर्मवीर, राजकपूर और महावीर हैं। महावीर विकलांग हैं और महावीर के हिस्से की अचल सम्पत्ति अपने नाम नेमा देवी ने करा ली है। अपने जेठ धर्मवीर को, अपने मकान में से निकाल कर, पूरे मकान पर कब्जा करने के लिए धर्मवीर व उसके लड़कों से नेमा देवी आए दिन लड़ती-झगड़ती रहती है।

**93-** मकान के बंटवारे को लेकर काफी समय से नेमा देवी व धर्मवीर के मध्य विवाद चल रहा है, लेकिन नेमा देवी पंचायत की बात नहीं मानती है। दिनांक 25-07-2017 को रात 11:00 बजे कोई घटना नहीं घटी थी। नेमा ने अपने जेठ धर्मवीर व उसके लड़के अजय, अतुल, नीरज के खिलाफ झूठी शिकायत की थी। धर्मवीर के लड़कों अजय, अतुल, नीरज ने किसी तरह की छेड़छाड़ की घटना नहीं की थी और ना नेमा देवी के साथ मारपीट की थी। नेमा देवी अपने मन मुताबिक मकान का बंटवारा कराने के उद्देश्य से धर्मवीर व उसके पुत्रों पर दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा चला रही है।

**94-** गंगाधर ने जिरह में कहा कि मैं आज न्यायालय में सही बात बताने आया हूँ, मैं धर्मवीर की मदद करने नहीं आया। नेमा देवी और अभियुक्तगण अजय, अतुल व नीरज के बीच इस घटना से पहले लड़ाई झगड़ा आपसी बंटवारे के पीछे होता रहता था। मेरा घर, मुल्जिमानों के घर के सामने है। इनमें आपस में बोल-चाल नहीं है। धर्मवीर के चार लड़के और उनकी चार पत्नियां हैं। घर में कुल दस बालिग और बच्चे हैं और नेमा देवी के घर में आठ सदस्य हैं। नेमा देवी आए दिन लड़ाई-झगड़ा करती रहती है, जिससे धर्मवीर मकान से निकल जाए। मुझे जानकारी नहीं है कि धर्मवीर ने नेमा देवी व उसके परिवार के खिलाफ लड़ाई-झगड़ा व मकान से संबंधित थाने पर

मुकदमा किया हो। घटना तो हुई नहीं थी, लड़ाई-झगड़े तो रोजाना होते रहते थे।

**95-** डी०डब्लू०-2 रामसेवक ने कहा कि राजकपूर मेरा सगा भतीजा और नेमा देवी, राजकपूर की पत्नी है। विपक्षी धर्मवीर, नेमा देवी का सगा जेठ है। नेमा देवी और धर्मवीर दोनों का परिवार एक ही है। नेमा देवी के पति तीन भाई - महावीर, धर्मवीर और राजकपूर हैं। महावीर की सम्पत्ति, नेमा देवी ने अपने नाम करा ली है। नेमा देवी, धर्मवीर को अपने मकान से निकालने के लिए आए दिन लड़ाई-झगड़ा करती रहती है। नेमा देवी पूरे मकान पर अकेले कब्जा करना चाहती है। दिनांक 25-07-2017 को रात 11:00 बजे कोई घटना नहीं घटी। नेमा देवी ने धर्मवीर व उसके लड़के अजय, अतुल और नीरज के खिलाफ झूठी शिकायत की थी। छेड़छाड़ की कोई घटना नहीं हुई थी। नेमा देवी उनके खिलाफ झूठा मुकदमा चला रही है।

**96-** रामसेवक ने जिरह में कहा कि मैं अपनी मर्जी से गवाही देने आया हूँ। नेमा देवी के नाम मैं अपनी अचल सम्पत्ति लिखाने तहसील गया था, तारीख याद नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि धर्मवीर ने राजकपूर के खिलाफ कोई मुकदमा थाना या न्यायालय में किया है। नेमा देवी ने धर्मवीर व उसके लड़कों के खिलाफ मुकदमा किया था, यह मुझे जानकारी है। मेरा घर, राजकपूर के घर से 50 कदम की दूरी पर है। राजकपूर जिस मकान में रहते हैं, वह दो मंजिला मकान है।

**97-** तथ्य के तीनों साक्षियों के बयानों में, घटना को लेकर तात्विक विरोधाभास है, जिनके कथनों ने परिवाद कथानक की बुनियाद हिला दी है। **माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुलेश मोण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए०आई०आर० 2007 सुप्रीम कोर्ट 1091** में कहा है कि तुच्छ प्रकृति की असंगति, सुधार एवं लोप मामले की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करते हैं। यह ऐसी सुस्थापित विधि है कि स्वाभाविक गलतियों का परिसाक्ष्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि तात्विक गलतियों की गड़बड़ी प्रभाव डाल सकती है। साक्षियों के कथन में सामान्यतः उतार-चढ़ाव तात्विक त्रुटि नहीं मानी जाती है। **तात्विक त्रुटि सुधार एवं लोप** मामलों में तभी घातक साबित होती हैं, जब उनसे मामले की बुनियाद ही मिट गई हो। तुच्छ विरोधाभास के चलते साक्षीगण का सम्पूर्ण साक्ष्य नकारा नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो सम्पूर्ण घटनाक्रम ही संदिग्ध है।

98- परिवाद पत्रावली में दाखिल प्रलेखीय एवं मौखिक साक्षियों के बयानों से, यह संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि पीड़िता (पी) घटना दिनांक 25-07-2017 को, उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि 05-02-2000 के अनुसार वह मात्र 17 वर्ष, 05 माह, 20 दिन की नाबालिग थी।

99- तथ्य के तीनों साक्षियों ने घटना के समय अभियुक्तगण अजय व अतुल को शराब पिए होना कहा, परन्तु शराब की बावत् कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, केवल कह देने मात्र से अभियुक्तगण शराब पिए थे, यह नहीं माना जाएगा कि अजय व अतुल ने शराब पी थी, जबकि परिवाद कथानक का समर्थन अन्य साक्ष्य से नहीं हो रहा है।

100- परिवादिनी नेमा देवी ने कहा कि मुल्जिमान ने मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने की पूर्व घटना के अनुक्रम में, दबाव बनाने के लिए उनकी पुत्री/पीड़िता (पी) के साथ, जब वह घर पर रात में अकेली चारपाई पर सो रही थी, तब अजय व अतुल आये और उसकी चारपाई पर चुपचाप लेट गये, उसकी सलवार उतारी और उसके गुप्तांग से छेड़छाड़ करने लगे, जिसका समर्थन पीड़िता (पी) ने अपने बयान से किया है। नेमा देवी एक हाथ की दूरी पर अलग चारपाई पर पीड़िता (पी) के पास सो रही थी।

101- पीड़िता (पी) ने कहा कि हम दो बहन, तीन भाई हैं। पाँचो भाई-बहन में मैं सबसे बड़ी हूँ। मुझसे छोटा अनिल, उससे छोटा चन्द्र प्रकाश, उससे छोटा रानू और उसके बाद बहन शिवानी है, जो 12-13 साल की, हाईस्कूल पास कर चुकी है। राजकपूर ने स्वयं को घटना के समय अपने साले के सादू मोतीलाल के यहाँ मैनपुरी जाना कहा और यह कहा कि उसकी पत्नी नेमा देवी और उसकी पुत्री/पीड़िता (पी) घर पर अकेले थे, परन्तु पीड़िता (पी) के भाई अनिल, चन्द्र प्रकाश, रानू और बहन शिवानी तथा मोतीलाल घटना के समय कहाँ पर थे और उन्हें साक्ष्य में परीक्षित क्यों नहीं कराया, इस प्रश्न पर मौन हैं। इस बावत् परिवादिनी नेमा देवी, पीड़िता (पी) और राजकपूर ने भी अपने बयान में कोई कथन नहीं किया है।

102- तथ्य के तीनों साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया कि ताऊ महावीर हमारे साथ ही रह कर खाते पीते थे और उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वह विकलांग भी थे। घटना के समय महावीर कहाँ थे, इस बारे में किसी भी साक्षी ने कोई कथन नहीं किया है और वह

इस घटना के अहम चश्मदीद साक्षी हो सकते थे, जिनको परिवादिनी ने अपने कथन के समर्थन में न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया है।

**103-** नेमा देवी ने अपने पुत्रगण अनिल, चन्द्र प्रकाश, रानू व पुत्री शिवानी को भी परीक्षित नहीं कराया है, जो कि अहम, चश्मदीद साक्षी हो सकते थे। उनके अन्यत्र होने का भी कोई कथन किसी साक्षी ने नहीं किया है।

**104-** नेमा देवी ने कहा कि विपक्षीगण उसकी पुत्री/पीड़िता (पी) से बदनीयती रखते थे, इसी कारण अजय व अतुल शराब पीकर आए और अजय अन्टी में तमंचा दबाकर आए और लड़की के साथ लेट गए और मेरी लड़की के सलवार का नाड़ा खोलकर, नंगी कर गुप्तांग में छेड़छाड़ व उंगली करने लगे। पीड़िता (पी) ने कहा कि अजय, अतुल, जो उसके पड़ोसी हैं, शराब पीकर अजय व अतुल तमंचा अन्टी में दबा कर, सलवार का नाड़ा खोलकर, नंगी कर मेरे गुप्तांग से छेड़छाड़ शुरू कर दी और मेरी छाती दबा दी। नेमा देवी ने अजय को अन्टी में तमंचा दबाकर आना कहा, जबकि पीड़िता (पी) ने अजय व अतुल दोनों की अन्टी में तमंचा दबा होना कहा। दोनों अभियुक्तगण के पास तमंचा होने व फायर करने के संबंध में, दोनों साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है।

**105-** पीड़िता (पी) ने कहा कि अजय व अतुल ने सलवार का नाड़ा खोलकर, नंगी कर मेरे गुप्तांग से छेड़छाड़ शुरू कर दी और नवीन कथन किया कि मेरी छाती दबा दी, जबकि नेमा देवी ने पीड़िता (पी) की छाती दबाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इसके विपरीत राजकपूर ने अपनी पुत्री के साथ अन्य घटना होने के साथ-साथ उसकी छाती अजय व अतुल द्वारा दबाना तथा नवीन तथ्य पीड़िता (पी) का कच्चा उतारना तथा गलत संबंध बनाने की कोशिश करना भी कहा है, जबकि अभियुक्तगण उसके सगे ताऊ व तहेरे भाई हैं, जिसका समर्थन नेमा देवी और पीड़िता (पी) ने अपने बयान में नहीं किया है। तीनों साक्षियों के बयानों में पीड़िता (पी) के साथ छेड़छाड़ करने व गलत संबंध बनाने के तरीके की बावत् किए गये कथनों में परस्पर विरोधाभास है।

**106-** नेमा देवी ने कहा कि वह अपनी पुत्री/पीड़िता (पी) की चारपाई से एक हाथ दूर, अपनी चारपाई पर खुले बरामदे में सो रही थी। अजय व अतुल द्वारा छेड़छाड़ करने पर, पीड़िता (पी) के चिल्लाने पर मौहल्ले का कोई व्यक्ति नहीं आया, लेकिन धर्मवीर और नीरज ऊपर से उतर कर आए, जबकि नेमा देवी ने कहा कि अजय,

अतुल व नीरज मेरे सगे जेठ धर्मवीर के लड़के व सगे भतीजे हैं। रिश्ते वाली बात परिवाद में क्यों नहीं लिखी, इस बारे में नेमा ने कोई कथन नहीं किया है। पीड़िता (पी) ने कहा कि मुल्जिमान स्कूल में आते-जाते मुझसे छेड़छाड़ करते थे। धर्मवीर, अजय, अतुल, नीरज मेरे पड़ोसी हैं। यह मेरे ताऊ व ताऊ के लड़के रिश्ते में लगते हैं, सगे नहीं हैं। इसके विपरीत राजकपूर ने अपने बयान में कहा कि मैं व महावीर ही सगे दो भाई हैं, जबकि नेमा देवी और पीड़िता (पी) ने कहा कि उसके पति/पिता धर्मवीर, महावीर और राजकपूर तीन भाई हैं, जिसका समर्थन सफाई साक्षी गंगाधर तिलक और रामसेवक ने अपने बयान में किया है, फिर राजकपूर ने धर्मवीर को अपना सगा भाई होने से क्यों इन्कार किया, इसका स्पष्टीकरण राजकपूर ने अपने बयान में नहीं किया है। मकान व अचल सम्पत्ति के विवाद के कारण राजकपूर अपने सगे भाई, को भाई एवं नेमा देवी सगे जेठ और भतीजों को पड़ोसी तथा पीड़िता (पी) अपने सगे ताऊ व अपने तहरे भाईयों से अपना भाई का रिश्ता, मानने से इन्कार कर रहे हैं।

**107-** घटना के समय तथ्य के तीनों साक्षियों ने पीड़िता (पी) और नेमा देवी के चिल्लाने पर केवल अभियुक्तगण धर्मवीर और नीरज को मौके पर पहुंचना कहा, जबकि उसी घर में धर्मवीर की पत्नी तथा तीनों लड़कों की पत्नियां तथा बच्चे भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचे और नेमा देवी के खुद के बच्चे तथा जेठ महावीर भी शोर पर नहीं पहुंचे, जो घटना को संदिग्ध बनाती हैं।

**108-** नेमा देवी ने कहा कि मुल्जिमान पुत्री के साथ छेड़छाड़ करते समय उसके सोने के कुण्डल भी लूट कर ले गये, जिसका समर्थन पीड़िता (पी) ने भी अपने बयान में किया है, परन्तु राजकपूर ने स्पष्टतः इन्कार किया कि नेमा देवी ने उसे फोन पर कुण्डल लूट कर ले जाने वाली बात नहीं बताई थी, केवल छेड़छाड़ की घटना बताई थी, उसके बावजूद तथ्य के तीनों साक्षियों ने मुल्जिमान द्वारा कुण्डल लूट कर ले जाना कहा है, परन्तु लूट के अपराध का आरोप विरचित नहीं किया है। यह घटना को स्वतः संदिग्ध बना रहा है।

**109-** नेमा देवी ने बयान में कहा कि मेरे घर से एक घर छोड़ कर पुलिस चौकी अरांव है। पुलिस चौकी और मेरा घर भी रोड़ पर है और यह भी स्वीकार किया कि मेरे तथा मेरी पुत्री/पीड़िता (पी) के चिल्लाने पर, पुलिस चौकी से कोई भी पुलिस कर्मी मौके पर नहीं आया और जब नेमा देवी ने पुलिस चौकी जाकर देखा तो वहाँ दरोगा और सिपाही मिले। सिपाही से पूछने पर उसने बताया कि उसने

चिल्लाने और फायर की कोई आवाज नहीं सुनी। नेमा देवी ने तो यहाँ तक कहा कि उसे नहीं मालूम कि वह फायर की आवाज थी, कि बम चलाया था। इसके विपरीत पीड़िता (पी) ने कहा कि एक-दो फायर हुए थे और कोई फायर मिस नहीं हुआ था। उसके बावजूद किसी पुलिस कर्मी को, जो उनके मकान के बराबर में, पुलिस चौकी में घटना के समय मौजूद थे, फायर अथवा शोरगुल की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी और घटना की कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। सम्पूर्ण कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

**110-** नेमा देवी, राजकपूर व पीड़िता (पी) ने कहा कि इस घटना से पहले भी दो-तीन बार मुल्जिमान, पीड़िता (पी) के साथ स्कूल आते-जाते समय रास्ते में छेड़छाड़ की घटना कारित कर चुके हैं और शिकायत पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था और यह माना कि उक्त मुकदमे में छेड़छाड़ की शिकायत करने के कारण ही मारपीट की घटना हुई थी, लेकिन रिपोर्ट में छेड़छाड़ का उल्लेख नहीं किया था, जबकि तीनों साक्षियों ने माना कि नेमा देवी ने महावीर की जमीन का दानपत्र अपने हक में लिखा लिया है, इसका समर्थन सफाई साक्षी गंगाधर तिलक और रामसेवक ने भी किया है और सम्भवतः यही सम्पूर्ण घटना का मूल आधार रहा है।

**111-** पीड़िता (पी) ने अपने बयान में कहा कि स्कूल आते-जाते समय छेड़छाड़ की घटना में मेरे सीने और तरेट (नाभि से नीचे) में चोट आई थी। इन चोटों से खून नहीं निकला था, लेकिन सूजन आई थी। पीड़िता (पी) के इस कथन का समर्थन नेमा देवी और राजकपूर ने अपने बयान में नहीं किया है। पीड़िता (पी) की कोई आहत आख्या पत्रावली में दाखिल नहीं है, जिससे पीड़िता (पी) के कथन को बल प्राप्त होता। तीनों साक्षियों के कथन में, सीने व तरेट में आई चोटों की बावत परस्पर विरोधाभास है, जिससे परिवाद कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

**112-** नेमा देवी, पीड़िता (पी) और राजकपूर ने कहा कि अजय व अतुल, पीड़िता (पी) की चारपाई पर बदनीयती से लेट कर, उनकी पुत्री/पीड़िता (पी) का नाड़ा खोल कर, नंगी कर, गुप्तांग में छेड़छाड़ व उंगली करने लगे और उसकी छाती दबा दी, परन्तु पीड़िता (पी) के बाह्य व आन्तरिक शरीर की चिकित्सीय परीक्षण आख्या पत्रावली में दाखिल नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि दो जवान, शादीशुदा अभियुक्तों द्वारा नाबालिग लड़की के साथ जबरदस्ती प्रवेशन लैंगिक हमला कारित किया गया, उसके बावजूद

उसके शरीर पर कोई ऐसी चोट नहीं पायी गयी, जिसके कारण उसके घर वाले उसका चिकित्सीय परीक्षण नहीं कराते, ना कि पुलिस के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण कराए जाने का इन्तजार करते। उपरोक्त से परिवाद कथानक अविश्वसनीय प्रतीत होता है।

**113-** नेमा देवी, पीड़िता (पी) और राजकपूर ने घटना के दौरान मुल्जिमान द्वारा गाली गलौज करने का कथन किया है, परन्तु किसी भी साक्षी ने गाली शब्द को अपने बयान में उच्चारित नहीं किया और यह भी नहीं कहा कि किस मुल्जिम ने, किस साक्षी को, कौन-सी गाली दी। इस तथ्य को साबित करने का भार तथ्य के साक्षियों पर था, जिसे साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं।

**114-** नेमा देवी, पीड़िता (पी) और राजकपूर ने घटना के दौरान मुल्जिमान अतुल व अजय द्वारा तमंचों से जान से मारने का कथन किया है, परन्तु तमंचा दोनों में से किस मुल्जिम के पास था, अथवा दोनों के पास था, यह साबित करने में सभी साक्षी असफल रहे हैं। फायर कहाँ लगा तथा खोखा कारतूस भी नेमा देवी ने पत्रावली में दाखिल नहीं किया है, जिससे परिवाद कथानक को बल प्राप्त होता। इसके विपरीत पुलिस चौकी अरॉव के सिपाही ने कहा कि उसने कोई फायर व शोर शराबा की आवाज नहीं सुनी, जबकि पुलिस चौकी, नेमा देवी के घर बगल में स्थित है। नेमा देवी ने माना कि उसने अजय व अतुल को फायर करते हुए अपनी आँखों से नहीं देखा है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण घटनाक्रम ही संदिग्ध प्रतीत होता है।

**115-** यहाँ यह उल्लिखित कर देना भी समीचीन होगा कि परिवादिनी नेमा देवी ने बहस के दौरान अपनी पुत्री/पीड़िता (पी) के साथ छेड़छाड़ करने का मुख्य आधार, परिवादिनी नेमा देवी व उसके पति राजकपूर के साथ इस घटना से 11 दिन पूर्व दिनांक 14-07-2017 को मारपीट करके गम्भीर रूप से घायल कर देने की घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट धर्मवीर, नीरज, अजय व अतुल कुमार के विरुद्ध राजकपूर ने दर्ज कराई थी। तथ्य के तीनों साक्षियों परिवादिनी नेमा देवी, पीड़िता (पी) और राजकपूर ने, अभियुक्तगण धर्मवीर, नीरज, अजय व अतुल के विरुद्ध विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद में मु०अ०सं० -621/2017, सरकार बनाम धर्मवीर आदि, अन्तर्गत धारा-452, 323, 324, 504 भा०दं०सं० चल रहा है अथवा निस्तारित हो चुका है, विचारण न्यायालय ने किस अपराध में, किन-किन अभियुक्तगण को आरोपित किया है, जबकि सभी अभियुक्तगण एक ही घर में निवास करते हैं

और विचारण किस स्तर पर है, इस बावत, इस पत्रावली में, उक्त प्रकरण से संबंधित एफ०आई०आर०, आरोप पत्र, बयान, आदेश/निर्णय आदि की कोई प्रमाणित प्रति दाखिल नहीं की है, जबकि नेमा देवी इसी मुकदमे की वैमनष्टा के कारण अपनी पुत्री/पीड़िता (पी) के साथ अभियुक्तगण द्वारा छेड़छाड़ करना कहकर आई है, जो कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण का हेतुक साबित करने के लिए बेहतर साक्ष्य हो सकता था। नेमा देवी ने पूर्व घटना दिनांक 14-07-2017 के 11 दिन बाद, समान अभियुक्तगण धर्मवीर आदि के विरुद्ध प्रार्थनापत्र धारा-156(3) दं०प्र०सं० प्रस्तुत मुकदमा दर्ज कराया है। दोनों प्रकरणों में केवल दोनों पक्षकार समान हैं, लेकिन घटना का दिनांक, समय व स्थान पूर्णतः भिन्न हैं।

**116-** पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य के विवेचन से न्यायालय इस मत की है कि परिवादिनी द्वारा तथ्य के तीन साक्षी परिवादिनी नेमा देवी, पीड़िता (पी) एवं राजकपूर परीक्षित कराये हैं, जिन्होंने परिवाद कथानक को समर्थित नहीं किया है। शेष साक्षी धर्मेन्द्र सिंह, प्रधानाचार्य, औपचारिक साक्षी है, जिसने अपने द्वारा की गयी कार्यवाही को न्यायालय में आकर अपनी साक्ष्य से साबित किया है। तथ्य के साक्षियों के कथनों में घटना को लेकर गम्भीर अनियमितता एवं विरोधाभास है, जो परिवाद कथानक को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं।

**117-** माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परिवाद कथानक में अनिश्चितता उत्पन्न करना अभियुक्तगण का अधिकार है और उस अनिश्चय को संदेह से परे साबित करना परिवादी पक्ष का दायित्व है। प्रस्तुत प्रकरण में इस दायित्व को, संदेह से परे साबित करने में परिवादी पक्ष पूर्णतः असफल रहा है।

**118-** अतः अभियुक्तगण अजय, अतुल, धर्मवीर सिंह एवं नीरज, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-323/149, 354, 504, 506 भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में दोष मुक्त किए जाने योग्य हैं।

### आदेश

अभियुक्तगण अजय, अतुल, धर्मवीर सिंह एवं नीरज को, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-323/149, 354, 504,

विशेष न्यायालय (पोक्सो अधिनियम)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद। 31

506 भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में, दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण अजय, अतुल, धर्मवीर सिंह एवं नीरज जमानत पर हैं, उनके जमानतनामों एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण अजय, अतुल, धर्मवीर सिंह एवं नीरज, प्रत्येक धारा-437 A दं०प्र०सं० के अनुपालन में रूपया 20,000/- का स्वबन्धपत्र व समान धनराशि की दो-दो प्रतिभू दाखिल करें।

दिनांक: 14-03-2024

(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 14-03-2024

(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

UPFD010060052021



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।  
उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"  
पी०एस०टी० सं०-0001651/2021

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

बनाम

अमन पुत्र श्री अशोक कुमार, उम्र 25 वर्ष, निवासी माता का मौहल्ला,  
कस्बा खैरगढ़, थाना खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद।

----- अभियुक्त।

मु०अ०सं०-49/2021

धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं०,

धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम

थाना-खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद।

-: निर्णय :-

1- अभियुक्त अमन के विरुद्ध थाना खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं०-49/2021, धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप-पत्र प्रदर्शक-9 प्रस्तुत करने पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण पीड़िता के बलात्कार होने से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214, नगेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य फौजदारी अपील (एस०जे०) संख्या-750/2020, निर्णय दिनांकित 21-01-2021, एस रामकृष्ण बनाम राज्य (2009) 1 एस० सी० सी० 133 व अन्य एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट और विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध- 2(बी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित नहीं करने हेतु निर्देशित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (ए) के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

पी०एस०टी० सं०-1651/2021, सरकार बनाम अमन, मु०अ०सं०-49/2021, धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो एक्ट, थाना-खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद।

3- लिखित तहरीर वादी प्रदर्श क-1 के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी सन्तोष कुमार पुत्र कनौजीलाल जाटव, निवासी माता मौहल्ला, खैरगढ़, थाना खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद का रहने वाला है। वादी की पुत्री/पीड़िता (ए), उम्र करीब 16 वर्ष, दिनांक 22/23-04-2021 को सुबह शौच के लिए बाहर गयी थी, को गाँव का अमन कुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी माता मौहल्ला, खैरगढ़, थाना खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद बहला फुसला कर भगा ले गया है। वादी की पुत्री/पीड़िता जब घर वापस लौट कर नहीं आई तो वादी ने काफी खोजबीन की, तब पता चला कि गाँव का अमन कुमार वादी की पुत्री को भगा कर ले गया है, जिस पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ और उसी दिन से अमन कुमार फरार चल रहा है। काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिला।

4- वादी सन्तोष कुमार की लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना खैरगढ़, जिला फिरोजाबाद में दिनांक 30-04-2021 को, समय 13-26 बजे मु०अ०सं०-49/2021 पर धारा-363 भा०दं०सं० के अन्तर्गत अभियुक्त अमन कुमार के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-5 में किया गया।

5- मामले की विवेचना श्री राम किशन, उ०नि० द्वारा की गयी। विवेचक ने वादी, पीड़िता (ए) एवं घटना से सम्बन्धित अन्य गवाहों के बयान अंकित किये। पीड़िता (ए) का चिकित्सीय परीक्षण तथा बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराया। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-8 बनाया और सम्पूर्ण साक्ष्य संकलित कर विवेचना के पश्चात अभियुक्त अमन के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रदर्श क-9 न्यायालय में प्रेषित किया।

6- अभियुक्त अमन को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान करके इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 18-09-2021 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य आहूत किया गया।

7- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	सन्तोष (वादी)	लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 एवं पीड़िता (ए) की प्राप्ति की रसीद प्रदर्श क-2
पी०डब्लू०-2	पीड़िता (ए)	बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-3
पी०डब्लू०-3	कम्प्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 एवं जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क-5
पी०डब्लू०-4	डा० आर० बी० सिंह	पीड़िता (ए) की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-6 एवं आयु संबंधी प्रमाणपत्र प्रदर्श क-7 व एक्सरे प्लेट्स वस्तु प्रदर्श-1, 2
पी०डब्लू०-5	उ०नि० राम किशन (विवेचक)	नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्श क-8 एवं आरोप पत्र प्रदर्श -9
पी०डब्लू०-6	विजय आनन्द गौतम (प्रधानाचार्य)	पीड़िता (ए) के प्रस्थान प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति प्रदर्श क-10

8- पी०डब्लू०-1 वादी सन्तोष ने कहा कि घटना दिनांक 22/23-04-2021 सुबह की है। मेरी पुत्री/पीड़िता (ए), उम्र करीब 16 वर्ष शौच के लिए बाहर गयी थी। मेरे ही गांव का अमन कुमार पुत्र अशोक कुमार, बहला फुसला कर भगा ले गया। मेरी पुत्री/पीड़िता (ए) घटना के समय नाबालिग थी। मेरी पुत्री/पीड़िता (ए) घर वापस नहीं लौटी तो मैंने उसकी काफी खोजबीन की, तब मुझे पता चला कि गांव का अमन कुमार मेरी पुत्री/पीड़िता (ए) को भगा कर ले गया है। घटना की तहरीर मैंने संजय कुमार से बोल-बोल कर लिखाई थी। लिखने के बाद मुझे तहरीर पढ़कर सुनाई थी, उसके बाद मैंने तहरीर पर हस्ताक्षर किए थे। अमन मेरी पुत्री/पीड़िता (ए) को भगा कर ले गया था, तब उसने हरियाणा में ले जाकर मेरी पुत्री/पीड़िता (ए) के साथ जबरन बलात्कार किया था और उसके साथ शादी कर ली थी। मैंने जो तहरीर थाने में दी थी, वह पत्रावली में कागज सं०-3 अ/3 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था और मेरी निशानदेही पर घटना का निरीक्षण किया था। मुझे मेरी पुत्री/पीड़िता (ए) बरामद होने के बाद बाल कल्याण समिति, सुहाग नगर, फिरोजाबाद से सुपुर्दगी में दी गयी थी, जिसकी प्राप्ति रसीद पत्रावली पर कागज सं०-12 ब/2 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इस गवाह ने अपने

सशपथ बयान में तहरीर प्रदर्श क-1 व पीड़िता (ए) की प्राप्ति की रसीद प्रदर्श क-2 को साबित किया है।

9- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (ए) ने कहा कि घटना दिनांक 22-04-2021 सुबह की है। मेरी उम्र घटना के समय साढ़े पन्द्रह वर्ष थी। मैं सुबह घर के बाहर शौच करने गयी थी। रास्ते में मुझे अमन कुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी खैरगढ़, थाना खैरगढ़, फिरोजाबाद मिला व अमन कुमार मुझे बहला फुसला कर ले गया। उसके साथ एक लड़का और था, उसका नाम करतार था। अमन कुमार मुझे मोटर साइकिल पर बैठा कर ले गया था। रास्ते में एक दुकान मिली थी, वहाँ मुझे अमन ने चाय पिलाई थी, उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे, तभी करतार सिंह मोटर साइकिल में पेट्रोल डलवाने चला गया था। अमन मुझे लेकर गया और उसने एक कमरे में ले जाकर मुझे बन्द कर लिया था, तब मेरे साथ कमरे में जबरदस्ती अमन ने बलात्कार किया था। अमन शराब पीकर आता था और बलात्कार करता था। मैंने अमन से पूछा कि तुम मुझे कहाँ ले आये हो, तब अमन ने बताया था कि ये बल्लभगढ़ है। बल्लभगढ़ हरियाणा में है। उसने मेरे साथ शादी नहीं की थी। घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था और मैंने पुलिस को सारी बात बता दी थी। मैं प्राथमिक विद्यालय, खैरगढ़ में पढ़ी थी, जिसका प्रमाण पत्रावली में दाखिल है, जिसमें मेरी जन्मतिथि 10-08-2006 है। मेरा मजिस्ट्रेट साहब के सामने अदालत में बयान हुआ था, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। अमन को मैं पहले से जानती थी, वो मेरे गांव का रहने वाला है। इस गवाह ने अपने सशपथ बयान से अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-3 को साबित किया गया है।

10- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (ए) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा है कि -

*मैं 20 साल की हूँ। मैंने पढ़ाई नहीं करी है। मैं अमन को इसलिए जानती थी, क्योंकि वो मेरा पड़ोसी है। मैं अमन से प्यार करती हूँ। मैंने अमन के साथ हरियाणा में शादी कर ली थी। हरियाणा के एक कोर्ट में शादी करी थी, कौन से कोर्ट में करी थी, यह नहीं पता। मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में अमन का बच्चा है। दिनांक 24-05-2021 को शाम 14:30 बजे मैं प्रतापपुर चौराहे पर अमन के साथ कहीं जाने के लिए खड़ी थी, तभी पुलिस वाले आ गये थे। मैं अपनी मर्जी से गयी थी। मैं अमन के साथ रहना चाहती हूँ। मैं बयान अपनी मर्जी से दे रही हूँ। मुझे और कुछ नहीं कहना है।*

11- पी०डब्लू०-3 कम्प्यूटर ऑपरेटर राहुल कुमार ने कहा है कि दिनांक 30-04-2021 को मैं थाना खैरगढ़ में कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा सन्तोष कुमार पुत्र कनौजीलाल, निवासी व थाना खैरगढ़, फिरोजाबाद की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-49/2021, धारा-363 भा०द०सं० बनाम अमन कुमार पुत्र अशोक कुमार, निवासी खैरगढ़, फिरोजाबाद के विरुद्ध पंजीकृत किया था, जिसका खुलासा जी०डी० संख्या-19, दिनांक 30-04-2021, समय करीब 13:26 बजे किया था। इस साक्षी ने चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4 व जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क-5 को साबित किया है।

12- पी०डब्लू०-4 डा० आर० बी० सिंह ने कहा कि दिनांक 26-05-2021 को जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में, मैं रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन महिला कां० शिखा, पीड़िता को मेरे पास एक्सरे हेतु लाई थी। मेरे द्वारा पीड़िता का एल्बो, नी, रिस्ट, इलियक क्रस्ट और क्लेबिकल का एक्सरे करके एक्सरे रिपोर्ट तैयार की गयी। एल्बो, नी और रिस्ट में हड्डियां फ्यूज पायी गयीं। इलियक क्रस्ट और क्लेबिकल की हड्डी फ्यूज नहीं पायी गयी। एक्सरे प्लेट के आधार पर मेरे द्वारा एक्सरे रिपोर्ट तैयार की गयी थी, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसमें पीड़िता का निशानी अंगूठा मेरे द्वारा प्रमाणित है। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि मेडीकल बोर्ड में भी मैं रेडियोलॉजिस्ट के रूप में सदस्य था। मेडीकल बोर्ड द्वारा पीड़िता की आयु 17 वर्ष मेडीकल के आधार पर निर्धारित की गयी थी। मेडीकल बोर्ड की रिपोर्ट पत्रावली में मौजूद है, जिसमें सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद तथा मेरे हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने पीड़िता (ए) की एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श क-6 व पीड़िता की आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-7, एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श-1 व 2 को साबित किया है।

13- पी०डब्लू०-5 रामकिशन, उ०नि० ने विवेचना सम्बन्धी बयान देते हुए कहा कि दिनांक 30-04-2021, समय 13:26 बजे वादी मुकदमा सन्तोष कुमार की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-49/2021, धारा-363, 366 भा०द०सं० दर्ज होकर मुझ उप निरीक्षक को विवेचना सुपुर्द की गयी थी। मैंने दौरान विवेचना पीड़िता को बरामद कर वादी, पीड़िता एवं घटना से सम्बन्धित सभी गवाहों के बयान अंकित किये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया। पीड़िता ने आन्तरिक एवं बाह्य मेडीकल परीक्षण कराने से मना कर दिया। पीड़िता का बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया तथा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर अभियुक्त अमन के विरुद्ध धारा-363, 366, 376 भा०द०सं०

व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से नक्शा नजरी प्रदर्शक-8 एवं आरोप पत्र प्रदर्शक-9 को साबित किया है।

**14-** पी०डब्लू०-6 विजय आनन्द गौतम ने कहा है कि दिनांक 04-06-2021 को मैं प्राथमिक विद्यालय, खैरगढ़ प्रथम, फिरोजाबाद में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत था। दिनांक 07-07-2014 को पीड़िता (ए) पुत्री सन्तोष प्रवेश हेतु कक्षा-3 के लिए आई थी। मेरे द्वारा पीड़िता (ए) का प्रवेश विद्यालय में किया गया था। पीड़िता (ए) के साथ उसकी माँ आयी थी। पीड़िता (ए) की जन्मतिथि 10-08-2006 बताने के अनुसार अंकित की गयी। दिनांक 04-06-2021 को मेरे द्वारा पीड़िता (ए) का प्रस्थान प्रमाणपत्र दिया गया था, जिसमें पीड़िता (ए) की जन्मतिथि 10-08-2006 अंकित है। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में पीड़िता (ए) के प्रस्थान प्रमाणपत्र की द्वितीय प्रति प्रदर्शक-10 को साबित किया है।

**15-** अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

**16-** अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 09-11-2022 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोप को झूठा बताया। गवाहन द्वारा रजिशन झूठा बयान देना कहा। झूठा मुकदमा चलना कहा तथा कहा कि मैं निर्दोष हूँ।

**17-** अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू० -1 राम मोहन शर्मा, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, खैरगढ़ को परीक्षित कराया है। सूची 31 ब से 32 ब पीड़िता (ए) के आधार कार्ड की फोटो प्रति, 33 ब पीड़िता (ए) के उक्त स्कूल के सूचना के अधिकार से प्राप्त लिखित सूचना, 34 ब रजिस्टर प्रवेश स्कूल की प्रमाणित प्रति एवं पीड़िता (ए) व अभियुक्त द्वारा आर्य समाज, चौक, प्रयाग में की गयी शादी का प्रमाणपत्र, दाखिल किये हैं।

**18-** मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अखलेश सिंह सागर, एडवोकेट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

**19-** उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

**20-** धारा-363 भारतीय दण्ड संहिता - व्यपहरण के लिए दण्ड - जो कोई व्यक्ति, विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी

अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

21- धारा-366 भारतीय दण्ड संहिता - विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना - जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।

22- धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता - बलात्संग के लिए दण्ड - (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबन्धित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

23- धारा-3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 - प्रवेशन लैंगिक हमला - कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है यदि वह -

- (क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या
- (ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या
- (ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा

में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुंह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

**24- धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड –**

(1) जो कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं (दिनांक 16-08-2019 से पूर्व सजा सात वर्ष अधिनियम क्रमांक-25, सन 2019 धारा-3(क) पोक्सो एक्ट सात वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष प्रतिस्थापित) होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।

**25-** अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

**26-** अभियोजन ने अपने पक्ष कथन के समर्थन में निम्नलिखित विधि व्यवस्थाएं दाखिल की हैं -

1. बाबा कुबेरा नन्द उर्फ कालू राम बनाम उ०प्र० राज्य, 2022(1) पी०एन०पी० 714, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

2. प्रेम राम बनाम उत्तराखण्ड राज्य, 2022(2) जे०आई०सी० रिपोर्ट्स, 57 माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उत्तराखण्ड ने अभियुक्त द्वारा 16-17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्संग किया। दोष सिद्धि में कोई हस्तक्षेप न करते हुए अपील को स्वीकार करते हुए मात्र दण्डादेश कम कर दिया।

27- पूर्व विवेचक राम किशन, उ०नि० द्वारा केस डायरी का प्रथम पर्चा दिनांक 30-04-2021 को काटा गया, जिसमें धारा-161 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत वादी सन्तोष का बयान, घटना स्थल का निरीक्षण किया। केस डायरी के पर्चा-8 दिनांकित 24-05-2021 में पीड़िता (ए) की बरामदगी करके उसका बयान अंकित किया, उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया। केस डायरी पर्चा-12 एवं 13 दिनांक 31-05-2021 में पीड़िता (ए) का आधार कार्ड, निर्वाचक नियमावली मतदाता सूची, पाठशाला खैरगढ़। पीड़िता (ए) का बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया। केस डायरी पर्चा-14, दिनांक 02-06-2021 में बाल कल्याण समिति के समक्ष हुई कार्यवाही का वर्णन किया। पर्चा संख्या-15, दिनांक 03-06-2021 से मामले की विवेचना संजय सिंह, उ०नि० को स्थानान्तरित की गयी। उनके द्वारा पूर्व पर्चों का अवलोकन करके केस डायरी के पर्चा संख्या-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में अनुपस्थित अभियुक्त अमन की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय से गैर जमानती अधिपत्र एवं धारा-82 दं०प्र०सं० की आदेशिका प्राप्त करके गिरफ्तारी का प्रयास किया और पर्चा संख्या-31, दिनांक 09-08-2021 में अभियुक्त अमन की गिरफ्तारी की गयी और पर्चा संख्या-32, दिनांकित 12-08-2021 को प्रधानाध्यापक विजय आनन्द के बयान लेकर, तमामी विवेचना से संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त अमन के विरुद्ध जुर्म धारा - 363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम का आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।

28- वादी सन्तोष ने तहरीर को प्रदर्श क-1 एवं पीड़िता (ए) की सी०डब्लू०सी० से प्राप्ति रसीद प्रदर्श क-2, पीड़िता (ए) ने अपने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० को प्रदर्श क-3, कां० क्लर्क राहुल कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-4, जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-5, डा० आर०बी० सिंह ने पीड़िता (ए) की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-6 एवं आयु संबंधी प्रमाणपत्र प्रदर्श क-7, एक्सरे प्लेट्स वस्तु प्रदर्श-1 व 2, विवेचक राम किशन उ०नि० ने नक्शा नजरी प्रदर्श क-8 एवं आरोप पत्र प्रदर्श क-9 तथा विजय आनन्द गौतम, प्रधानाचार्य ने पीड़िता (ए) के प्रस्थान प्रमाणपत्र को प्रदर्श क-10 के रूप में साबित किया है।

29- पी०डब्लू०-1 वादी सन्तोष ने तहरीर प्रदर्श क-1 एवं बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में पीड़िता (ए) की उम्र 16 वर्ष बताई है। वादी सन्तोष ने मुख्य परीक्षा में पीड़िता (ए) की उम्र 16 वर्ष बताई है। जिरह में कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल दस्तखत बना लेता हूँ। तहरीर मैंने अपने भाई संजय से लिखवा कर थाने पर दी थी, क्योंकि मैं

पढ़ा लिखा नहीं हूँ, केवल हस्ताक्षर कर लेता हूँ। जिरह के द्वितीय पृष्ठ की अन्तिम पंक्ति में कहा कि मेरी बेटी /पीड़िता (ए) कक्षा-5 तक पढ़ी है, इसके आगे मैं नहीं पढ़ा पाया।

**30-** पी०डब्लू०-2 पीड़िता (ए) की उम्र वादी ने तहरीर में 16 वर्ष, जबकि पीड़िता (ए) ने अपने बयान धारा-161 दं०प्र०सं०, केस डायरी के पर्चा-8, दिनांकित 24-05-2021 में अपनी उम्र 20 वर्ष अंकित करायी है और कहा कि मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे देख-देख कर लिखना आता है। मैंने लिखना घर से सीखा है। पीड़िता (ए) ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र 20 वर्ष अंकित करायी है और कहा कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। पीड़िता (ए) ने न्यायालय में सशपथ कथन किया कि वह घटना दिनांक 22-04-2021 को साढ़े पन्द्रह वर्ष की थी। मैं प्राथमिक विद्यालय, खैरगढ़ में पढ़ी थी, जिसका प्रमाण पत्रावली में दाखिल 114/2 है, जिसमें मेरी जन्मतिथि 10-08-2006 अंकित है। साक्षी ने जिरह में कहा कि मैं कक्षा-5 तक पढ़ी हूँ। मैं सरकारी स्कूल खैरगढ़ विद्यालय में पढ़ी हूँ। मुझे विद्यालय छोड़े हुए 6 महीने हो गये हैं। कक्षा-5 के बाद मैं विद्यालय नहीं गयी। मेरे पास कक्षा-5 का अंकपत्र नहीं है। अंकपत्र लेने मैं विद्यालय नहीं गयी। अंकपत्र लाकर पत्रावली में दाखिल कर सकती हूँ। हम लोग चार बहन व एक भाई हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे और कोई भाई -बहन स्कूल पढ़ने नहीं जाता है। जिरह के पृष्ठा संख्या-5 के द्वितीय पैरा में कहा कि यह कहना गलत है कि मैं बिना पढ़ी लिखी हूँ, केवल हस्ताक्षर करना जानती हूँ। आप बालिग हैं, इस प्रश्न का उत्तर 'जी हाँ' दिया है। इस कथन से भी इन्कार किया कि पंचायत निर्वाचन नियमावली 2021 में मेरा नाम वोटर के रूप में दर्ज हो।

**31-** पी०डब्लू०-4 डा० आर०बी० सिंह, रेडियोलॉजिस्ट ने पीड़िता (ए) का एक्सरे किया और एक्सरे में एल्बो, नी एवं रिष्ट की हड्डियां फ्यूज पायीं, इलियक क्रिस्ट और क्लेविकल की हड्डी फ्यूज नहीं पायी गयी। मेडीकल बोर्ड द्वारा पीड़िता (ए) की आयु 17 वर्ष निर्धारित की गयी थी। साक्षी ने जिरह में कहा कि मेरा द्वारा पीड़िता (ए) का एक्सरे किया गया था। मैंने पीड़िता (ए) का पूर्व में हुआ मेडीकल नहीं देखा था। मेडीकल में आयु आयु में दो वर्ष का अन्तर आगे और पीछे हो सकता है। पीड़िता (ए) की एल्बो और नी की हड्डी जुड़ी हुई पायी गयी थीं। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा पीड़िता (ए) की गलत एक्सरे रिपोर्ट तैयार की गयी हो और गलत आयु निर्धारित की गयी हो।

**32-** विवेचक पी०डब्लू०-5 राम किशन ने केस डायरी के पर्चा संख्या-10, दिनांक 26-05-2022 में पीड़िता (ए) को उम्र निर्धारण

हेतु मेडीकल बोर्ड भेजा था। पर्चा-11 में उम्र निर्धारण आख्या का अवलोकन किया। पीड़िता (ए) की उम्र 17 वर्ष आयी थी, तब न्यायालय में धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान कराया। पर्चा-12, दिनांकित 31-05-2021 में परिजनों से पीड़िता (ए) का आधार कार्ड प्राप्त किया। जिरह के पृष्ठ-2 के मध्य में कहा कि मेरी विवेचना में कोई भी पीड़िता (ए) का शिक्षित प्रमाणपत्र वादी द्वारा नहीं दिया गया। वादी द्वारा आधार कार्ड दिया गया था, जिसके अनुसार पीड़िता (ए) बालिग थी। पीड़िता (ए) की मतदान सूची मेरे द्वारा केस डायरी में संलग्न की गयी है, जिसके अनुसार भी पीड़िता (ए) बालिग थी, 19 वर्ष की थी। मतदाता सूची ए०डी०ओ० पंचायत एवं वी०डी०ओ० द्वारा प्रमाणित की गयी थी। द्वितीय विवेचक श्री संजय सिंह की मृत्यु दिनांक 28-04-2022 को होने के कारण उनके द्वारा दाखिल आरोप पत्र को इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

33- पी०डब्लू०-6 विजय आनन्द गौतम, प्रधानाचार्य द्वारा कहा गया कि पीड़िता (ए) दिनांक 07-07-2014 को कक्षा-3 में प्रवेश के लिए आयी थी। मेरे द्वारा उसका विद्यालय प्रवेश लिया गया। उसके साथ उसकी माँ भी आई थी। पीड़िता (ए) की जन्मतिथि 10-08-2006 मां के बताने के अनुसार अंकित की गयी। दिनांक 04-06-2021 को पीड़िता (ए) का प्रस्थान प्रमाणपत्र मेरे द्वारा दिया गया, जो पत्रावली पर कागज संख्या-11 ब/2 दाखिल है, जिसमें पीड़िता (ए) की जन्मतिथि 10-08-2006 अंकित है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और विद्यालय की मुहर लगी है। जिरह में कहा कि पीड़िता (ए) का प्रवेश विद्यालय में कक्षा-3 में मेरे द्वारा किया गया। पीड़िता (ए) कक्षा-1 व 2 किसी और स्कूल में नहीं पढ़ी थी। उम्र के आधार पर मैंने कक्षा-3 में प्रवेश लिया था। बच्चे की उम्र यदि 6 वर्ष है तो उसका एडमीशन कक्षा-1 में, यदि 7 वर्ष है तो उसका एडमीशन कक्षा-2 में होगा। पीड़िता (ए) की उम्र मां के द्वारा बताई गयी थी। पीड़िता (ए) की मां ने उम्र का कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया था, मौखिक उम्र बताई थी। पीड़िता (ए) की मां के द्वारा बताई गई उम्र प्रवेश रजिस्टर पर अंकित की गयी। पीड़िता (ए) का नाम प्रवेश रजिस्टर में अंकित है और उसका नामांकन एस०आर० नं०-6539 है। प्रवेश रजिस्टर विद्यालय में रहता है। पीड़िता (ए) और मैं एक ही गांव के रहने वाले हैं। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा विद्यालय में प्रवेश देते समय पीड़िता (ए) की जन्मतिथि गलत अंकित की गयी हो। यह कहना भी गलत है कि पीड़िता (ए) कक्षा-1 व 2 में गांव के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ी हो और मैंने कक्षा-3 में एडमीशन लेते समय प्राइमरी विद्यालय की टी०सी० न ली हो। यह कहना सही है कि गांव में एक

प्राइमरी विद्यालय और भी है। अभियोजन ने पीड़िता (ए) की शैक्षिक योग्यता के बावत अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

**34-** अभियुक्त अमन ने अपने बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में उपरोक्त तथ्यों को झूठा व गलत बताते हुए रंजिशन गवाही देना व झूठा मुकदमा चलाना कहा है।

**35-** सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू० -1 राम मोहन शर्मा, इं० प्रधानाचार्य, प्राथमिक विद्यालय खैरगढ़-2, थाना खैरगढ़ को परीक्षित कराया है। साक्षी ने कहा कि मुझसे सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन पीड़िता (ए) की शिक्षा मेरे विद्यालय में ग्रहण करने के संबंध में सूचना मांगी गयी थी, जो मेरे द्वारा दिनांक 17-06-2022 को दी गयी थी। पत्रावली में कागज संख्या-33 ब को देखकर कहा कि यह वही लिखित सूचना है जो मेरे द्वारा दी गयी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। सूचना के साथ पीड़िता (ए) का एस०आर० रजिस्टर में क्रम संख्या-1932 पर नाम दर्ज है। उस रजिस्टर की फोटो कापी मेरे द्वारा प्रमाणित की गयी है, जो पत्रावली पर कागज संख्या-34 ब है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और मेरे विद्यालय की मुहर लगी है। पीड़िता (ए) मेरे स्कूल में, एस०आर० रजिस्टर के अनुसार सत्र 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में क्रमशः कक्षा-1, 2 व 3 उत्तीर्ण किया है। सन् 2013-14 में दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने के कारण पीड़िता (ए) का नाम खारिज कर दिया गया। एस०आर० रजिस्टर में पीड़िता (ए) की जन्मतिथि दिनांक 01-02-2004 अंकित है।

**36-** साक्षी ने जिरह में कहा कि पीड़िता (ए) का प्रवेश मेरे सामने नहीं हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि किस अध्यापक के द्वारा लिया गया था। साथ कौन आया था, यह भी नहीं मालूम। इस एस०आर० रजिस्टर के अनुसार पीड़िता (ए) कक्षा-3 तक पढ़ी थी। इसके बाद दूसरे विद्यालय में प्रवेश के कारण पीड़िता (ए) का नाम खारिज किया गया है। इस एस०आर० रजिस्टर के हिसाब से पीड़िता (ए) की कोई टी०सी० नहीं काटी गयी। सूचना अधिकार से जो सूचना मांगी गयी थी, उक्त सूचना में पीड़िता (ए) की जन्मतिथि, नाम, पता आदि का विवरण मैंने एस०आर० रजिस्टर में देखकर लिखा था। इस एस०आर० रजिस्टर को दुबारा नहीं बनाया जा सकता। एस०आर० रजिस्टर में पेज नम्बर अंकित नहीं हैं। पीड़िता (ए) का प्रवेश मेरे विद्यालय में मेरे सामने नहीं हुआ था, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि पीड़िता (ए) का प्रवेश किसने कराया था और उसकी जन्मतिथि कैसे लिखी गयी है। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या-11 ब/2 प्राथमिक विद्यालय खैरगढ़-प्रथम द्वारा जारी किया गया है, जो मेरे स्कूल का कागज नहीं है। उक्त कागज में पीड़िता (ए) पुत्री

सन्तोष लिखा है और उसकी जन्मतिथि 10-08-2006 अंकित है। यह कहना गलत है कि मैं अमन व उसके परिवार के कहने से झूठी गवाही देने न्यायालय आया हूँ।

**37-** अभियोजन ने कागज संख्या-11 ब/1 प्राथमिक विद्यालय खैरगढ़-प्रथम के प्रधानाचार्य को प्रेषित पत्र दाखिल किया है, जिसमें पीड़िता (ए) की जन्मतिथि 10-08-2006 अंकित है और प्रवेशांक 6539 पर अंकित है। प्रदर्शक-10 प्रस्थान प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति है, जिसमें पीड़िता (ए) की जन्मतिथि 10-08-2006 अंकित है। पत्रावली में पीड़िता (ए) का आधार कार्ड सं०-630269422267 दाखिल है, जिसमें पीड़िता (ए) की जन्मतिथि 02-05-2002 अंकित है। कागज संख्या-28 ब/8 पंचायत निर्वाचन नामावली के क्रम संख्या-1607 पर पीड़िता (ए) पुत्री सन्तोष की उम्र 19 वर्ष अंकित है। कागज संख्या-28 ब/29 न्यायालय ए०सी०जे०, जू०डि० सं०-5 फिरोजाबाद ने मुकदमा अपराध संख्या-49/2021 में अपने आदेश दिनांक 31-05-2021 में पीड़िता (ए) की आयु, चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर 17 वर्ष, अनीता देवी हकीकी सास के प्रार्थनापत्र में पीड़िता (ए) की आयु 20 वर्ष तथा पीड़िता (ए) ने अपने बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र 20 वर्ष बताई है और अपने माता पिता के साथ जाने से इन्कार किया है, इसलिए न्यायालय द्वारा पीड़िता (ए) की सुपुर्दगी निर्धारण हेतु बाल कल्याण समिति, फिरोजाबाद को सन्दर्भित किया है।

**38-** विवेचक राम किशन, उ०नि० द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी फिरोजाबाद, सी०एच०सी०, खैरगढ़, फिरोजाबाद को पीड़िता (ए) का आन्तरिक व बाह्य परीक्षण कराने हेतु प्रार्थनापत्र महिला आरक्षी शिखा कटियार के साथ भेजा गया। चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा पीड़िता (ए) का चिकित्सीय परीक्षण करते हुए उसके बाहरी शरीर पर कोई चोट नहीं पायी गयी, परन्तु पीड़िता (ए) ने चिकित्सक से अपना आन्तरिक परीक्षण कराने से मना कर दिया। उक्त एम०एल० पी०सी०-2021 कागज संख्या-251 पत्रावली में दाखिल है, जिस पर विवेचक राम किशन के हस्ताक्षर हैं और उसके पुश्त पर पीड़िता (ए) का निशानी अंगूठा अंकित है, जिसे चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्रमाणित किया गया है। माननीय उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तानुसार पीड़िता अथवा परिजनों की सहमति के बिना पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह पीड़िता के शील, आचरण और उसकी मर्यादा से संबंधित होता है। पीड़िता द्वारा चिकित्सक से चिकित्सीय परीक्षण न कराने का एकाधिकार पीड़ित पक्ष के पास सुरक्षित रहता है, जो आज्ञापक है और उसका किसी

भी प्रकार हनन नहीं किया जा सकता है।

**39-** अभियुक्त अमन ने बचाव में सूची 31 ब से पीड़िता (ए) का आधार कार्ड, जिसमें उसकी जन्मतिथि 02-05-2002 अंकित है। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय खैरगढ़-द्वितीय के प्रधानाचार्य से मांगी गयी सूचना प्रदर्श ख-1 के अनुसार पीड़िता (ए) का नाम प्रवेशांक 1932 पर और उसकी जन्मतिथि 01-02-2004 अंकित है। कागज संख्या-34 ब/1 प्राथमिक विद्यालय, खैरगढ़-द्वितीय का रजिस्टर प्रवेश स्कूल प्रदर्श ख-2 एवं आर्य समाज, चौक, प्रयाग 199/102, पान दरीबा चौक, प्रयाग द्वारा क्रम संख्या-384 विवाह संस्कार प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, जिसमें पीड़िता (ए) की जन्मतिथि 02-05-2002, उम्र 19 वर्ष अंकित है। उक्त विवाह संस्कार, महर्षि दयानन्द संस्थान, मुट्ठी गंज, प्रयाग में दिनांक 10-05-2021 को अपराह्न 01:00 बजे से 02:00 बजे के मध्य सम्पन्न हुआ। इसका खण्डन अभियोजन ने नहीं किया है। अतः अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

**40-** उपरोक्त से स्पष्ट है कि पीड़िता (ए) की आयु उसके पिता सन्तोष ने एफ०आई०आर० और अपने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० और न्यायालय में दिये सशपथ बयान में 16 वर्ष बताई है, जबकि पीड़िता (ए) ने बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र 20 वर्ष बताई है और न्यायालय में दिये सशपथ बयान में अपनी उम्र साढ़े पन्द्रह वर्ष अंकित कराई है। विवेचक द्वारा कराये गये चिकित्सीय परीक्षण के उपरान्त सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद ने पीड़िता (ए) की आयु लगभग 17 वर्ष, जिसमें एक वर्ष की घटोत्तरी-बढोत्तरी हो सकती है, अंकित की है। पीड़िता (ए) के आधार कार्ड के अनुसार उसकी जन्मतिथि 02-05-2002 है, जिसके अनुसार उसकी आयु 18 वर्ष, 11 माह, 20 दिन होती है। अभियोजन द्वारा प्राथमिक विद्यालय, खैरगढ़-प्रथम के शैक्षिक प्रपत्रों के अनुसार पीड़िता (ए) की जन्मतिथि 10-08-2006 है, जिसके अनुसार पीड़िता (ए) की घटना के समय उम्र 14 वर्ष, 08 माह, 12 दिन थी। बचाव साक्ष्य में दाखिल विवाह पंजीयन प्रमाणपत्र के अनुसार पीड़िता (ए) की जन्मतिथि 02-05-2002, जिसके अनुसार वह 18 वर्ष, 11 माह, 20 दिन की है। प्राथमिक विद्यालय, खैरगढ़-द्वितीय के प्रधानाचार्य डी०डब्लू०-1 राम मोहन शर्मा के अनुसार पीड़िता (ए) की जन्मतिथि 01-02-2004 है, जिसके अनुसार घटना के दिनांक को पीड़िता (ए) की आयु 17 वर्ष, 02 माह, 21 दिन होती है। पीड़िता (ए) की वास्तविक आयु के संबंध में अभियोजन प्रपत्रों एवं साक्षियों की साक्ष्य में परस्पर विरोधाभास है। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार पीड़िता (ए) की आयु के

सम्बन्ध में सात विकल्प न्यायालय के समक्ष आये हैं, जिनके आधार पर घटना दिनांक 22-04-2021 को पीड़िता (ए) की वास्तविक आयु का निर्धारण किया जाना है। चूंकि पीड़िता (ए) ने स्वयं अपने बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र 20 वर्ष बताई है और अभियोजन, सफाई साक्ष्य में दाखिल डी०डब्लू०-1 के बयान एवं शैक्षिक अभिलेखों को खण्डित करने एवं पीड़िता (ए) की आयु घटना के समय पर नाबालिग साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 22-04-2021 को पीड़िता (ए) पूर्णतः बालिग थी और वह अपना भला बुरा सोचने-समझने में पूर्णतः सक्षम थी। प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता (ए) के घटना की दिनांक को बालिग होने के कारण पोक्सो अधिनियम के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते हैं।

41- पी०डब्लू०-1 वादी सन्तोष ने तहरीर प्रदर्शक-1 में अपनी पुत्री/पीड़िता (ए) को अभियुक्त अमन द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी है। दिनांक 22/23-04-2021 की सुबह शौच के बहाने गयी थी और वापस नहीं लौटी। काफी खोजबीन की तब पता चला कि गांव का अमन कुमार प्रार्थी की पुत्री को भगा कर ले गया है, जिस पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूं और उसी दिन से अमन फरार चल रहा है। काफी प्रयास के बाद भी नहीं मिला है। वादी ने तहरीर में केवल अपनी पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने की बात अंकित करायी थी। वादी ने पीड़िता (ए) के साथ अयुक्त संभोग हेतु विवश करने/बलात्कार/प्रवेशन लैंगिक हमला करने की रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी थी। यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है, जिसने घटना होते हुए अपनी आँखों से स्वयं नहीं देखा है, केवल पीड़िता (ए) के बताये अनुसार न्यायालय में आकर सशपथ बयान दिया है। वादी ने न्यायालय में दिये सशपथ बयान में एफ०आई०आर० कथन का समर्थन किया और जिरह में कहा कि अमन मेरे गाँव का है। मैंने अमन के विरुद्ध दो मुकदमे थाने में दर्ज कराये हैं। मैंने पहला मुकदमा लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का अमन के विरुद्ध लिखवाया था। इस मुकदमे को छः महीने से अधिक हो गये। इस मुकदमे में गांव व अमन के परिवार वालों के दबाव में लेकर समझौता करा लिया था। इस समझौते की बावत थाने में मैंने और मेरी पत्नी ने कोई लिखित समझौता नहीं दिया था। मैंने थाने में कोई शपथपत्र नहीं दिया था कि अमन ने मेरी पुत्री के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। परिवार वालों ने शपथपत्र दिया या नहीं, नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बेटी ने कभी वोट डाला या नहीं और उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। मैंने थाने में मुकदमा दिनांक 30-04-2021 को लिखाया था। अकेला थाने गया था। अपने भाई संजय से तहरीर लिखवाई थी। दरोगा जी ने मेरी निशानदेही

पर नक्शा नजरी बनाया था। मेरी बेटी मुझे एक महीने बाद पुलिस द्वारा मिली थी। मेरी बेटी/पीड़िता (ए) मेरे साथ रह रही है। यह कहना गलत है कि मेरी बेटी ने न्यायालय से मेरे साथ जाने से इन्कार कर दिया हो। यह कहना गलत है कि मेरी बेटी बालिग हो। यह कहना गलत है कि अपराध संख्या-08/2021 के मुकदमे में मैंने और परिवार के लोगों ने थाने पर समझौते की बावत शपथपत्र दिये हों, जबकि उपरोक्त प्रपत्रों की छायाप्रति विवेचक ने लेकर उसे केस डायरी का अंश बनाया है। उक्त तथ्य अभियोजन के विरुद्ध उपधारित किया जायेगा।

42- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (ए) ने घटना के लगभग एक माह बाद दिनांक 24-05-2021 को शाम 14:30 बजे बरामदगी के उपरान्त विवेचक को दिये धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में कहा कि मेरी उम्र 20 वर्ष है। मैं अमन नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। अमन मेरा पड़ोसी है। मैं तीन महीने की गर्भवती हूँ। अब मैं अमन के साथ ही रहना चाहती हूँ। पीड़िता (ए) ने मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा-164 दं०प्र०सं० के बयान में कहा कि मैं 20 साल की हूँ। मैं अमन को इसलिए जानती थी, क्योंकि वह मेरा पड़ोसी है। मैं अमन से प्यार करती हूँ। मैंने अमन के साथ हरियाणा में शादी कर ली थी। हरियाणा के एक कोर्ट में शादी करी थी। कौन से कोर्ट में करी थी, यह नहीं पता। मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में अमन का बच्चा है। मैं अमन के साथ रहना चाहती हूँ।

43- पीड़िता (ए) ने उपरोक्त बयानों से इतर न्यायालय में दिये सशपथ बयान में कहा कि अमन मुझे बहला फुसला कर ले गया था। उसके साथ एक लड़का और था, जिसका नाम करतार था। अमन मुझे मोटर साइकिल पर बैठा कर ले गया था। रास्ते में मुझे चाय पिलाई, उसके बाद मुझे चक्कर आने लगे, तभी करतार सिंह मोटर साइकिल में पेट्रोल डलवाने चला गया था। अमन ने मुझे एक कमरे में ले जाकर बन्द कर दिया और मेरे साथ जबरदस्ती की और बलात्कार किया। अमन शराब पीकर आता था और बलात्कार करता था। साक्षी ने मुख्य परीक्षा में कहा कि अमन ने मेरे साथ शादी नहीं की थी, जबकि बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में कहा कि अमन मेरे मौहल्ले में रहता है। मैं उसे जानती हूँ और मैंने उससे हरियाणा में शादी कर ली है। साक्षी ने जिरह में कहा कि इस घटना से 6 महीने पूर्व अमन ने छेड़छाड़ की थी, जिसका मुकदमा लिखाया गया था। उस मुकदमे में पुलिस आयी थी, मेरा बयान लिया था। मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं हुआ था। अमन को पकड़ा गया था, लेकिन जेल नहीं गया था। उस मुकदमे में मेरे पिता ने अभियुक्त के परिवार वालों से 3,50,000/- रूपया नहीं लिया था। उस मुकदमे में पंचायत हुई थी। उस मुकदमे का क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। उस मुकदमे के बाद

मेरी अभियुक्त अमन से फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई थी और ना ही मुलाकात हुई। उस मुकदमे के लगभग एक महीने बाद अमन ने मुझे परेशान किया था, यह बात मैंने अपने माता-पिता को नहीं बताई थी। मेरे घर में शौचालय मेरे घर के बाहर बना हुआ है, उसी शौचालय में हम लोग शौच करने जाते हैं। वह मेरे घर से दो-तीन घर की दूरी पर है, जो खेत में बना हुआ है। यह शौचालय हमारे नहीं, बल्कि दूसरे की जमीन पर बना हुआ है। घटना वाले दिन मैं सुबह 3-4 बजे शौच करने गयी थी। मैं शौच करके वापस आ रही थी, तब अमन व करतार सिंह मिले थे। अमन व करतार सिंह ने मुझे तमंचे से डराया और मुझे मोटर साइकिल पर जबरदस्ती बैठा कर ले गये। इन्होंने धमकाया था कि मार दूंगा। मक्खनपुर पर इन लोगों ने चाय पिलाई थी। मुझे नहीं पता कि चण्डीगढ़ किस साधन से ले गये। मैं लगभग एक महीने चण्डीगढ़ में रही, लगभग एक महीने बाद चण्डीगढ़ से फिरोजाबाद वापस आयी। अमन मुझे इलाहाबाद नहीं ले गया। मैंने इलाहाबाद में अमन के साथ शादी नहीं की थी। पुलिस ने मुझे प्रतापपुर चौराहा, फिरोजाबाद में पकड़ा था, उस समय अमन वहां नहीं था। जिरह के पृष्ठ संख्या-4 के मध्य में कहा कि मैंने पुलिस को बताया था कि अमन व करतार तमंचा दिखाकर, धमका कर, भगा कर ले गये थे। पुलिस मुझे उस स्थान पर नहीं ले गयी, जहाँ से मुझे भगाया था। मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान होने के बाद मुझे नारी निकेतन भेज दिया था। यह कहना गलत है कि मैं अमन के साथ अपनी मर्जी से गयी थी। यह कहना गलत है कि मैंने इलाहाबाद में आर्य समाज मन्दिर में शादी की हो। यह कहना गलत है कि मैं अमन से प्यार करती थी और माता-पिता के दबाव में आज झूठा बयान दे रही हूँ। यह कहना गलत है कि पंचायत निर्वाचन नामावली, 2021 में मेरा नाम वोटर के रूप में दर्ज हो।

44- पी०डब्लू०-3 का० कर्क राहुल कुमार, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व जी०डी० मुकदमा कामयी का साक्षी है। पी०डब्लू०-4 डा० आर०बी० सिंह ने पीड़िता (ए) का आयु के सन्दर्भ में एक्सरे किया है। पी० डब्लू०-6 विजय आनन्द गौतम, प्राथमिक विद्यालय खैरगढ़-प्रथम के प्रधानाचार्य हैं, इन्हें तथ्य के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

45- पी०डब्लू०-5 विवेचक राम किशन ने अपने द्वारा किता किये गये केस डायरी के पर्चों को अपनी साक्ष्य से साबित किया है। विवेचक ने अभियुक्त अमन के अतिरिक्त अपराध में सहयोगकर्ता करतार की बावत कोई विवेचना नहीं की है और ना ही उसका अंकन केस डायरी में किया है। पीड़िता (ए) ने अपने बयान में अभियुक्त अमन व करतार द्वारा तमंचा दिखा कर उसको बहला फुसला कर भगा ले जाने और प्रवेश लैंगिक हमला करने का कथन किया है। इस बिन्दु पर भी विवेचक द्वारा

कोई विवेचना नहीं की गयी। सह-अभियुक्त करतार की सुरागरसी एवं अग्रायुद्ध तमंचे की बरामदगी की बावत कोई पर्चा केस डायरी में किता नहीं किया है। पीड़िता (ए) ने अपने बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में स्वयं को अमन के बच्चे की माँ और तीन-साढ़े तीन माह की गर्भवती होना कहा है। इस बिन्दु पर भी विवेचक ने कोई विवेचना नहीं की है और ना ही पीड़िता (ए) की प्रेग्नेसी टेस्ट रिपोर्ट पत्रावली दाखिल की है। विवेचक ने पीड़िता (ए) के चिकित्सीय परीक्षण हेतु सी०एच०सी० खैरगढ़ महिला कां० शिखा कटियार के साथ भेजा था। पीड़िता (ए) ने सी०एच०सी०, खैरगढ़ के डाक्टर से अपना बाह्य चिकित्सीय परीक्षण कराया, जो घटना दिनांक 22-04-2021 के एक माह, तीन दिन बाद दिनांक 25-05-2021 को शाम 07:15 बजे किया गया। बाह्य परीक्षण में पीड़िता (ए) के कोई भी चोट नहीं पायी गयी, परन्तु पीड़िता (ए) ने अपना आन्तरिक परीक्षण कराने से इन्कार कर दिया। पीड़िता (ए) की अंगूठा निशानी को सी०एच०सी० के डाक्टर द्वारा प्रमाणित किया गया है। पीड़िता (ए) के इन्कार करने के कारण उसका आन्तरिक चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया जा सका, जो बलात्कार और प्रवेशन लैंगिक हमला जैसे गम्भीर अपराध के विचारण हेतु परम आवश्यक था। चिकित्सीय परीक्षण न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पीड़िता (ए) के आन्तरिक/व्यक्तिगत अंगों पर कोई चोट लगी थी या नहीं और पीड़िता (ए) की हायमन झिल्ली भंग थी अथवा नहीं। उक्त परीक्षण लैंगिक अपराध के प्रकरण में अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। पीड़िता (ए) द्वारा अपना आन्तरिक परीक्षण न कराया जाना अभियोजन कथानक के विरुद्ध उपधारित किया जायेगा। अभियोजन को अन्य साक्ष्य के माध्यम से यह साबित करना होगा कि पीड़िता (ए) के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला कारित हुआ था।

46- उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पीड़िता (ए) घटना दिनांक 22-04-2021 को पूर्णतः बालिग थी और वह अपना भला बुरा सोचने समझने में पूर्णतः समर्थ थी। पीड़िता (ए) स्वेच्छा से अभियुक्त अमन के साथ बिना किसी प्रतिरोध के उसकी मोटर साइकिल पर मक्खनपुर, फिरोजाबाद से चण्डीगढ़ चली गयी थी। अभियुक्त अमन के साथ एक माह तक बिना विरोध/शिकायत के एक कमरे में रही और स्वयं को अमन की पत्नी और उसके होने वाले बच्चे की माँ होना बताया और स्वयं को अमन से गर्भवती होना भी कहा है। चूंकि पीड़िता (ए) प्रस्तुत मामले में बालिग घोषित की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में पोक्सो अधिनियम के प्रावधान प्रस्तुत मामले में लागू नहीं होंगे। जहाँ तक पीड़िता (ए) के साथ बलात्कार किए जाने का प्रश्न है, इस बावत पत्रावली पर कोई चिकित्सीय साक्ष्य मौजूद नहीं है। पीड़िता (ए) एवं तथ्य के साक्षी उसके पिता/वादी सन्तोष

के बयानों में परस्पर विरोधाभास है। इस कारण अभियोजन साक्ष्य अविश्वसनीय है।

47- पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी सन्तोष ने अभियुक्त अमन के विरुद्ध अपनी पुत्री /पीड़िता (ए) को लेकर तीन मुकदमे पंजीकृत कराये हैं, उन मुकदमों की प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमशः मुकदमा अपराध संख्या-08/2021, 49/2021 और अन्तिम एफ०आई०आर० अपराध संख्या-18/2023, थाना खैरगढ़ में पंजीकृत करायी हैं। यहाँ पर यह उल्लिखित कर देना भी समीचीन होगा कि अपराध संख्या-08/2021 में वादी सन्तोष ने 3,50,000/- रुपये लेकर अभियुक्त अमन आदि से समझौता कर लिया था और इसका आपसी सुलहनामा कागज संख्या-28 ब/11 की छाया प्रति पत्रावली में दाखिल है, जिसमें सन्तोष कुमार को अशोक (अभियुक्त अमन के पिता) द्वारा 3,50,000/- रुपये बतौर फैसला दिये गये हैं, का पृष्ठांकन है। प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष एवं गवाहों के नाम भी अंकित हैं। उक्त केस के संबंध में सन्तोष कुमार वादी, उनकी पत्नी श्रीमती पूजा, श्रीमती अतर प्यारी, रामू, कोमल सिंह, सुमित कुमार, पंकज कुमार, संजय कुमार आदि के शपथपत्रों की छाया प्रतियां पत्रावली में कागज सं०-28 ब/12 लगायत 28 ब/27 संलग्न हैं, जिनके अनुसार वादी सन्तोष ने यह माना है कि अमन द्वारा शपथकर्ता की लड़की/पीड़िता (ए) के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ या गलत काम नहीं किया गया है, परन्तु न्यायालय में दिये सशपथ बयान में वादी सन्तोष एवं पीड़िता (ए) ने उक्त तथ्यों से इन्कार किया है। यह भी उल्लिखित किया है कि शपथकर्ता की पुत्री/पीड़िता (ए) द्वारा अब तक मुकदमे में धारा-161, 164 दं०प्र०सं० के बयान में अमन द्वारा छेड़छाड़ व गलत काम न करने के बयान दिये गये हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि वादी सन्तोष ने अभियुक्त अमन से, इससे पूर्व के मामले में अनुचित लाभ लेकर समझौता कर लिया है। इस कारण अभियोजन का केस बलहीन प्रतीत होता है।

48- प्रस्तुत मामले में श्रीमती अनीता देवी, जो पीड़िता (ए) की हकीकी सास हैं, ने न्यायालय ए०सी०जे०, जू०डि०, कोर्ट सं०-5/जे०एम०, फिरोजाबाद में अपनी पुत्रवधू को अपनी सुपुर्दगी में दिये जाने का प्रार्थनापत्र दिया था, पर न्यायालय ने आदेश दिनांक 31-05-2021 पारित करते हुए कहा कि पीड़िता द्वारा अपने माता-पिता के पास जाने से इन्कार किया है, जबकि पिता ने अपने बयान में इससे इतर गवाही दी है और पीड़िता का कोई शैक्षिक प्रमाणपत्र पत्रावली में दाखिल नहीं किया है। पीड़िता (ए) के भविष्य को देखते हुए मामला सुपुर्दगी निर्धारण हेतु बाल कल्याण समिति, फिरोजाबाद को सन्दर्भित किया है। पीड़िता

(ए) ने एस०एस०पी०, फिरोजाबाद को दिनांक 09-05-2021 को एक प्रार्थनापत्र (35 ब) दिया कि उसने अमन के साथ शिव मन्दिर, फिरोजाबाद, फिर आर्य समाज, चौक, प्रयाग इलाहाबाद में विवाह कर लिया है, तभी से पति-पत्नी के रूप में साथ-साथ रह रहे हैं। मेरे पिता व परिवार वाले इस विवाह से खुश नहीं हैं, इसलिए मेरे पति को गाली गलौज देकर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। मुझे व मेरे पति को मेरे पिता व परिवार वालों से जान का खतरा है। अतः सुरक्षा प्रदान की जाए।

49- अभियुक्त अमन ने बचाव में सूची 31 ब से पीड़िता (ए) के आधार कार्ड की छाया प्रति दाखिल की है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 02-05-2002 अंकित है। आधार कार्ड के खण्डन में अभियोजन कोई कथन या साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, जिसके आधार पर यह प्रथम दृष्टया साबित हो कि आधार कार्ड में अंकित पीड़िता (ए) की जन्मतिथि जाली या फर्जी है। बचाव साक्ष्य में दाखिल आर्य समाज, चौक, प्रयाग द्वारा जारी विवाह संस्कार प्रमाणपत्र को अभियोजन साक्षीगण ने फर्जी होना नहीं कहा है और ना ही इसका खण्डन किया है। अभियोजन साक्षीगण इस तथ्य को भी विरुद्ध साबित करने में असफल रहे हैं कि उक्त प्रमाणपत्र पर पीड़िता (ए) की चस्पा रंगीन फोटो जाली व फर्जी है और उक्त फोटो अभियुक्त अमन के पास किस प्रकार आयी। पीड़िता (ए) की उक्त रंगीन फोटो पर पीड़िता (ए) का हस्ताक्षर अंकित है, जो पीड़िता (ए) द्वारा न्यायालय में आकर पी०डब्लू०-2 के रूप में दिये गये सशपथ बयान पर अंकित हस्ताक्षर से पूर्णतः समान है। वैसे भी भिन्न-भिन्न हस्ताक्षर होने का कथन अभियोजन द्वारा नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त की उपधारणा अभियोजन पक्ष के विरुद्ध करते हुए यह माना जायेगा कि उक्त विवाह संस्कार प्रमाणपत्र पर चस्पा रंगीन फोटो पीड़िता (ए) की है और उसी के असल हस्ताक्षर उक्त प्रमाणपत्र व फोटो पर अंकित हैं।

50- अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौरान बहस यह तर्क लिया गया कि वादी ने घटना दिनांक 22-04-2021 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सोच समझ कर, विधिक राय लेकर दिनांक 30-04-2021 को अंकित कराई है। अभियोजन इस तर्क पर मौन है और उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए 8 दिन के विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है। वादी सन्तोष द्वारा पीड़िता (ए) को अभियुक्त अमन द्वारा दिनांक 22-04-2021 को अपने साथ ले जाना बताया गया है। पीड़िता (ए) के स्वयं कथनानुसार एक माह चण्डीगढ़ में रहने के बाद वापस फिरोजाबाद आयी थी और इस दौरान उसकी अपने माता-पिता या परिवार वालों से कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हुई। फिर किस प्रकार वादी को घटना के

8 दिन बाद पता चल गया कि उसकी पुत्री/पीड़िता (ए) को अभियुक्त अमन बहला फुसला कर भगा ले गया है और उसके विरुद्ध नामजद एफ०आई०आर० बलात्कार करने की दर्ज करा दी है। अभियुक्त पक्ष का उक्त तर्क सही है, जिसका खण्डन अभियोजन ने नहीं किया है। अतः अभियोजन कथानक संदिग्ध व कपोल, कल्पनाओं से परिपूर्ण है।

51- पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त अमन के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त अमन अन्तर्गत धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के आरोपों में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्त अमन को धारा-363, 366, 376 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त अमन जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त अमन धारा-437 A दं०प्र०सं० के अनुपालन में रूपया 20,000/- का स्वबन्धपत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करे।

दिनांक: 11-04-2023

(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 11-04-2023

(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

UPFD010083562017



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।

उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"

पी०एस०टी० सं०-0002582/2017

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

बनाम

सन्तोष पुत्र रतन लाल, निवासी नगला कुम्हारन, कस्बा व थाना टूण्डला,  
जिला फिरोजाबाद।

----- अभियुक्त।

मु०अ०सं०-629/2017

धारा-376/511, 452, 506 भा०दं०सं०,

धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम

थाना-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

-: निर्णय :-

1- वादिया/पीड़िता (पी) की तहरीर पर, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं०-629/2017 पर अभियुक्त सन्तोष के विरुद्ध धारा-376/511, 452, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में आरोप-पत्र प्रदर्श क -9 प्रस्तुत करने पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार करने का प्रयास से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214, नगेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य फौजदारी अपील (एस०जे०) संख्या-750/2020, निर्णय दिनांकित 21-01-2021, एस रामकृष्ण बनाम राज्य (2009) 1 एस० सी० सी० 133 व अन्य एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम

पी०एस०टी० सं०-2582/2017, सरकार बनाम सन्तोष, मु०अ०सं०-629/2017, धारा-376/511, 452, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो एक्ट, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

**कोर्ट और विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध- 2(बी)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित करने से निषेधित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (पी) नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3- लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार वादिनी/पीड़िता (पी) पुत्री लाल बहादुर, निवासी गली नं०-4, एटा रोड़, टूण्डला, फिरोजाबाद की रहने वाली है। दिनांक 16-07-2017 को रात्रि 11:00 बजे वादिनी/पीड़िता (पी) घर में अकेली थी, तभी पड़ोस में रहने वाला सन्तोष पुत्र रतन लाल, निवासी नगला कुम्हारन, टूण्डला, वादिनी/पीड़िता (पी) के घर में छत के रास्ते कूद आया और वादिनी/पीड़िता (पी) के साथ बदतमीजी की तथा जबरदस्ती उसके कपड़े उतार दिये, वादिनी/पीड़िता (पी) के साथ गलत काम करने की कोशिश की और कहा कि मेरे साथ आगरा चल, मुझसे शादी कर ले। वादिनी/पीड़िता (पी) ने मना किया और चिल्लाने को कहा तो धमकी देकर भाग गया कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार दूंगा।

4- वादिनी/पीड़िता (पी) की उक्त तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में मु०अ०सं० - 629/2017 पर अन्तर्गत धारा-376, 511, 452, 506 भा०दं०सं० अभियुक्त सन्तोष के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 दर्ज की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-4 में किया गया।

5- मामले की विवेचना महेन्द्र सिंह, उ०नि० द्वारा की गयी, जिन्होंने दौरान विवेचना वादिनी/पीड़िता (पी), अभियुक्त एवं घटना से संबंधित सभी गवाहों के बयान अंकित किये। वादिनी/पीड़िता की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 बनाया। प्राथमिक विद्यालय, टूण्डला से वादिनी/पीड़िता (पी) का कक्षा-5 का उम्र संबंधी प्रमाणपत्र प्रदर्श क-7 व प्रस्थान प्रमाणपत्र प्रदर्श क-8 प्राप्त किये। वादिनी/पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया तथा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर अभियुक्त सन्तोष के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-376, 511, 452, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में आरोप पत्र प्रदर्श क-9 न्यायालय प्रेषित किया।

6- अभियुक्त सन्तोष को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान करके दिनांक 20-11-2017 को उसके विरुद्ध अन्तर्गत

धारा-376 सपठित धारा-511, 452, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम, आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

7- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	वादिनी/पीड़िता (पी)	तहरीर प्रदर्श क-1 एवं बयान अं० धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2
पी०डब्लू०-2	श्रीमती सोनी (मामी)	--
पी०डब्लू०-3	रोहताश कुमार, एच.सी.	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 एवं जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-4
पी०डब्लू०-4	कल्पना बघेल, म०कां.	पीड़िता (पी) का बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं०
पी०डब्लू०-5	महेन्द्र सिंह, उ०नि० (विवेचक)	नक्शा नजरी प्रदर्श क-6, पीड़िता (पी) का उम्र संबंधी प्रमाणपत्र प्रदर्श क-7, प्रस्थान प्रमाणपत्र प्रदर्श क-8 व आरोप पत्र प्रदर्श क-9
पी०डब्लू०-6	हरेन्द्र पाल सिंह (प्रधानाचार्य)	प्रवेश रजिस्टर की छायाप्रति प्रदर्श क-10

8- पी०डब्लू०-1 वादिनी/पीड़िता (पी) ने बयान में कहा है कि दिनांक 16-07-2017 को रात्रि के 10:30-11:00 बजे मैं घर में अकेली थी। मेरी माँ की मृत्यु हो गयी है। मेरे पापा मुरादाबाद गये थे, जिसका मौका पाकर मेरे पड़ोस में रहने वाला सन्तोष मेरे घर में, छत के रास्ते से कूद आया और मेरे साथ बदतमीजी कर जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिये, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। मुझसे कहा कि मेरे साथ आगरा चल, मुझसे शादी कर ले। मैं चिल्लाई, विरोध किया तो सन्तोष भाग गया और धमकी दी कि किसी से कुछ बताया तो जान से मार दूंगा। उसके बाद मैंने घटना अपनी मामी सोनी को बताई और मामी को लेकर थाने पर गयी। थाने में, दिनांक 17-07-2017 को गयी थी तथा मैंने स्वयं तहरीर लिखकर दी थी, जो पत्रावली पर मौजूद है, जिस

पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूँ। साक्षी ने यह भी कहा है कि उसके बाद पुलिस ने मेरा न्यायालय में बयान कराया था। साक्षी को बयान धारा-164 दं०प्र०सं० न्यायालय की अनुमति से खोल कर दिखाया व पढ़कर सुनाया तो अपने फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि की और कहा कि मैंने यह बयान निचली अदालत में दिया था। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से तहरीर प्रदर्शक-1 व बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्शक-2 को साबित किया है।

9- पी०डब्लू०-1 पीड़िता (पी) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा है कि -

मैं टूण्डला में अपने पिता के साथ रहती हूँ। मेरे पापा मुरादाबाद गये थे। उन्होंने कहा था कि मैं लेट आऊंगा। सन्तोष नाम का लड़का छत से कूद आया। यह घटना दिनांक 16-07-2017 के 10:30 बजे रात की है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने मेरी पजामी उतारी, चूड़ी भी उतारी। वह शराब पिए थे। उन्होंने कहा कि मेरे संग भाग चल, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वह भी नंगा हो गया था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, परन्तु मैंने ऐसा करने नहीं दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पापा मुझसे यह कह कर गये हैं कि तुम्हारी देखभाल करूँ, परन्तु मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं जोर-जोर से रोने लगी, तब वह भाग गया। मैं बाहर भाग रही थी, पर उसने मेरा पैर पकड़ लिया था। सन्तोष को मैं पहले से नहीं जानती, क्योंकि हम अभी नये-नये आये हैं। बाद में वह पकड़ लिया गया।

10- पी०डब्लू०-2 श्रीमती सोनी ने कहा है कि दिनांक 16-07-2017 को रात्रि के 10:30 बजे मेरी भांजी/पीड़िता (पी) घर पर अकेली थी। उसी रात्रि को सन्तोष छत के आगे रास्ते से मेरी भांजी के घर में घुस आया था और सन्तोष ने मेरी भांजी के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। उस दिन मेरे नन्दोई व पीड़िता (पी) के पापा मुरादाबाद गये थे। जब सन्तोष ने गलत काम करने का प्रयास किया तो पीड़िता (पी) ने सन्तोष से कहा कि मैं अपनी मामी से कह दूंगी। फिर सन्तोष ने पीड़िता (पी) के हाथ-पैर बांध दिये थे। कड़कड़ा-2 कर पीड़िता (पी) का एक हाथ खुल गया। उसके बाद सन्तोष भाग गया। यह सारी घटना पीड़िता (पी) ने मुझे बताया था। पीड़िता (पी) से पुलिस ने

पूछताछ की थी, मुझसे पुलिस ने पूछताछ नहीं की थी। पुलिस ने मुझसे दूसरे दिन पूछताछ की थी।

**11- पी०डब्लू०-3 रोहताश कुमार, एच०सी०** ने कहा है कि दिनांक 18-07-2017 को मैं, थाना टूण्डला में बतौर कांस्टेबल क्लर्क तैनात था। ड्यूटी के दौरान प्रभारी निरीक्षक के डाक पैड से वादिया/पीड़िता (पी) पुत्री लाल बहादुर, निवासी गली नं०-4, एटा रोड़, टूण्डला का प्रार्थनापत्र अभियोग पंजीकृत करने के संबंध में प्राप्त हुआ। प्रभारी निरीक्षक के आदेश के अनुपालन में प्राप्तशुदा तहरीर पर मैंने कम्प्यूटर पर अपराध संख्या-629/2017, धारा-376, 511, 452, 506 भा०द०सं० बनाम सन्तोष पुत्र रतन लाल दर्ज किया था, जिसकी सूचना पीड़िता/वादिया को दी तथा विवेचना एस०आई० श्री महेन्द्र सिंह भदौरिया को सुपुर्द की। अभियोग का खुलासा रपट सं०-37, समय 16:45 बजे, दिनांक 18-07-2017 को रोजनामचा आम में किया था, जो पत्रावली पर मौजूद हैं। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 व जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क-4 को साबित किया है।

**12- पी०डब्लू०-4 कल्पना बघेल, महिला कां०** ने कहा है कि दिनांक 21-07-2017 को मैं, थाना टूण्डला में म०कां० के पद पर तैनात थी। उस दिन मुकदमा अपराध सं०-629/2017, धारा-376, 511, 452, 506 भा०द०सं० की पीड़िता (पी) पुत्री लाल बहादुर, निवासी गली नं०-4, थाना टूण्डला का बयान धारा-161 दं०प्र०सं० मेरे द्वारा इस मुकदमा के विवेचक उ०नि० महेन्द्र सिंह भदौरिया के आदेशानुसार अंकित किया था। इस मुकदमे की पीड़िता (पी) ने जो कुछ मुझे बताया था, वही मैंने लिखा था। लिखने के बाद पीड़िता के हस्ताक्षर कराये थे। बयान धारा-161 दं०प्र०सं० पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से पीड़िता (पी) का बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-5 को साबित किया है।

**13- पी०डब्लू०-5 महेन्द्र सिंह, उ०नि०/विवेचना** ने कहा है कि दिनांक 19-07-2017 को मैं, थाना टूण्डला में बतौर उप निरीक्षक नियुक्त था। मुकदमा अपराध संख्या-629/2017, धारा-376, 511, 452, 506 भा०द०सं० बनाम सन्तोष पुत्र रतन लाल, निवासी नगला कुम्हारान, कस्बा व थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना मुझे सुपुर्द की गयी थी। मैंने दौरान

विवेचना वादिनी/पीड़िता, अभियुक्त एवं घटना से सम्बन्धित सभी गवाहों के बयान अंकित किये। वादिनी की निशानदेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। प्राथमिक विद्यालय, टूण्डला से वादिनी का कक्षा-5 का उम्र के संबंध में प्रमाणपत्र एवं प्रस्थान प्रमाणपत्र प्राप्त किये, जिसमें पीड़िता पिकी की जन्मतिथि 07-09-2004 अंकित है। उक्त प्रपत्रों के संबंध में संबंधित के बयान अंकित किये। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया तथा सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर अभियुक्त सन्तोष के विरुद्ध धारा-376, 511, 452, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान में नक्शा नजरी घटना स्थल प्रदर्शक-6, पीड़िता (पी) की उम्र के संबंध में स्कूल द्वारा जारी प्रमाण-पत्र कक्षा-7 व प्रस्थान प्रमाणपत्र प्रदर्शक-8 एवं आरोप पत्र प्रदर्शक-9 को साबित किया है।

**14-** पी०डब्लू०-6 हरेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य ने कहा है कि पीड़िता (पी) पुत्री लाल बहादुर ने प्राथमिक विद्यालय, टूण्डला में शिक्षा ग्रहण की थी। प्रवेश रजिस्टर में क्रम सं०-8306 पर पीड़िता (पी) का नाम और उसकी जन्मतिथि 07-09-2004 अंकित है। आज मैं, विद्यालय का मूल प्रवेश रजिस्टर साथ लेकर आया हूँ, जिसकी छाया प्रति पत्रावली पर दाखिल कर रहा हूँ, जो मेरे द्वारा प्रमाणित है, विद्यालय की मुहर लगी है। मेरे द्वारा दिनांक 29-07-2017 को दरोगा जी को पीड़िता (पी) पुत्री लाल बहादुर की शिक्षा ग्रहण करने का प्रमाणपत्र व लीविंग सर्टिफिकेट दिया गया था, जिनमें पीड़िता (पी) की जन्मतिथि 07-09-2004 अंकित है, जिन पर विद्यालय की मुहर लगी है और मेरे हस्ताक्षर हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ, जिन पर पूर्व में प्रदर्शक-7 व प्रदर्शक-8 डाला जा चुका है। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से प्रवेश रजिस्टर की छाया प्रति को प्रदर्शक-10 को साबित किया है।

**15-** अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

**16-** अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 02-11-2023 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक एवं वादिया/पीड़िता (पी) के कथनों को गलत बताया और कहा कि पी०डब्लू०-2 सोनी ने गलत कथन किया है। पी०डब्लू०-3 हैड०कां० रोहताश ने गलत मुकदमा दर्ज किया है।

पी०डब्लू०-4 महिला कां० कल्पना बघेल ने पीड़िता का बयान धारा-161 दं०प्र०सं० गलत दर्ज किया है। पी०डब्लू०-5 महेन्द्र सिंह, विवेचक ने गलत विवेचना करके गलत आरोप पत्र दाखिल किया है। पी०डब्लू०-6 हरेन्द्र पाल, प्रधानाचार्य ने गलत प्रपत्र साबित किए हैं। गवाहन ने उसके विरुद्ध रंजिशन गवाही दी है तथा उसके विरुद्ध मुकदमा झूठा चला है।

17- विशेष कथन में अभियुक्त ने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। सोनी और मेरी पत्नी सीमा में झगड़ा हुआ था। दूसरे दिन सोनी ने कहा कि तुम चौराहे पर आ जाओ, कुछ बात करनी है। मैं वहीं बैठा हुआ था, तभी पुलिस आ गई और गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट लिख ली, उनके बयान लेकर मुझे जेल भेज दिया। सोनी, लाल बहादुर के साथ रहती है। सोनी के पति का नाम गिराज है। सोनी का आदमी मेरे पक्ष में गवाही देना चाहता है।

18- अभियुक्त द्वारा अपने बयान में सफाई साक्ष्य देना कहा तथा सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू०-1 गिराज को परीक्षित कराया है।

19- मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री संजीव शर्मा एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुलश्रेष्ठ, एडवोकेट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

20- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

21- धारा-452 भारतीय दण्ड संहिता - उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात् गृह-अतिचार - जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति की उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह-अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

22- बलात्संग की परिभाषा, दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा-9 द्वारा धारा-375 के स्थान पर प्रतिस्थापित की गयी है जो दिनांक 03-02-2013 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी है। नवीन धारा-375 भा०दं०सं० निम्न प्रकार है -

बलात्संग - मनुष्य "बलात्संग" करता है, यह कहा जाता है, यदि वह व्यक्ति -

(क) अपने लिंग को, किसी सीमा तक, स्त्री की योनि, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के ऐसे किसी अंग को, जो लिंग नहीं है, स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(ग) स्त्री के शरीर के किसी अंग से इस प्रकार का हस्तसाधन करता है, जिससे कि ऐसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी अंग में प्रवेशन कारित किया जाये या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(घ) अपने मुख को स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

ऐसा निम्न लिखित सात विवरणों में से किसी के अधीन आने वाली परिस्थितियों के अधीन किया

जाता है -

**प्रथम** - उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।

**दूसरा** - उस स्त्री की सम्मति के बिना।

**तीसरा** - उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है।

**चौथा** - उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है, क्योंकि वह विश्वास करती है कि वह एक ऐसा पुरुष है, जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

**पाँचवाँ** - उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चित्त या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ का सेवन कराये जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति एवं परिणामों को समझने में असमर्थ है।

**छठवाँ** - उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह अठारह वर्ष से कम आयु की है।

**सातवाँ** - जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

**स्पष्टीकरण 1** - इस धारा के प्रयोजनों के लिये, 'योनि' (Vagina) में बृहद् भगोष्ठ (Labia Majora) भी शामिल हैं।

**स्पष्टीकरण 2** - सम्मति से ऐसा स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, भावभंगिमाओं या मौखिक या गैर-मौखिक संसूचना के किसी भी रूप द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कार्य में भागीदारी करने की रजामन्दी संसूचित करती है :

परन्तु यह कि वह स्त्री, जो शारीरिक रूप से लैंगिक प्रवेशन का प्रतिरोध नहीं करती, केवल इसी तथ्य के कारण वह लैंगिक क्रिया-कलाप में सम्मति देने वाली नहीं मानी जाएगी।

**अपवाद 1** - किसी चिकित्सा प्रक्रिया या अन्तःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा।

**अपवाद 2** - किसी पुरुष का अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन या यौन क्रिया बलात्संग नहीं है, जब पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।

**धारा-376 भा०दं०सं०** बलात्कार के अपराध से संबंधित है। किसी व्यक्ति को तब कहा जाता है कि उसने बलात्कार किया है, जब वह अपना लिंग किसी भी सीमा तक स्त्री की योनि में घुसाता है। उसका लिंग योनि में कितना अन्दर गया है, महत्वहीन है। किसी व्यक्ति द्वारा थोड़ा सा भी लिंग को स्त्री की योनि में प्रवेश कराना, बलात्कार कहा जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि (a) धारा-375 यह कहती है कि किसी पुरुष द्वारा अपने लिंग को किसी सीमा तक स्त्री की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में डालना या घुसाना बलात्कार है, चाहे कोई पुरुष लिंग योनि में डालता है अथवा स्त्री द्वारा ऐसा कराता है, ऐसा करना बलात्कार कहलायेगा। यहाँ तक कि एक स्त्री भी मनुष्य के लिंग को अपनी योनि में डाल सकती है। खण्ड (क) लिंग को योनि में डालने या घुसाने से संबंधित है।

धारा-375 का खण्ड (ख) यह कहता है कि मनुष्य द्वारा लिंग के अतिरिक्त भी किसी वस्तु या शरीर का कोई अंग किसी सीमा तक योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसाना या डालना या स्त्री से डलवाना, जो लिंग नहीं है, बलात्कार कहलाता है। धारा-375 के खण्ड (ग) के अनुसार यदि कोई मनुष्य, महिला के शरीर के किसी भाग को इस प्रकार हस्तसाधन करता है, जिससे कि उसका लिंग स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या स्त्री से ऐसा अपने शरीर या किसी व्यक्ति के शरीर के साथ कराता है।

धारा-375 के खण्ड (घ) के अनुसार यदि कोई पुरुष स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना मुंह लगाता/चाटता है तो इसे भी बलात्कार कहा जाता है। यदि कोई पुरुष किसी महिला से ऐसा कार्य कराता है या वह स्वयं करता है या अन्य व्यक्ति से कराता है, तो उसे भी बलात्कार कहते हैं। कोई भी काम जो धारा-375 भा०दं०सं० के खण्ड (क) से खण्ड (घ) के अन्दर आता है, उसे धारा में वर्णित सात प्रकार की परिस्थितियों में होना चाहिए। परन्तु ऐसा जुमाना पीड़िता/पीड़ित के चिकित्सीय खर्चा और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होना चाहिए। इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी जुमाने का भुगतान पीड़िता को किया जायेगा।

**23-** **धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता - बलात्संग के लिए दण्ड** - (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबन्धित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी (अधिनियम संख्या-22 वर्ष 2018 की धारा-4 द्वारा "सात वर्ष" के स्थान पर "दस वर्ष" दिनांक 21-04-2018 से किया गया है), किन्तु जो **आजीवन कारावास तक** की हो सकेगी **और जुमाने** से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई -

(क) पुलिस अधिकारी होते हुये -

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा,

या

- (ii) किसी भी थाने के परिसर में बलात्संग करेगा, या  
 (iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या  
 (ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में स्त्री से बालात्संग करेगा, या  
 (ग) सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र में परिनियुक्त है, ऐसे क्षेत्र में बलात्संग करेगा, या  
 (घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या विधि के अधीन स्थापित किसी कारागार, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का अथवा स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का प्रबन्धन वर्ग या कर्मचारीवृन्द होते हुए, ऐसे कारागार, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्थान के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या  
 (ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्धन वर्ग या कर्मचारीवृन्द होते हुए, उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या  
 (च) स्त्री का संबंधी, संरक्षक या अध्यापक या उसके प्रति विश्वास या प्राधिकार की स्थिति में रहते हुए ऐसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या  
 (छ) साम्प्रदायिक या अलगाववाद हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा, या  
 (ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा,  
 (झ) 2[ \* \* \* ]  
 (ञ) उस स्त्री से बलात्संग करेगा, जो सम्मति देने में असमर्थ है,  
 (ट) किसी स्त्री के नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में रहते हुए, ऐसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

- (ठ) मानसिक या शारीरिक नियोग्यता से पीड़ित स्त्री से बलात्संग करेगा, या  
 (ड) बलात्संग करते समय स्त्री को घोर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्वृपित करेगा या जीवन को संकटापन्न करेगा, या  
 (ढ) उसी स्त्री से बार-बार बलात्संग करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि उस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन के शेष के लिए कारावास से होगा, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

**स्पष्टीकरण** - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -

- (क) 'सशस्त्र बल' से नौसेना, सैना एवं वायुसैना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अर्द्धसैनिक बलों एवं किसी सहायक बलों को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, शामिल करके तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य शामिल है।  
 (ख) 'अस्पताल' से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता है, जो आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों को चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा करने वाले व्यक्तियों को ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिए है।

(ग) 'पुलिस अधिकारी' का वही अर्थ होगा, जैसा कि पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) के अधीन पद 'पुलिस' को समनुदेशित है।

(घ) 'स्त्रियों या बालकों की संस्था' से स्त्रियों या बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसका नाम अनाथालय या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह या विधवाओं का गृह या किसी अन्य नाम से पुकारे जाने वाली संस्था।

1[(3) जो कोई सोलह वर्ष की कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा :

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। ]

**24-** धारा-511 भारतीय दण्ड संहिता - आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दण्डनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दण्ड - जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दण्डनीय अपराध करने का, या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा,

और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दशा में कोई कार्य करेगा, जहाँ कि ऐसे प्रयत्न के दण्ड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबन्ध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया है, वहाँ वह उस अपराध के लिए उपबन्धित किसी भाँति के कारावास से, उस अवधि के लिए, जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबन्धित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या ऐसे जुमाने से जो उस अपराध के लिए उपबन्धित है, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

**25-** धारा-506 भारतीय दण्ड संहिता - आपराधिक अभिन्नास के लिए दण्ड - जो कोई आपराधिक अभिन्नास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री पर असतीत्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमाने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

**26-** धारा-7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - लैंगिक हमला - जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक सम्पर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

**27-** धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - लैंगिक हमले के लिए दंड - जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुमाने से भी दंडनीय होगा।

### -: निष्कर्ष :-

**28-** अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त सन्तोष के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

**29-** प्रस्तुत मामले में अभियुक्त सन्तोष की भूमिका व संलिप्तता का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य पर आधारित है। अतः अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकन बचाव पक्ष के तर्कों के दृष्टिगत किया जाना है।

**30-** प्रश्नगत अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी कमी का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट 2012 इस सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है। धारा 29 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा किये जाने तथा धारा-30 पोक्सो अधिनियम,

2012 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

31- धारा-29 पोक्सो अधिनियम 2012- कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा- जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

32- धारा-30 पोक्सो अधिनियम 2012, आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा-

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

**स्पष्टीकरण-** इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

33- इस प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान आज्ञापक हैं और उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना तथा अभियुक्त की आपराधिक मनः स्थिति की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसे अभियुक्त अपनी साक्ष्य से खण्डित कर सकता है।

34- केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले की विवेचना महेन्द्र सिंह भदौरिया, उ०नि० ने मात्र 5 पृष्ठों में पूर्ण करके अभियुक्त सन्तोष के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-376/511, 452, 506 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया।

35- माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्पल दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, बैजनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, 2010 (70) ए०सी०सी० 11 सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय द्वारा नवी अहमद बनाम उ०प्र० राज्य, 1999 (2) क्राइम 272 में यह अवधारित किया कि धारा-164 द०प्र०सं० के कथन को सारवान साक्ष्य के रूप में प्रयोग में नहीं ला सकते। उक्त कथन का प्रयोग मात्र धारा-145 व 157 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्षी को सम्पुष्ट करने एवं उसके साक्ष्य को खण्डित करने के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है।

36- माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुसाउद्दीन अहमद बनाम असम राज्य 2009 (66) ACC 682 सु०को० में यह प्रतिपादित किया है कि यदि पीड़िता के द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान एवं धारा-164 द०प्र०सं० के कथनों में गम्भीर विरोधाभास हो, तो यह अभियोजन के मामले को संदेहास्पद बनाता है। धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयान मौलिक साक्ष्य नहीं है और न ही इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। यह विधि व्यवस्था प्रस्तुत मामले में अनुकरणीय है।

37- धारा-161 द०प्र०सं० एवं धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित कथनों का उपयोग केवल कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों को खण्डित करने एवं सम्पोषित करने के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था नबी बनाम उ०प्र० राज्य-1999 (2) क्राइस 272 में यह अवधारित किया है कि धारा 164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित कथनों को सारवान साक्ष्य के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस कथन का प्रयोग मात्र धारा 145 व धारा 157 साक्ष्य विधि के अन्तर्गत साक्षी के कथन को सम्पुष्ट करने एवं उसके कथन को खण्डित करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

### -: आयु निर्धारण :-

38- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम - 2000 की धारा-2(घ) में "बालक" को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था प्रदत्त है कि - "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

39- विधि व्यवस्था जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 (7) एस०सी०सी० 263, गजब सिंह बनाम पंजाब राज्य 2019(2) आर०सी०सी०आर० (क्रि०) 631, ईरा द्वारा मंजुला कृपेन्दडोर्फ बनाम

राज्य (दिल्ली एन०सी०टी० सरकार) और अन्य, 2017 (15) एस०सी०सी० 13, चमन खाँ बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य, मनु/उ०प्र०/2952/2019, के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा अधिनियम 2015 के अन्तर्गत बालक (नर/मादा) की आयु का निर्धारण घटना के समय प्रचलित पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाएगा।

40- यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम -2015, दिनांक 15-01-2016 से लागू हुआ है। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि जब विवाद जन्मतिथि का हो और प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हो तो अधिनियम-2015 उपरोक्त के प्रकाश में धारा-94 में प्रस्तुत व्यवस्था के दृष्टिगत वरीयता, प्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में अन्य प्रमाणपत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम-2015 में प्रथम विद्यालय से निर्गत प्रमाणपत्र को वरीयता दी गयी है, अर्थात् हाईस्कूल से निर्गत प्रमाणपत्र के ऊपर वरीयता प्रथम बार प्रवेश लिए गये विद्यालय के प्रमाणपत्र को दी जायेगी।

41- पी०डब्लू०-1 वादिया/पीड़िता (पी) ने तहरीर प्रदर्शक-1 एवं बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र/जन्मतिथि नहीं बताई है। बयान धारा-161 दं०प्र०सं०, दिनांक 21-07-2017 में अपनी उम्र 16 वर्ष बताई है और न्यायालय में दिये बयान दिनांक 12-12-2018 को अपनी उम्र 15 वर्ष बताई है। जिरह में कहा कि मैं कक्षा-9 में पढ़ रही हूँ। पुनः जिरह दिनांक 26-02-2019 को कहा कि मैं कक्षा-9 के पेपर देकर आई हूँ। मैं, R/o का मतलब नहीं जानती। वर्ष 2017 में 16 वर्ष एवं वर्ष 2018 में 15 वर्ष बताई, जबकि एक वर्ष बाद आयु बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। आयु के संबंध में बयान अविश्वसनीय है।

42- मैंने, मैनपुरी में विद्यालय में कक्षा-1 पास किया था। मैं, 4-5 साल एटा हॉस्टल में रहकर पढ़ी थी। मैं, किस सन् से, किस सन् तक एटा हॉस्टल में पढ़ी। मैं, एटा हॉस्टल में कक्षा-3, 4 पास कर चुकी थी। मैं, जिस विद्यालय में 4-5 साल पढ़ी और विद्यालय में रही, उस विद्यालय का नाम व स्थान नहीं जानती। उसके बाद मैं, मैनपुरी के विद्यालय में ताई तारु के पास रहकर पढ़ी थी। यहाँ पर आकर कक्षा-8, 9 पास किया। मैंने तारु-ताई के पास जाकर कक्षा-1 पास की थी।

मैं सबसे पहले एटा हॉस्टल में रहकर पढ़ी, उसके बाद मैनपुरी ताऊ-ताई के पास रहकर पढ़ी। इन दोनों विद्यालयों के नाम मुझे नहीं मालूम। उसके बाद मैं तीसरे विद्यालय, इन्दिरा गाँधी विद्यालय, टूण्डला से कक्षा-3 पास किया। उसके बाद मैंने एक और विद्यालय से कक्षा-4 पास किया। उसके बाद मैं आगे नहीं पढ़ी, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग गयी थी। कक्षा-5, 6, 7 की शिक्षा मैंने किसी विद्यालय से प्राप्त नहीं की और ना ही आज तक पास की। कक्षा-8 मैंने ठा० वीरी सिंह से पास किया था। मेरे पिताजी ने कक्षा-7 पास की टी०सी० किस विद्यालय से बनवाई, मुझे नहीं मालूम। फिर कहा एटा विद्यालय में, हॉस्टल में रही थी, उसमें पाँच साल पढ़ी थी। एडमीशन पिताजी ने कराया था। क्या जन्मतिथि लिखाई थी, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि मैनपुरी के विद्यालय और टूण्डला के इन्दिरा गाँधी विद्यालय में मेरी जन्मतिथि क्या लिखी हुई है।

43- मुझे याद नहीं कि मैंने कक्षा-4 किस सन् में पास किया। कक्षा-4 पास करने के बाद चोट लगने पर अपने घर तीन वर्ष बैठी रही। इन तीन साल दौरान मैं किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ी। यह सही है कि मैंने कक्षा-7 पास नहीं किया। मेरे पिताजी कक्षा-7 पास की टी०सी० कहाँ से बनवा कर लाए, ये वो जानें। यह सही है कि तहरीर में मैंने अपनी कोई उम्र नहीं लिखी है।

44- पी०डब्लू०-2 सोनी, मामी ने पीड़िता (पी) की आयु/शिक्षा/जन्मतिथि के संबंध में कोई कथन नहीं किया है।

45- पी०डब्लू०-4 म०कां० कल्पना बघेल ने पीड़िता (पी) का बयान धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित किया, उसमें पीड़िता (पी) ने अपनी जन्मतिथि/आयु का उल्लेख नहीं किया है।

46- पी०डब्लू०-5 विवेचक महेन्द्र सिंह भदौरिया ने पीड़िता (पी) की कक्षा-5 का उम्र के संबंध में प्रमाणपत्र प्रदर्श क-7 प्राथमिक विद्यालय, टूण्डला से प्राप्त किया, जिसमें पीड़िता (पी) की जन्मतिथि दिनांक 07-09-2004 अंकित है, जो प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, टूण्डला से सत्यापित है। पीड़िता (पी) की उम्र के संबंध में टी०सी० प्रदर्श क-8 प्राप्त की, जिसमें जन्मतिथि दिनांक 07-09-2004 अंकित है। श्री हरेन्द्र यादव, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, टूण्डला के बयान अंकित किए तथा प्रमाणपत्र का अवलोकन कर धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम बढ़ाई और अन्ततः आरोप पत्र पर प्रदर्श क-9 डाला गया।

47- विवेचक ने जिरह में कहा कि प्रदर्श क-7 प्रमाणपत्र मेरे हस्तलेख में नहीं हैं। प्रदर्श क-8 टी०सी० की छाया प्रति है। इसको मूल से मिलान करके प्रमाणित नहीं किया गया है। इस पर भी मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं, न हस्तलेख में हैं।

48- पी०डब्लू०-6 हरेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य, प्राथमिक विद्यालय, टूण्डला ने कहा कि पीड़िता (पी) ने प्राथमिक विद्यालय, टूण्डला में शिक्षा ग्रहण की। प्रवेश रजिस्टर प्रदर्श क-10 में क्रम संख्या-8306 पर पीड़िता का नाम और उसकी जन्मतिथि दिनांक 07-09-2004 अंकित है। मूल प्रवेश रजिस्टर से इसे प्रमाणित किया है। साक्षी ने पीड़िता (पी) की शिक्षा ग्रहण करने का प्रमाणपत्र प्रदर्श क-7 एवं प्रस्थान प्रमाणपत्र प्रदर्श क-8 को अपनी साक्ष्य से साबित किया है।

49- साक्षी ने जिरह में कहा कि एस०आर० रजिस्टर में पीड़िता (पी) का इस विद्यालय में पहली बार प्रवेश लिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। क्रम संख्या-8306 पर पीड़िता (पी) द्वारा दूसरी बार प्रवेश लिए जाने का उल्लेख है। पहली बार प्रवेश लिए जाने का कोई रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं है। कब और किस तारीख को दाखिला हुआ, मुझे नहीं मालूम। एस०आर० रजिस्टर में प्रवेश दिनांक अंकित नहीं है। कक्षा-1 का कोई रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं है। जन्मतिथि से संबंधित कोई प्रमाणपत्र, शपथपत्र, प्रवेश फार्म में साथ लेकर नहीं आया हूँ। एस०आर० रजिस्टर, बी०एस०ए० द्वारा प्रमाणित नहीं हैं और ना ही इस पर विद्यालय की मुहर लगी है। इस रजिस्टर पर कोई पृष्ठ अंकित नहीं है। सत्र 2008-09 में 15 एवं सत्र 2009-10 में कुल 6 दाखिले हुए हैं। क्रमांक संख्या-7933 से आगे पृष्ठों पर सत्र वर्ष भी नहीं पड़ा है। प्रवेश रजिस्टर के पृष्ठों पर विद्यालय का नाम भी अंकित नहीं है। प्रवेश रजिस्टर में पीड़िता (पी) की माँ का नाम मुन्नी देवी लिखा है। यह सही लिखा है या गलत लिखा है, मुझे जानकारी नहीं है। प्रदर्श क-8 टी०सी० फोटो स्टेट है, इस पर मेरे द्वारा प्रमाणित नहीं लिखा गया है।

50- अभियुक्त सन्तोष ने बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में पीड़िता (पी) को घटना के समय नाबालिग होना गलत कहा है। पीड़िता (पी) द्वारा गलत बयान देना, सोनी द्वारा झूठा बयान देना और हरेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य द्वारा गलत प्रपत्र साबित करना कहा है। सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू०-1 गिर्राज को परीक्षित कराया है, परन्तु उसने पीड़िता (पी) की आयु/जन्मतिथि के खण्डन में कोई कथन ,

प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया।

51- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 लागू है जिसके अन्तर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016 बनाये गये हैं, जिसके नियम 54(18) (IV) के अनुसार पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

52- आयु के निर्धारण के लिए धारा 94(2) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार निम्नलिखित प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

53- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार पीड़िता की आयु का निर्धारण प्रथमतः शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मान्य होगा।

54- वादिया/पीड़िता (पी) ने घटना के समय, तहरीर एवं धारा-164 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र नहीं बताई है। बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में अपनी उम्र 16 वर्ष बताई है। एक वर्ष बाद न्यायालय में दिये बयान में दिये बयान में अपनी उम्र 15 वर्ष बताई है। पी०डब्लू०-6 हरेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य ने प्रमाणपत्र प्रदर्श क-7 एवं स्थानान्तरण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-8 में पीड़िता (पी) की जन्मतिथि 07-09-2004 बताई है और पीड़िता (पी) को उनके विद्यालय में कक्षा-5 तक शिक्षा प्राप्त करना कहा है, जबकि पीड़िता (पी) ने अपने बयान में स्पष्ट कहा कि उसने कक्षा-5, 6, 7 किसी विद्यालय से शिक्षा प्राप्त नहीं की है।

कक्षा-7 पास की फर्जी मार्कशीट पापा बनवा कर लाए थे, तब ठा० वीरी सिंह कालेज से कक्षा-8 पास किया था। हरेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य ने अपने बयान में कहा कि पीड़िता (पी) ने कक्षा-1 कहाँ से पास की, उनको नहीं मालूम। उन्होंने केवल कक्षा-5 पास की टी०सी० की छायाप्रति जारी की है और उनके पास असल मौजूद नहीं है, जबकि पीड़िता (पी) इसके विपरीत बयान दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता (पी) के पिता द्वारा पीड़िता की शिक्षा के संबंध में फर्जी प्रमाणपत्र बनवाए गये हैं।

55- पीड़िता (पी) अपनी शिक्षा/जन्मतिथि के संबंध में परस्पर विरोधी बयान न्यायालय के समक्ष दिए हैं। सर्व प्रथम उसने कक्षा-1 अपने तारु-ताई के पास मैनपुरी में रहकर पढ़ना कहा। फिर कहा कि मैं सबसे पहले एटा हॉस्टल में रहकर चार-पाँच साल पढ़ी, उसके बाद एक और विद्यालय में पढ़ी, वहाँ से कक्षा-4 पास किया था, लेकिन हॉस्टल एवं विद्यालय का नाम व पता बताने में असमर्थ है। मैनपुरी और टूण्डला के विद्यालय, जहाँ उसने शिक्षा ग्रहण की, उनके नाम उसे याद नहीं हैं। पीड़िता (पी) ने कक्षा-5, 6, 7 किसी विद्यालय से पास नहीं की है। कक्षा-7 पास करना नहीं कहा है। पिता द्वारा बनवाई गई फर्जी टी०सी० के आधार पर कक्षा-8 में ठा० वीरी सिंह इण्टर कालेज, टूण्डला से पास किया और बयान देते समय कक्षा-9 में पढ़ना कहा है। कक्षा-5 किसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण नहीं की, फिर तथाकथित प्रमाणपत्र प्रदर्शक-7 एवं टी०सी० प्रदर्शक-8, कक्षा-5 की किस प्रकार हरेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित की गयी, जबकि उन्होंने पीड़िता (पी) को इस विद्यालय में पुनः प्रवेश लेना कहा है, परन्तु पीड़िता (पी) द्वारा प्रथम प्रवेश लेने के संबंध में विद्यालय में कोई अभिलेख क्यों मौजूद नहीं है, इसको अभियोजन स्पष्ट करने में पूर्णतः असफल रहा है।

56- धारा 94 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं तथ्य के साक्षियों अनुसार पीड़िता (पी) की उम्र घटना दिनांक 16-07-2017 को 16 वर्ष थी, जबकि शैक्षिक प्रपत्रों में अंकित जन्मतिथि दिनांक 07-09-2004 के अनुसार उसकी उम्र 12 वर्ष, 10 माह, 09 दिन होती है। तथ्य एवं औपचारिक साक्षियों के बयानों में तात्विक विरोधाभास है। पीड़िता (पी) की आयु/जन्मतिथि संबंधित शैक्षिक अभिलेख एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य पूर्णतः स्थापित है कि पीड़िता (पी) घटना के समय 13 वर्ष, 15 वर्ष या

16 वर्ष की नाबालिग थी। अभियुक्त सन्तोष ने घटना के समय पीड़िता (पी) की आयु/जन्मतिथि/शिक्षा के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली में दाखिल नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि पीड़िता (पी) घटना दिनांक 16-07-2017 को बालिग थी।

57- उपरोक्त विवेचन अनुसार घटना दिनांक 16-07-2017 को पीड़िता (पी) की आयु/जन्मतिथि दिनांक 07-09-2004 के अनुसार, केवल प्रस्तुत मामले के लिए पीड़िता (पी) की आयु 12 वर्ष, 10 माह, 09 दिन, नाबालिग निर्धारित की जाती है।

### -: आरोपित अपराध का विवेचन :-

58- पी०डब्लू०-1 वादिया/पीड़िता (पी) ने तहरीर प्रदर्शक-1 में लिखा है कि दिनांक 16-07-2017 को रात्रि 11:00 बजे मैं घर में अकेली थी। पड़ोसी सन्तोष मेरे घर में छत के रास्ते कूद आया। मेरे साथ बदतमीजी करी। जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिये। मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की। मुझसे कहा मेरे साथ आगरा चल, मुझसे शादी कर ले, फिर मैंने मना किया। चिल्लाने की कहा तो फिर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया।

59- पीड़िता (पी) ने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में तहरीर का समर्थन किया और बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा कि, मैं टूण्डला में अपने पिता के साथ रहती हूँ। मेरे पापा मुरादाबाद गये थे। सन्तोष नाम का लड़का छत से कूद आया। यह घटना दिनांक 16-07-2017 के 10:30 बजे रात की है। उसने मेरे साथ बदतमीजी की। उसने मेरी पजामी उतारी, चड्डी भी उतारी। वह शराब पिए थे। उन्होंने कहा कि मेरे संग भाग चल, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वह भी नंगा हो गया था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, परन्तु मैंने ऐसा करने नहीं दिया। उसने कहा कि तुम्हारे पापा मुझसे यह कह कर गये हैं कि तुम्हारी देखभाल करूँ, परन्तु मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं जोर-जोर से रोने लगी, तब वह भाग गया। मैं बाहर भाग रही थी, पर उसने मेरा पैर पकड़ लिया था। सन्तोष को मैं पहले से नहीं जानती, क्योंकि हम अभी नये-नये आये हैं। बाद में वह पकड़ लिया गया।

60- पीड़िता (पी) ने न्यायालय में दिये बयान में कहा कि मेरी माँ की मृत्यु हो गयी है। पापा मुरादाबाद गये थे। पड़ोसी सन्तोष मेरे घर में छत के रास्ते कूद आया। मेरे साथ बदतमीजी कर जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिये और गलत काम करने की कोशिश की। मुझसे कहा

आगरा चल, मुझसे शादी कर ले। चीखी-चिल्लाई, विरोध किया तो सन्तोष भाग गया और धमकी दी किसी से कुछ बताया तो जान से मार दूंगा। घटना को मैंने अपनी मामी सोनी को बताया और मामी को लेकर थाने में दिनांक 17-07-2017 को गयी थी। तहरीर मैंने स्वयं लिखकर दी थी।

**61-** पीड़िता (पी) ने जिरह में कहा कि घटना की रिपोर्ट मैंने दूसरे दिन लिखाई थी। अपनी मामी के साथ स्वयं थाने गयी थी। मैंने रिपोर्ट 18 तारीख को नहीं, बल्कि 17 तारीख को कराई थी, जबकि प्रदर्श क-3 चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 16-07-2017 की रिपोर्ट थाना टूण्डला पर दिनांक 18-07-2017 को दर्ज की गई है, जिसका सत्यापन जी०डी० सं०-37, दिनांक 18-07-2017, समय 16:45 बजे, प्रदर्श क-4 से होता है। बाद में पीड़िता (पी) ने स्वयं माना कि घटना की रिपोर्ट 18 तारीख को पौने पाँच बजे, जब मुल्जिम आ गया था, तब लिखी गयी थी।

**62-** मुल्जिम गायब हो गया था। 18 तारीख को शाम 06:00 बजे के करीब मुल्जिम को पुलिस ने पकड़ा था। मुल्जिम पकड़े जाने के बाद मेरी रिपोर्ट लिखी गयी थी। पुलिस ने बिना रिपोर्ट लिखे अभियुक्त सन्तोष को किस अपराध में गिरफ्तार किया, इसको स्पष्ट करने में अभियोजन असमर्थ रहा है। पीड़िता (पी) ने कहा कि 17 तारीख को थाने पर मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी थी, क्योंकि थाने पर सर ने कहा था कि पहले मुल्जिम ढूँढ़ेंगे, उसके बाद रिपोर्ट दर्ज करेंगे, यह बात मेरी तहरीर में नहीं लिखी है। पुलिस ने मेरा बयान 17 तारीख को दोपहर 12:00 बजे और थाने पर 18 तारीख को पौने पाँच बजे, जब मुल्जिम आ गया था, तब लिया था, जबकि 17 एवं 18 तारीख को शाम पौने पाँच बजे तक, सन्तोष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, तो दरोगा जी ने पीड़िता (पी) का बयान किस अपराध की विवेचना में दो बार दर्ज किया, इस तथ्य को पीड़िता (पी), विवेचक स्पष्ट करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। यह तथ्य अभियोजन कथानक के विपरीत, एन्टी टाईम एफ०आई०आर० को प्रदर्शित करता है।

**63-** पीड़िता (पी) ने पुनः जिरह में कहा कि दरोगा जी के बोलने पर मैंने तहरीर प्रदर्श क-1 में R/o लिखा है। दरोगा जी ने जैसा बोला था, मैंने वैसा लिखा था। यह सही है कि दरोगा जी बोलते गये, मैं लिखती गई, जबकि पूर्व बयान में कहा कि तहरीर मैंने अपने साथ घटित घटना के आधार पर लिखी है, किसी ने बोल कर नहीं लिखाई है।

पीड़िता (पी) के दोनों बयानों में परस्पर विरोधाभास है।

**64-** पीड़िता (पी) ने स्वीकार किया कि तहरीर दूसरे पैन से लिखी गयी है और इस तहरीर पर मेरे हस्ताक्षर दूसरे पैन से हैं। इस तथ्य का स्पष्टीकरण अभियोजन देने में असमर्थ रहा है कि तहरीर को लिखने में पीड़िता ने दो पते क्यों उपयोग किये हैं ?

**65-** घटना के समय किराए के मकान में, मैं व मेरे पिताजी रहते थे, और कोई नहीं रहता था। मकान मालिक का नाम नहीं पता। दो दुकानों के ऊपर कमरा बना है। इस मकान में मई 2017 से रह रहे थे। उसके बावजूद मकान मालिक का नाम, पता, नहीं पता। यह तथ्य अत्यन्त अविश्वसनीय है।

**66-** मेरे जन्म के समय मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है। उस समय मेरे पिता मथुरा में रहते थे। जब मैं 6 साल की हो गयी तो उसके बाद हम लोग ताऊ-ताई के पास मैनपुरी रहने लगे। मैनपुरी में कितने साल रही, मुझे ध्यान नहीं है कि मैनपुरी से यहाँ कितने साल पहले आई हूँ।

**67-** मैं नहीं जानती कि हाजिर अदालत मुल्जिम सन्तोष कहाँ का रहने वाला है, जबकि तहरीर, बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० एवं न्यायालय में दिये बयान में कहा कि सन्तोष मेरे पड़ोस में रहता है। पीड़िता (पी) के दोनों कथनों में परस्पर विरोधाभास है।

**68-** फिर कहा कि सन्तोष मेरे घर कभी भी नहीं आया, ना ही मैं इनके घर कभी भी गयी। मैं इसको कभी भी नहीं जानती थी। मेरी मामी सोनी ने सन्तोष का नाम बताया था, उसी के आधार पर मैंने नाम बताया था, यह बात मैंने तहरीर में नहीं लिखी है, और यह बात मैंने दरोगा जी एवं मजिस्ट्रेट को नहीं बताई थी।

**69-** जो व्यक्ति मेरे घर में घुसा था, पुलिस ने उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं कराई थी और ना ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था। फिर कहा मैंने उस व्यक्ति को देखा है। पीड़िता (पी) ने परस्पर विरोधी बयान किए हैं।

**70-** मेरे मामा बाहर काम करते हैं। क्या काम करते हैं, मुझे नहीं मालूम, उनका नाम गिराज है, वहीं पर मेरी मामी रहती हैं, जबकि सोनी ने मना किया कि वह गिराज के साथ पिछले 10-12 साल से नहीं रह रही है। मैंने अपने मामा को घटना के बारे में कोई बात नहीं बताई थी और मेरे मामा मेरे साथ थाने पर नहीं गये थे।

71- मुझे लेकर मेरे पिताजी मेरी मामी के पास जाते थे। हमारे पिताजी मामी के मकान में कभी भी नहीं रहे हैं। जब पिताजी मुरादाबाद से वापस आये तो मैंने व मेरी मामी ने पिताजी को घटना के बारे में बताया था। मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिनांक 29-07-2017 को हुआ था, उससे पहले मैं अपने पिता व अपनी मामी सोनी के साथ रही थी। अन्ततः माना कि पीड़िता (पी) अपने पिता व मामी सोनी के साथ रहती है, जिसको सन्तोष के सुझाव में इन्कार किया है।

72- मैंने अपने मामा गिराज व मामी सोनी की शादी होते हुए नहीं देखी और कब हुई, मुझे नहीं मालूम। मेरी मामी सोनी ग्राम बसई की हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरी मामी सोनी ने किन-किन लोगों से शादी की है और किन-किन लोगों के साथ रही हैं।

73- मेरी मामी सोनी के सन्तोष पर रूपए थे, जो सन्तोष से मांगने पर पैसा नहीं दे रहा था और रास्ते में गालियाँ देता था। मुझे नहीं मालूम कि मामी के सन्तोष पर कितने पैसे थे। मेरे साथ जो घटना हुई, उससे दो-तीन साल पहले के रूपए थे। मेरे सामने भी इस घटना से पहले भी सन्तोष और मेरी मामी सोनी के बीच गाली गलौज रूपयों के लिए हुई थी। मेरे सामने ही सन्तोष ने मेरी मामी से कहा था कि तुम जो चाहे कर लेना, मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह बात मेरे सामने सन्तोष ने मेरी मामी से कही थी, वह घटना से दो-तीन दिन पहले की है।

74- सन्तोष मेरी मामी सोनी की मारपीट कर रहा था। मैंने भी अपनी मामी को बचाया था, लेकिन सन्तोष नहीं माना था। यह बात मुझे और मेरी मामी को बुरी लगी थी। सन्तोष ने यह भी कहा था कि मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। घटना से दो-तीन दिन पहले सन्तोष का, मेरी मामी का, रूपयों को लेकर झगड़ा हुआ था। सन्तोष ने धमकी दी और मैंने बचाने की कोशिश की थी। जिस समय सन्तोष व मामी में झगड़ा हुआ था, उस समय मेरे पिताजी व मेरे मामा मौजूद नहीं थे। यह बात मैंने मामा गिराज को नहीं बताई थी। हमारे सामने मामी ने मामा को झगड़े वाली बात नहीं बताई थी और पापा को झगड़े वाली बात दूसरे दिन बताई थी। फिर मेरे पापा मामी को लेकर सन्तोष के घर रूपए लेने गये थे। सन्तोष ने मेरे पिताजी की बात भी नहीं मानी और ना ही रूपए वापस किए। जब मेरी मामी व पिताजी वापस आये, तब उन्हें बुरा लगा कि सन्तोष ने हमारे रूपए भी नहीं दिये और बेईमानी कर ली। पीड़िता (पी) ने सन्तोष एवं मामी सोनी के मध्य रूपयों के लेनदेन की बावत पूर्व से रंजिश होना प्रमाणित किया है, जो प्रस्तुत घटना का बेहतर हेतुक है।

75- पी०डब्लू०-2 सोनी ने तहरीर व पीड़िता (पी) के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि उस दिन मेरे नन्दोई व पीड़िता (पी) के पापा मुरादाबाद गये थे। जब सन्तोष ने गलत काम करने का प्रयास किया, तो पीड़िता (पी) ने सन्तोष से कहा कि मैं अपनी मामी से कह दूंगी। फिर उसने पीड़िता (पी) के हाथ-पैर बांध दिए। फड़फड़ा-फड़फड़ा कर पीड़िता (पी) का एक हाथ खुल गया, उसके बाद सन्तोष भाग गया। ये सारी घटना पीड़िता (पी) ने मुझे बताई थी। सोनी भी पीड़िता (पी) के इस कथन का समर्थन करती है कि मुझसे व पीड़िता (पी) से पुलिस ने पूछताछ घटना के दूसरे दिन की थी, जबकि घटना दिनांक 16-07-2017 की है और मुकदमा थाने पर दिनांक 18-07-2017 को शाम 05:45 बजे दर्ज किया गया है, तो फिर किस प्रकार मुकदमा दर्ज होने से पूर्व दरोगा जी ने दिनांक 17-07-2017 को सोनी व पीड़िता (पी) के बयान अन्तर्गत धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित किए, इस प्रश्न पर अभियोजन मौन है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है।

76- सोनी ने जिरह में कहा कि मैं बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। मेरी शादी किस तारीख को हुई, नहीं बता सकती। मेरे दो लड़के राहुल उर्फ गोविन्द एवं केश मोहन और बेटी का नाम पूजा है। मुझे किसी बच्चे की जन्मतिथि नहीं मालूम। मुझे घटना की तारीख भी नहीं मालूम। मेरे बयान में यदि घटना की तारीख लिख गई है तो मैं नहीं बता सकती कि कैसे लिख गयी। महीना व सन् भी नहीं बता सकती। इस समय घटना की सही तारीख मैं 17 बता रहा हूँ। मुख्य परीक्षा में 16 तारीख लिखी है, गलत लिखी है। मेरे अनुसार घटना 17 तारीख की है। सोनी ने घटना दिनांक 16-07-2017 से ही इन्कार कर दिया।

77- घटना की चश्मदीद और आहत साक्षी, वादिया/पीड़िता (पी) घटना 16 तारीख को अपनी तहरीर व अपने सभी बयानों में होना कहकर आई है, जबकि इसके विपरीत तथ्य की द्वितीय अहम साक्षी सोनी, जो पीड़िता (पी) की मामी है, ने घटना को 16 तारीख को न होकर, 17 तारीख को होना कहा है। अभियोजन ने सोनी व पीड़िता (पी) के अतिरिक्त तथ्य का अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का सम्पूर्ण घटनाक्रम संदिग्ध हो जाता है।

78- सोनी ने कहा कि मेरी शादी 15 वर्ष पहले गिराज सविता के साथ हुई। मेरे ससुर का नाम मुझे नहीं मालूम। मेरे पति दो भाई, देवर का नाम सोनू और पति की चार बहने थीं। तीन बहनें मेरी शादी से पहले

ही मर गयीं थीं, जिनके नाम नहीं मालूम। एक बहन नीलम, जो जीवित है, वह राकेश सविता के लिए व्याही है।

**79-** लाल बहादुर की ससुराल व पीड़िता (पी) की ननिहाल कहाँ पर है, मुझे नहीं मालूम। लाल बहादुर की पत्नी 10 साल पहले खत्म हो चुकी हैं। कब खत्म हुई, मुझे नहीं याद। मैंने उनको कभी नहीं देखा। मैं अपने पति गिराज के साथ नहीं रहती हूँ। मेरा पति नगला कुम्हारन में रहता है। मैं 8 साल से किराए के मकान में टूण्डला में अलग रह रही हूँ।

**80-** मैं, मौहल्ला शिवपुरी, डाकखाने वाली गली, टूण्डला में दरोगा कश्यप के मकान में, नीचे के मंजिल में रहती थी और अभियुक्त सन्तोष उसी मकान में अपनी पत्नी, बच्चों के साथ रहता था। हम डेढ़ वर्ष साथ रहे, उसके बाद सन्तोष मकान छोड़ कर चला गया।

**81-** मेरी जानकारी में, मेरे पति गिराज सिंह का लाल बहादुर से कभी झगड़ा नहीं हुआ। मेरे पति इस केस में सन्तोष के साथ एक बार आये थे। मैं अपने पति गिराज के साथ नहीं रहती हूँ और न उनसे कोई बात होती है। मैं, 10-12 साल से गिराज से अलग रह रही हूँ।

**82-** सोनी ने सन्तोष के इस सुझाव से इन्कार किया कि मैं लाल बहादुर के साथ रह रही हूँ, इस बात को लेकर गिराज और सन्तोष ने लाल बहादुर के साथ कहा सुनी की हो। मेरा सन्तोष अभियुक्त से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ और मेरे साथ सन्तोष ने कभी कोई मारपीट नहीं की है, जबकि इसके विपरीत पीड़िता (पी) ने कहा कि पैसों के लेनदेन को लेकर सन्तोष ने मेरी मामी सोनी को मारापीटा था और पीड़िता (पी) ने बचाया था, परन्तु सन्तोष नहीं माना था। तथ्य के दोनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है।

**83-** सोनी ने कहा कि मेरे सन्तोष पर सात हजार रूपए उधार थे। तीन साल पहले सन्तोष ने, घटना से एक साल पहले लिए थे। मेरे मांगने, न देने पर मुझे बुरा लगा था। इसका समर्थन पीड़िता (पी) ने भी अपने बयान में किया है। मैं कभी भी रूपए मांगने के लिए लाल बहादुर को अपने साथ नहीं ले गयी, जबकि पीड़िता (पी) ने कहा कि सन्तोष से रूपए वापस लेने के लिए उसके पापा लाल बहादुर को मामी अपने साथ ले गयी थीं और न देने पर उन्हें बहुत बुरा लगा था। दोनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है।

**84-** सोनी ने जिरह में आगे कहा कि मुझे सात हजार रूपए उधार देने की तारीख, महीना, सन् नहीं मालूम। रूपए मैंने किसी के

सामने नहीं दिए और न किसी के जिम्मेदारी पर दिए। सात हजार रूपए सन्तोष को देने वाली बात आज तक मैंने किसी को नहीं बताई है। पुलिस को भी नहीं बताई है। सोनी ने अपने बयान धारा -161 दं०प्र०सं० व न्यायालय में मुख्य परीक्षा में सात हजार रूपए सन्तोष को देने वाली बात का जिक्र नहीं किया है, पहली बार जिरह में बताई है। विधि के सुस्थापित सिद्धान्तानुसार कोई नवीन तथ्य जिरह के दौरान, जिसका उल्लेख प्रारम्भ से केस में न रहा हो, नहीं लिया जा सकता है।

**85-** सोनी ने सन्तोष के इस सुझाव से इन्कार किया कि मैं, लाल बहादुर के साथ रहती हूँ और इस बात को छिपाने के लिए सन्तोष पर सात हजार रूपए के उधार की झूठी कहानी बना रही हूँ।

**86-** मेरे सामने कोई घटना पीड़िता (पी) के साथ मुल्जिम सन्तोष ने नहीं की। मैं उस समय अपने घर पर थी। मैं तो सुने हुए के आधार पर बता रही हूँ। कैसे मालूम कि पीड़िता (पी) के हाथ-पैर सन्तोष ने बांध दिये थे और फड़फड़ा-फड़फड़ा कर पीड़िता (पी) ने अपना एक हाथ खोल लिया था, जबकि पीड़िता (पी) ने ऐसा कोई बयान कभी भी नहीं दिया। विवेचक ने भी पीड़िता (पी) के हाथ-पैर में रस्सी/कपड़े का कोई निशान नहीं पाया, ना ही मेडीकल में अंकित है।

**87-** जिस मकान में घटना होना बताती हूँ, उस मकान के मालिक का नाम नहीं मालूम। अगल-बगल, आमने-सामने किसके मकान हैं, नहीं मालूम। उस मकान में कितने कमरे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उस मकान में जाती रहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि लाल बहादुर किनके मकान में रह रहा है।

**88-** सोनी ने सन्तोष के इस सुझाव से इन्कार किया कि लाल बहादुर व पीड़िता (पी) काफी साल से मेरे साथ रह रहे हैं और मेरी वजह से लाल बहादुर ने सन्तोष के खिलाफ, पूर्व रंजिश के कारण झूठी रिपोर्ट लिखाई हो, जबकि पीड़िता (पी) ने कहा कि बयान धारा-164 दं०प्र०सं० से पूर्व मेरे पापा, मैं और मामी सोनी हम सब एक साथ रह रहे थे। मुझे जानकारी नहीं है कि इस घटना की रिपोर्ट कब, कहाँ, कैसे लिखी गयी, कितने दिन बाद लिखी गई, मुझे यह भी नहीं पता, जबकि पूर्व बयान में पीड़िता (पी) के बयान से इतर घटना 16 तारीख के स्थान पर, 17 तारीख की होना बताया और उसी दिन मुकदमा दर्ज करके दरोगा जी द्वारा बयान लेना कहा है। सोनी का उपरोक्त बयान, तथ्य के अन्य साक्षी के विपरीत है, जो अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है।

**89-** मैं घटना वाली रात को ही थाना टूण्डला पीड़िता (पी) के साथ गयी थी। उसके बाद मैं फिर कभी थाना नहीं गयी और न कभी पुलिस मेरे पास आई और न मुझसे कोई पूछताछ की। यदि बाद का कोई बयान लिखा है, तो गलत लिखा है। लाल बहादुर मुझे थाने लेकर नहीं गया था, जबकि पीड़िता (पी) ने अपने बयान में कहा कि वह अपनी मामी सोनी को साथ लेकर थाने पर विभिन्न तिथियों पर 2-3 बार गयी थी और पापा लाल बहादुर के साथ भी थाने पर गयी थी, जबकि साक्षी रोहताश ने कहा कि पीड़िता कभी रिपोर्ट लिखाने थाने आई ही नहीं। दोनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है।

**90-** पी०डब्लू०-3 एच०सी० रोहताश कुमार ने पीड़िता (पी) की तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 एवं जी०डी० कायमी सं०-37, दिनांक 18-07-2017, समय 16:45 बजे, प्रदर्श क-4 को अपनी साक्ष्य से साबित करते हुए जिरह में कहा कि तहरीर डाक पैड से आई थी। पीड़िता (पी) थाने पर रिपोर्ट लिखाने नहीं आई। वादिया/पीड़िता (पी) तहरीर लेकर स्वयं थाने पर नहीं आई थी। इस साक्षी ने पीड़िता (पी) और सोनी के बयान के विपरीत बयान देते हुए दोनों साक्षियों के कथन को असत्य साबित किया कि सोनी, पीड़िता (पी) के साथ मुकदमा दर्ज कराने थाना टूण्डला पर आई हों। ऐसी स्थिति में पीड़िता (पी) द्वारा सोनी के साथ स्वयं थाने पर जाकर मुकदमा दर्ज कराने का कथन संदिग्ध हो जाता है।

**91-** जिरह में कहा कि घटना दिनांक 16-07-2017, रात्रि 11:00 बजे की बताई और मुकदमा तहरीर के आधार पर दिनांक 18-07-2017 को पंजीकृत किया। तहरीर पर जाँच करने का आदेश एच०सी०पी० राज बहादुर को दिया गया था, जिन्होंने घटना सत्य पाई थी।

**92-** पी०डब्लू०-4 म०आ० कल्पना बघेल ने पीड़िता (पी) का बयान धारा-161 दं०प्र०सं०, विवेचक महेन्द्र सिंह भदौरिया, उ०नि० के आदेश पर अंकित किया।

**93-** पी०डब्लू०-5 महेन्द्र सिंह भदौरिया, विवेचक ने वादिया/पीड़िता (पी) की निशानदेही पर मौके का नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 तैयार किया और अभियुक्त सन्तोष के विरुद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क-9 को साबित करते हुए जिरह में कहा कि मैंने जानकारी नहीं की, कि तहरीर प्रदर्श क-1 किसने लिखी और किस स्थान पर लिखी गयी। मूल तहरीर भी मैंने विवेचना में नहीं देखी। वादिया ने अपने बयान में

स्वयं तहरीर लिखना नहीं बताया था और तहरीर में कोई तारीख थाने पर देने की अंकित नहीं है, जबकि वादिया/पीड़िता (पी) ने स्वयं कहा कि उसने तहरीर अपने हस्तलेख में लिखी और जो दरोगा जी ने बोला था, मैंने वही लिखा था। इस बिन्दु पर विवेचक की विवेचना त्रुटिपूर्ण है।

**94-** विवेचक ने कहा कि विवेचना के दौरान एच०सी०पी० राज बहादुर सिंह द्वारा की गयी जाँच मैंने संकलित नहीं की और राज बहादुर का बयान नहीं लिया और उन्हें आरोप पत्र में गवाह नहीं बनाया, जिससे स्पष्ट है कि विवेचना न्यायपूर्ण नहीं है।

**95-** विवेचक ने स्वीकार किया कि उसने दौरान विवेचना पीड़िता (पी) से घटना कारित करने वाले व्यक्ति अभियुक्त सन्तोष की शिनाख्त नहीं कराई, क्योंकि एफ०आई०आर० में और बयान धारा - 161 दं०प्र०सं० में अभियुक्त को न पहचानने का कोई जिक्र नहीं किया है। वादिया/पीड़िता (पी) ने तहरीर में अभियुक्त सन्तोष, जो उसका पड़ोसी है, उसका नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया है, और किसी अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। इस कारण अभियुक्त सन्तोष की शिनाख्त की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि पीड़िता (पी), अभियुक्त सन्तोष को कई वर्षों से जानती थी और वह उसका पड़ोसी भी है।

**96-** विवेचना के दौरान मैंने नक्शा नजरी में प्रकाश का कोई श्रोत नहीं दिखाया है और ना ही इस बावत् साक्ष्य संकलन किया है।

**97-** विवेचना के अनुसार इस घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। सोनी ने मुझे बताया था कि पीड़िता (पी) के हाथ-पैर बांध दिए थे। पीड़िता (पी) के शरीर पर हाथ-पैर बांधने संबंधी निशान मैंने नहीं देखे थे। डाक्टरों की परीक्षण में भी किसी प्रकार की कोई चोट नहीं थी, जिससे यह साबित हो कि उसके हाथ-पैर बांधे गये थे। हाथ-पैर बांधने से संबंधित कोई रस्सी, कपड़ा मैंने बरामद नहीं किया। उपरोक्त बयान से सोनी का बयान कि सन्तोष ने पीड़िता (पी) के हाथ-पैर बांध दिए थे और उसने फड़फड़ा-फड़फड़ा कर खोल लिया था, पुष्ट नहीं होता है और इस कथन का समर्थन स्वयं आहत/पीड़िता (पी) ने भी अपनी तहरीर प्रदर्श क-1, बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2 में भी हाथ-पैर बांधने का कोई उल्लेख नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पीड़िता (पी) के हाथ-पैर सन्तोष द्वारा बांधने का कथन अविश्वसनीय है।

**98-** इस केस में मैंने वादिया का बयान व अन्य गवाहों के बयान लेने से पहले ही, बिना किसी के बयान दर्ज किए मुल्जिम को जेल भेज दिया था। यह सही है कि मैंने इस केस में, बिना किसी साक्ष्य संकलित किए जाने से पूर्व मुल्जिम को जेल भेज दिया था, अर्थात् एफ०आई०आर० एन्टीटाइम है। विवेचक की उपरोक्त स्वीकृति, प्रस्तुत मामले की सम्पूर्ण विवेचना को दूषित करती है।

**99-** मैंने विवेचना के दौरान जानकारी नहीं की, कि सोनी की कौन सी ननद लाल बहादुर को व्याही है, मैं उससे नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम कि घटना के समय पीड़िता (पी) की माँ कहाँ थी और विवेचना के दौरान मैंने उनका कोई बयान नहीं लिया और न इस संबंध में कोई जानकारी की, जबकि यह अत्यन्त आवश्यक था, क्योंकि पीड़िता (पी) ने कहा था कि उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था, जिसका समर्थन सोनी ने भी अपने बयान में किया है। सम्पूर्ण विवेचना वादिया पक्ष के प्रभाव में की गयी प्रतीत होती है।

**100-** घटना वाला मकान दो मंजिला है। विवेचना के दौरान यह पता नहीं चला कि मकान का मालिक कौन है। लाल बहादुर और पीड़िता (पी) ने भी यह नहीं बताया कि यह मकान किसका है। उस मकान में दो दुकानें और एक कमरा भूतल पर बना है। दुकानदार और मकान मालिक का मैंने बयान नहीं लिया और ना ही उन्हें आरोप पत्र में गवाह बनाया है, जो विवेचक द्वारा की गयी विवेचना पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।

**101-** विवेचना के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य, दस्तावेजी व मौखिक नहीं मिला, जिससे यह साबित हो कि नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 में दर्शाए गए मकान में पीड़िता (पी) अपने पिता के साथ रह रही हो और दिनांक 16-07-2017 को रात्रि 11:00 बजे किसी महिला के साथ, किसी प्रकार की कोई घटना हुई हो। पास पड़ोस के किसी व्यक्ति ने समई साक्ष्य के रूप में घटना का सत्यापन नहीं किया है, इसलिए मैंने किसी का बयान अंकित नहीं किया। उपरोक्त विवेचना से सम्पूर्ण घटनाक्रम संदिग्ध प्रतीत होता है।

**102-** अभियुक्त सन्तोष ने बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में घटना को गलत होना कहा। वादिया/पीड़िता (पी) द्वारा तहरीर प्रदर्श क-1 झूठी साबित करना कहा है। पीड़िता (पी) द्वारा गलत बयान देकर प्रदर्श क-2 झूठा साबित किया है। सोनी द्वारा गलत कथन करना कहा है। रोहताश द्वारा गलत मुकदमा दर्ज करना कहा। म०कां० कल्पना

बघेल द्वारा पीड़िता (पी) के बयान धारा-161 दं०प्र०सं० गलत दर्ज करना कहा है। विवेचक महेन्द्र सिंह भदौरिया द्वारा गलत विवेचना करके नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 एवं झूठा आरोप पत्र प्रदर्श क-9 दाखिल कर गलत साबित करना कहा है। हरेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य ने गलत प्रपत्र साबित किए हैं। सभी गवाहों ने रंजिशन बयान दिये हैं। मुकदमा झूठा चलना कहा। सफाई साक्ष्य में डी०डब्लू०-1 गिराज को परीक्षित कराया है। विशेष कथन में कहा कि मैं निर्दोष हूँ। सोनी और मेरी पत्नी सीमा में झगड़ा हुआ था। दूसरे दिन सोनी ने कहा कि तुम चौराहे पर आ जाओ, कुछ बात करनी है। मैं वहीं बैठा हुआ था, तभी पुलिस आ गयी और गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट लिखी ली। उनके बयान लेकर मुझे जेल भेज दिया। सोनी, लाल बहादुर के साथ रहती है। सोनी के पति का नाम गिराज है। सोनी का आदमी मेरे पक्ष में गवाही देना चाहता है।

**103-** सफाई साक्षी डी०डब्लू०-1 गिराज ने कहा कि मैं, सन्तोष को जानता हूँ। वह मेरा पड़ोसी है। सोनी मेरी पत्नी है। सोनी चरित्रहीन है। सोनी, लाल बहादुर के पास रखैल बनकर रहती है। सोनी के, लाल बहादुर से पहले 10-12 लोगों से भी अनैतिक संबंध रहे हैं। मैंने उससे ये गलत काम करने से कई बार मना किया, परन्तु वह नहीं मानी। सोनी, सन्तोष को बहुत सालों से जानती है।

**104-** लाल बहादुर भगतई करता है और सोनी भी उसी के साथ रहती है। सोनी, लाल बहादुर व लाल बहादुर की लड़की/पीड़िता (पी), तीनों साथ-साथ रहते हैं। सोनी और लाल बहादुर अपनी लड़की/पीड़िता (पी) को लेकर लोगों को डराते, धमकाते हैं और लोगों से छेड़खानी का मुकदमा लगा कर पैसे ऐंठा करते हैं। मेरी जानकारी में लाल बहादुर और सोनी ने 3-4 लोगों से पहले भी झूठा मुकदमा लिखा कर पैसा ले चुके हैं और सन्तोष से भी सोनी व लाल बहादुर मिलकर रूपए ऐंठना चाहते हैं। सन्तोष ने रूपए देने से मना कर दिया तो लाल बहादुर और सोनी ने, लाल बहादुर की लड़की को लेकर झूठा मुकदमा लिखाया है।

**105-** मैंने ऐसी कभी कोई घटना नहीं सुनी कि सन्तोष ने लाल बहादुर की लड़की/पीड़िता (पी) के साथ कोई गलत हरकत की हो। मेरा व सन्तोष का लाल बहादुर से झगड़ा हुआ था। सन्तोष ने लाल बहादुर से कहा था कि तू गिराज की पत्नी को क्यों रखता है, इसी बात को लेकर काफी विवाद हो गया था।

**106-** घटना से 2-3 दिन पहले भी मेरे सामने सन्तोष और सोनी में गाली-गलौज व झगड़ा हुआ था, तब सोनी मेरे सामने धमकी देकर गयी थी कि तुझे इसका सबक सिखाऊंगी। इस घटना की जानकारी मुझे तब हुई, जब सन्तोष जेल चला गया। सोनी ने लाल बहादुर से मिलकर, उसकी लड़की को लेकर झूठा मुकदमा लिखा दिया है।

**107-** गिराज ने जिरह में कहा कि मैंने अपनी पत्नी सोनी के अनैतिक संबंध होते हुए मैंने 10-12 लोगों से व लाल बहादुर से देखे हैं। अनैतिक का मतलब क्या होता है, मैं नहीं जानता। मैंने केवल सोनी व लाल बहादुर को बातचीत करते देखा है। सन्तोष मुझे गवाही के लिए लाया है। मेरा सन्तोष व उसके घर वालों से उठना-बैठना है। मैं आज स्वेच्छा से गवाही देने आया हूँ।

**108-** घटना वाले दिन मैं व सन्तोष साथ-साथ थे। घटना कौन से दिन की है, मुझे नहीं मालूम। किस तारीख की है, नहीं मालूम। मैंने लाल बहादुर व सोनी को पति-पत्नी जैसे संबंध बनाते हुए देखा है। मैंने लाल बहादुर के साथ सोनी को उसके घर पर संबंध बनाते हुए देखा, लेकिन मैंने रिपोर्ट नहीं की। रिपोर्ट मैंने इसलिए नहीं करी, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी की पत्नी दूसरे के साथ चले जाए और उसके साथ रहने लगे, तो पत्नी पर कार्यवाही होती है, जिसकी पत्नी होती है, उसका पति कार्यवाही करता है, किन्तु मैंने नहीं की, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती है।

**109-** लाल बहादुर से कई लोगों से पैसे लिए हैं, मैं उनके नाम नहीं बता सकता। लाल बहादुर ने किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं की। लाल बहादुर द्वारा पैसे ऐंठने का कोई सबूत मैं नहीं दे सकता। सोनी और लाल बहादुर अपनी लड़की/पीड़िता (पी) को लेकर लोगों को डराते-धमकाते हैं, इसका कोई सबूत मैं दाखिल नहीं कर सकता। केवल सन्तोष के बताए अनुसार ही मुझे जानकारी है।

**110-** घटना के समय मैं और मेरी माँ अपने घर में सो रहे थे, और कोई नहीं था। मेरी पत्नी, मेरी बात नहीं मानती है। मुझे समय व तारीख नहीं मालूम कि सन्तोष व लाल बहादुर से कब झगड़ा हुआ। मुझे नहीं मालूम कि सन्तोष कितने दिन जेल में रहा था। मेरा घर व सन्तोष के घर के बीच की दूरी 10-12 घर की है। रास्ते में दो मोड़ हैं, इसलिए मेरे घर से सन्तोष का घर दिखाई नहीं देता है।

**111-** तथ्य के दोनों साक्षियों के बयानों में, घटना को लेकर तात्त्विक विरोधाभास है। पीड़िता (पी) ने अपने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में कहा कि सन्तोष ने जबरदस्ती मेरे कपड़े उतार दिये और मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की, जबकि बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में नवीन तथ्य कहे कि सन्तोष ने मेरी पजामी उतारी, चड्डी उतारी और कहा मेरे संग भाग चल, कोर्ट मैरिज कर लेंगे। सन्तोष को नंगा होना कहा। सन्तोष शराब पिए था। मेरे साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश की, परन्तु मैंने ऐसा करने नहीं दिया। सन्तोष ने कहा कि तुम्हारे पापा मुझसे यह कहकर गये हैं कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ। मैं जोर-जोर से रोने लगी तो वह भाग गया। मैं बाहर भाग रही थी, पर उसने मेरा पैर पकड़ लिया था। इन नवीन तथ्यों के संबंध में पीड़िता (पी) ने अपने सशपथ बयान में कोई कथन नहीं किया है। फिर कहा कि सन्तोष को मैं पहले से नहीं जानती हूँ, जबकि न्यायालय में दिये बयान में कहा कि पिछले डेढ़-दो वर्षों से मैं, सन्तोष को जानती हूँ, वह पड़ोस में ही रहता है।

**112-** विवेचक ने नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 में "A" स्थान पर खुली छत से, घटना स्थल "X" कमरे में जाने का रास्ता दिखाया है। विवेचक ने यह प्रदर्शित नहीं किया कि सन्तोष "A" स्थान पर कैसे व किधर से होकर पहुंचा और अपराध करने के बाद किस रास्ते से होकर वापस गया, जबकि वादिया/पीड़िता (पी) की निशानदेही पर नक्शा नजरी बनाना कहा है। विवेचक ने पीड़िता (पी) के पड़ोसी अभियुक्त सन्तोष का मकान नक्शे में प्रदर्शित नहीं किया है।

**113-** पीड़िता (पी) ने माना कि उसने सन्तोष का नाम अपनी मामी सोनी के कहने पर तहरीर में लिखा है और पैसे के लेनदेन को लेकर सोनी व सन्तोष के बीच में मारपीट हुई थी, जिसका बीच-बचाव पीड़िता (पी) ने भी किया था। पीड़िता (पी) ने घटना दिनांक 16-07-2017 को कहा, परन्तु मुकदमा दिनांक 18-07-2017 को शाम 04:45 बजे लिखा गया। विवेचक ने भी माना कि उसने मुकदमा लिखने और साक्षियों का बयान लेने से पहले ही सन्तोष को गिरफ्तार कर लिया था। मामला प्रथम दृष्टया एन्टीटाइम एफ०आई०आर० का है। सफाई साक्षी गिर्राज, जो सोनी का पति है, ने अपनी पत्नी को चरित्रहीन बताते हुए पीड़िता (पी) के पिता लाल बहादुर के साथ बतौर पत्नी कई साल से रहना कहा है और यह भी कहा कि उसने गरीब एवं माँ बीमारी के कारण अपनी पत्नी सोनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की।

**114-** कां० रोहताश ने कहा कि पीड़िता (पी) कभी थाने रिपोर्ट लिखाने नहीं आई, जबकि पीड़िता (पी) ने कहा कि वह अपनी मामी सोनी के साथ कई बार रिपोर्ट लिखाने थाने गयी थी।

**115-** उपरोक्त कथनों ने अभियोजन कथानक की बुनियाद हिला दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुलेश मोण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए०आई०आर० 2007 सुप्रीम कोर्ट 1091 में कहा है कि तुच्छ प्रकृति की असंगति, सुधार एवं लोप अभियोजन मामले की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करते हैं। यह ऐसी सुस्थापित विधि है कि स्वाभाविक गलतियों का परिसाक्ष्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि तात्विक गलतियों की गड़बड़ी प्रभाव डाल सकती है। अभियोजन साक्षियों के कथन में सामान्यतः उतार-चढ़ाव तात्विक त्रुटि नहीं मानी जाती है। **तात्विक त्रुटि सुधार एवं लोप** अभियोजन मामलों में तभी घातक साबित होती हैं, जब उनसे अभियोजन मामले की बुनियाद ही मिट गई हो। तुच्छ विरोधाभास के चलते साक्षीगण का सम्पूर्ण साक्ष्य नकारा नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो सम्पूर्ण घटनाक्रम ही संदिग्ध है।

**116-** अभियोजन, पत्रावली में दाखिल प्रलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्षियों के बयानों से यह संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि पीड़िता (पी) घटना दिनांक 16-07-2017 को, उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित जन्मतिथि 07-09-2004 के अनुसार वह मात्र 12 वर्ष, 10 माह, 09 दिन की नाबालिग थी।

**117-** पीड़िता (पी) ने अपने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में घटना के समय अभियुक्त सन्तोष को शराब पिए होना कहा, परन्तु शराब की बावत् कोई कथन न्यायालय के समक्ष नहीं किया।

**118-** पीड़िता (पी) ने घटना दिनांक 16-07-2017 को रात्रि 11:00 बजे की होना कहा, जबकि सोनी ने घटना रात्रि 10:30 बजे होना कहा है। सोनी ने कहा कि उसने घटना होते हुए अपनी आँखों से नहीं देखी है, वह पीड़िता (पी) के बताए अनुसार बयान दे रही है। घटना के समय की बावत् दोनों साक्षियों के बयान में विरोधाभास है।

**119-** पीड़िता (पी) ने कहा कि पड़ोसी सन्तोष घर में छत के रास्ते कूद कर आया था, जिसका सत्यापन नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 से नहीं होता है, उसमें अभियुक्त सन्तोष का मकान नहीं दिखाया गया है और उसके आने-जाने का रास्ता भी प्रदर्शित नहीं किया गया है। वह "A" स्थान पर कैसे पहुंचा, इस प्रश्न पर अभियोजन मौन है।

120- पीड़िता (पी) ने कहा कि सन्तोष ने मेरे कपड़े उतार दिए थे और गलत काम करने की कोशिश की। बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा कि मेरी पजामी उतारी, चड्डी उतारी और वह भी नंगा हो गया, परन्तु इस कथन का समर्थन न्यायालय के समक्ष सशपथ नहीं किया है। जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करना कहा। फिर कहा कि मैंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। मैंने चिल्लाने की कहा, अर्थात् पीड़िता (पी) चिल्लाई नहीं, केवल कहने मात्र से वह भाग गया, जबकि बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा कि जब मैं जोर-जोर से रोने लगी, तब वह भाग गया। नवीन तथ्य बताया कि मैं बाहर भाग रही थी, तो उसने मेरा पैर पकड़ लिया था। जिसका समर्थन सशपथ बयान में नहीं किया है। पीड़िता (पी) ने यह भी कहा कि, अभियुक्त ने कहा कि तुम्हारे पापा मुझसे तुम्हारी देखभाल करने को कह गये हैं ? के जबाव में पीड़िता (पी) ने कहा कि मेरे पापा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। यह बात पीड़िता (पी) को अपने पिताजी से पूछे बिना, उक्त बयान देते समय कैसे जानकारी हो गयी, इसको अपने बयान में स्पष्ट नहीं किया है।

121- पीड़िता (पी) ने माना कि उसने तहरीर लिखने में दो पैर का उपयोग किया है। एक से पूरी तहरीर लिखी और दूसरे से हस्ताक्षर किया है, जबकि विवेचक ने कहा कि पीड़िता (पी) ने कोई तहरीर अपने हस्तलेख में नहीं लिखी है। कथनों में विरोधाभास है।

122- पीड़िता (पी) ने कहा कि सोनी उसके व उसके पिता के साथ नहीं रहती हैं, लेकिन जिरह में स्वीकार किया कि धारा-164 दं०प्र०सं० का बयान दर्ज होने से पूर्व सोनी मामी, मेरे व पापा के साथ ही रह रही थी। सोनी ने भी कहा कि वह 10-12 साल से अपने पति गिर्राज के साथ नहीं रह रही है, जिसका समर्थन सफाई साक्षी गिर्राज के बयान से भी होता है।

123- पीड़िता (पी) ने माना कि हमारे सामने मामी ने मामा को सन्तोष के साथ झगड़ा और धमकी देने वाली बात नहीं बताई थी, लेकिन पापा को झगड़े वाली बात दूसरे दिन बताई थी। यह बात इस कथन को समर्थित करती है कि सोनी अपने पति गिर्राज के साथ नहीं रहती, बल्कि पीड़िता (पी) के पिता लाल बहादुर के साथ रहती है। इसी कारण लाल बहादुर को घटना के बारे में बताया था और सोनी के कहने पर ही लाल बहादुर, सन्तोष से रूपए मांगने के लिए सोनी के साथ गया था। रूपए न लौटाने पर उन्हें बुरा लगा और कहा कि बेईमानी कर ली है।

**124-** पीड़िता (पी) ने सन्तोष के विरुद्ध जबरदस्ती घर में घुस कर, प्रवेशन लैंगिक हमला/बलात्कार करने का प्रयास करना और असफल होने पर जान से मारने की धमकी देने एवं लैंगिक हमला कारित करना कहा है। पीड़िता (पी) एवं सोनी के बयान से यह स्पष्ट है कि सोनी के कहने से पीड़िता (पी) ने अभियुक्त सन्तोष का नाम तहरीर/ एफ०आई०आर० में दर्ज कराया था, क्योंकि वह सोनी से तथाकथित उधार लिए पैसे वापस नहीं कर रहा था। इससे स्पष्ट है कि सोनी एवं सन्तोष के मध्य पूर्व से रंजिश चली आ रही है। उक्त रंजिश का बदला लेने के लिए सोनी ने पीड़िता (पी) के पिता लाल बहादुर की पुत्री/ पीड़िता (पी) को ढाल बनाकर, सन्तोष द्वारा जबरदस्ती घर में घुस कर, बलात्कार करने का प्रयास करने, जान से मारने की धमकी देने, का मुकदमा दर्ज कराया है। इस तथ्य को अभियोजन साक्षी अपनी साक्ष्य से संदेह से परे साबित नहीं कर पाए हैं। अभियुक्त सन्तोष पर आरोपित अपराध के संबंध में कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली में मौजूद नहीं है, केवल साक्षियों ने मौखिक बयान दिए हैं, जो परस्पर विरोधाभासी हैं, जिन पर विश्वास करके, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तात्त्विक अनियमितता के आधार पर अभियुक्त सन्तोष को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है।

**125-** पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य व विवेचन के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि अभियोजन द्वारा तथ्य के दो साक्षी वादिया/पीड़िता (पी) एवं सोनी परीक्षित कराये हैं, जिन्होंने अभियोजन कथानक को समर्थित नहीं किया है। शेष साक्षीगण, एच०सी० रोहताश कुमार, म०कां० कल्पना बघेल, विवेचक महेन्द्र सिंह, उ०नि० एवं हरेन्द्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य, सभी औपचारिक साक्षीगण हैं, जिन्होंने कार्य सरकार को अन्जाम देते हुए अपने द्वारा की गयी कार्यवाही को न्यायालय में आकर अपनी साक्ष्य से साबित किया है। तथ्य के साक्षियों के कथनों में घटना को लेकर गम्भीर अनियमितता एवं विरोधाभास है, जो अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं।

**124-** माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन कथानक में अनिश्चितता उत्पन्न करना अभियुक्त का अधिकार है और उस अनिश्चय को संदेह से परे साबित करना अभियोजन का दायित्व है। प्रस्तुत प्रकरण में इस दायित्व को, संदेह से

परे साबित करने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है।

125- अतः अभियुक्त सन्तोष, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-376/511, 452, 506 भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में दोष मुक्त किए जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्त सन्तोष को, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-376/511, 452, 506 भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो एक्ट में, दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त सन्तोष जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त सन्तोष, धारा-437 A दं०प्र०सं० के अनुपालन में रूपया 20,000/- का स्वबन्धपत्र व समान धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करे।

दिनांक: 28-02-2024

(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 28-02-2024

(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

UPFD010100092017



**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/**

**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।**

उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"

पी०एस०टी० सं०-0002846/2017

उत्तर प्रदेश राज्य।

----- अभियोजक।

*बनाम*

1. अमित कुमार पुत्र धीरेन्द्र सिंह,
2. जीतू पुत्र धीरेन्द्र सिंह,
3. श्रीमती रामा देवी पत्नी धीरेन्द्र सिंह, निवासीगण अम्बेड़कर नगर, नई आबादी, रैना, थाना उत्तर, जिला फिरोजाबाद।

----- अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०-795/2017

धारा-363, 366, 354, 328 भा०दं०सं०,

धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम

थाना-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद

**:- निर्णय :-**

1- थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद द्वारा मुकदमा अपराध सं०-795/2017, अन्तर्गत धारा-363, 366, 354, 328 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम, विशेष न्यायालय में आरोप-पत्र प्रदर्शक-5 प्रस्तुत करने पर अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू व श्रीमती रामा देवी का विचारण किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण नाबालिग पीड़िता के साथ छेडछाड़ होने से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214, नगेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य फौजदारी अपील (एस०जे०) संख्या-750/2020, निर्णय दिनांकित 21-01-2021, एस रामकृष्ण बनाम

**राज्य (2009) 1 एस० सी० सी० 133 व अन्य एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट और विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध- 2(बी)** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित करने से निषेधित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (सी) नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3- लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के अनुसार वादी मुकदमा जितेन्द्र कुमार की बहन/पीड़िता (सी), उम्र करीब 16 साल को आज दिनांक 05-10-2017 की सुबह अमित कुमार पुत्र धीरेन्द्र कुमार बहला फुसला कर भगा ले गया है। रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।

4- वादी जितेन्द्र कुमार की उक्त तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में दिनांक 05-10-2017 को ही समय 12:30 बजे मु०अ०सं०-795/2017, अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम, अभियुक्त अमित कुमार के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-4 में किया गया।

5- मामले की विवेचना सर्व प्रथम लाखन सिंह, उ०नि० द्वारा की गयी। जिन्होंने विवेचना प्रारम्भ करते हुए वादी, तहरीर लेखक एवं एफ०आई०आर० लेखक के बयान अंकित किये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 बनाया। मुखबिर की सूचना पर अपहृता/पीड़िता (सी) को महिला आरक्षी रूपेश के सहयोग से रेलवे स्टेशन, टूण्डला से बरामद करके उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा बयान धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित किया। आयु प्रमाणपत्र की नकल केस डायरी में की, जिसमें अपहृता की आयु करीब 17 साल निर्धारित की गयी थी। पीड़िता का बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया तथा उक्त बयान के आधार पर धारा-354, 328 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की। अभियुक्तगण रामा देवी व जीतू का नाम प्रकाश में आया। न्यायालय के आदेश से पीड़िता को उसके भाई के सुपुर्द किया तथा नामित अभियुक्त अमित व प्रकाश में आये अभियुक्तगण जीतू व रामा देवी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया। उसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो गया।

6- मामले की अग्रिम विवेचना वीरेन्द्र स्वरूप, उ०नि० द्वारा की गयी, जिन्होंने पूर्व कित्ता केस डायरी का अवलोकन किया। स्वतंत्र साक्षीगण के बयान अंकित किये तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू व श्रीमती रामा देवी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-363, 366, 328, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो

अधिनियम आरोप पत्र प्रदर्श क-5 न्यायालय प्रेषित किया।

7- अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू एवं श्रीमती रामा देवी को अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान करके न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध दिनांक 06-08-2018 को अन्तर्गत धारा-363, 366, 354, 328 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम, आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्षी आहूत किये।

8- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	जितेन्द्र कुमार (वादी)	तहरीर प्रदर्श क-1
पी०डब्लू०-2	पीड़िता (सी)	बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-2
पी०डब्लू०-3	रविन्द्र सिंह, एच०सी०	प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 व जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्श क-4
पी०डब्लू०-4	वीरेन्द्र स्वरूप, उ०नि० (द्वितीय विवेचक)	आरोप पत्र प्रदर्श क-5
पी०डब्लू०-5	लाखन सिंह, उ०नि० (प्रथम विवेचक)	नक्शा नजरी प्रदर्श क-6
पी०डब्लू०-6	डा० शशीकांत गुप्ता (विशेषज्ञ)	पीड़िता (सी) की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-7 व आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-8

9- पी०डब्लू०-1 वादी जितेन्द्र कुमार ने कहा है कि मेरी बहन/पीड़िता (सी), उम्र 16 वर्ष को, दिनांक 05-10-2017 को सुबह अमित कुमार पुत्र धीरेन्द्र कुमार बहला फुसला कर भगा ले गया था, जिसकी तहरीर मैंने सुशील कुमार से बोल-बोल कर लिखाई थी। तहरीर लिखने के बाद मुझे पढ़कर सुनाई थी, तब मैंने तहरीर पर हस्ताक्षर किए थे, जो तहरीर पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की है। इस घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था। अमित कुमार का भाई जीतू व माँ रामा देवी ने भी मेरी बहन को भगाने में सहयोग किया था। पुलिस ने मेरी निशानदेही पर मौका मुआयना किया था। इस गवाह ने अपने सशपथ बयान से तहरीर प्रदर्श क-1 को साबित किया है।

10- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (सी) ने कहा है कि घटना दिनांक 05-10-2017, समय करीब 05:00 बजे सुबह की है। घटना के समय मेरी उम्र 16 वर्ष थी। घटना वाले दिन मुझे अमित ने फोन कर बुलाया था। अमित को मैं पहले से जानती थी। अमित ने मुझे फोन कर कहा था कि तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उस समय घर में सो रही थी और मेरी दादी राज कुमारी, पापा सत्यवीर सिंह, छोटी बहन भी सो रहे थे। मेरी मम्मी का पहले ही निधन हो गया था। जैसे ही फोन आया था, वैसे ही मैं, अमित के घर पहुंच गयी। अमित के फोन आने की बात मैंने किसी को नहीं बताई, न किसी को जगाया था। मैं, अमित के घर पहुंची, अमित ने मुझे पानी पिलाया और कुछ मुझे सुंघा दिया, तब मैं बेहोश हो गयी। बेहोश होने के बाद अमित के भाई जीतू और अमित की माँ ने मुझे छेड़छाड़ की और तीनों लोग मुझे गाड़ी में डालकर उसायनी ले गये, वहाँ से मुझे टूण्डला स्टेशन ले गये। जबरदस्ती मुझे दिल्ली भेजने लगे, तभी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। जीतू और अमित ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी। उक्त तीनों लोग अमित, जीतू व रामा मुझे विवाह करने के उद्देश्य से बहला फुसला कर ले गये थे। घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था व मेरा मेडीकल कराया था। मेरा मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस ने बयान कराया था। साक्षी बयान धारा-164 दं०प्र०सं० नियमानुसार खोल कर दिखाया व पढ़कर सुनाया तो साक्षी ने कहा कि इस पर लगा फोटो व निशानी अंगूठा मेरा है। मैं अपने निशानी अंगूठा की पुष्टि करती हूँ। यही बयान मैंने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्शक-2 को साबित किया है।

11- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (सी) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा है कि -

घटना आज से करीब छः दिन पहले की है। समय करीब सुबह के 05:00 बजे थे। अमित ने मुझे फोन किया कि तेरे भाई अवधेश का एक्सीडेंट हो गया है। मैं घर पर सो रही थी। उस वक्त मेरे घर पर मेरी दादी राज कुमारी, पापा सत्यवीर सिंह, छोटी बहन अश्वनी सो रहे थे। मेरी मम्मी खत्म हो गई हैं। जैसे ही फोन आया, मैं अमित के घर पहुंच गई। मैंने फोन की खबर अपने घर पर किसी को नहीं बताई, न मैंने किसी को जगाया और बिना बताए ही घर से चली गई। जब मैं अमित के घर पहुंची, तो उसने मुझे पानी पिलाया, जिसे पीकर मैं चकर खाकर गिर गई, बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद अमित, उसके भाई जीतू और उसकी माँ रामा ने मुझे छेड़ा-छाड़ा और गाड़ी में डालकर उसायनी ले गये

और वहाँ से मुझे स्टेशन (टूण्डला रेलवे वाला) ले गये और जबरदस्ती दिल्ली भेजने लगे, तभी पुलिस ने मुझे और अमित को पकड़ लिया। मेरा मेडीकल पुलिस ने कराया था।

12- पी०डब्लू०-3 रविन्द्र सिंह, एच०सी० ने कहा है कि दिनांक 05-10-2017 को मैं, थाना टूण्डला में बतौर सी०सी० तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा जितेन्द्र कुमार की लिखित तहरीर के आधार पर समय 12:30 बजे मुकदमा अपराध संख्या-795/2017 बनाम अमित कुमार पुत्र धीरेन्द्र कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-363, 366 भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम पंजीकृत किया था। मेरे द्वारा बोलने पर चिक एफ०आई०आर० टाइप की गई थी, जो पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर थाने की मुहर लगी है व उप निरीक्षक लाखन सिंह के हस्ताक्षर हैं, जिसको मैं प्रमाणित करता हूँ, जिसका खुलासा जी०डी० सं०-29 पर समय 12:30 बजे किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर थाने की मुहर लगी है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-3 व जी०डी० कायमी मुकदमा प्रदर्श क-4 को साबित किया है।

13- पी०डब्लू०-4 वीरेन्द्र स्वरूप, तत्कालीन विवेचक ने कहा कि दिनांक 05-11-2017 को मैं, थाना टूण्डला की चौकी लाइनपार में चौकी प्रभारी नियुक्त था। मुकदमा अपराध संख्या-795/2017, धारा-363, 366, 328, 354 भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम अमित आदि तीन नफर की विवेचना पूर्व विवेचक लाखन सिंह, उ०नि० के स्थानान्तरण होने के उपरान्त मुझे प्राप्त हुई थी। उसी दिनांक को मैंने पूर्व किता केस डायरी का अवलोकन किया। स्वतंत्र साक्षीगण के बयान अंकित किये तथा अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू व श्रीमती रामा देवी के विरुद्ध अपराध धारा-363, 366, 328, 354 भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया, जो पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से आरोप पत्र प्रदर्श क-5 को साबित किया है।

14- पी०डब्लू०-5 लाखन सिंह, उ०नि० ने कहा है कि दिनांक 05-10-2017 को मैं, थाना टूण्डला में बतौर उप निरीक्षक तैनात था। मुकदमा अपराध संख्या-795/2017, धारा-363, 366 भा०द०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम बनाम अमित की विवेचना थाना कार्यालय से प्राप्त हुई। मैंने विवेचना ग्रहण कर नकल एफ०आई०आर०, नकल रपट, बयान वादी, बयान तहरीर एवं एफ०आई०आर० लेखक अंकित

किये तथा घटना स्थल का निरीक्षण कर मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया था, जो पत्रावली पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ।

**15-** मुखबिर की सूचना पर अपहृता/पीड़िता (सी) को महिला आरक्षी रूपेश के सहयोग से रेलवे स्टेशन, टूण्डला से बरामद कर थाना दाखिल किया। महिला होमगार्ड ममता के साथ भेजकर अपहृता का चिकित्सीय परीक्षण कराया तथा अपहृता का बयान धारा-161 दं०प्र०सं० अंकित किया। सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र की नकल केस डायरी में की, जिसमें अपहृता की आयु करीब 17 साल निर्धारित की गयी थी। पीड़िता (सी) का बयान धारा-164 दं०प्र०सं० माननीय न्यायालय में कराकर उसका अवलोकन किया तथा पीड़िता के उक्त बयान के आधार पर अभियोग में धारा -328, 354 भा०दं०सं० की बढोत्तरी की गयी एवं अभियुक्तगण रामा देवी व जीतू का नाम प्रकाश में आया। न्यायालय के आदेश से पीड़िता (सी) को उसके भाई के सुपुर्द किया तथा मुखबिर की सूचना पर नामित अभियुक्त अमित व प्रकाश में आये अभियुक्तगण जीतू एवं रामा देवी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया। उसके बाद मेरा स्थानान्तरण हो गया था। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 को साबित किया है।

**16-** पी०डब्लू०-6 डा० शशीकान्त गुप्ता ने कहा है कि दिनांक 07-10-2017 को मैं, बतौर रेडियोलॉजिस्ट फिरोजाबाद में तैनात था। उस दिन पीड़िता (सी) पुत्र सत्यवीर सिंह, निवासी अम्बेडकर नगर, नई आबादी रैना, थाना उत्तर, फिरोजाबाद का एक्सरे परीक्षण किया था, जिसे महिला पुलिसकर्मी ममता, थाना टूण्डला लेकर आई थी एवं जिसे सब इन्स्पेक्टर लाखन सिंह, थाना टूण्डला ने सन्दर्भित किया था। मैंने पाँच भागों के एक्सरे कराये थे। एक्सरे दांयी कोहनी के जोड़, एक्सरे दांये घुटने के जोड़ व एक्सरे दांयी कलाई, इन तीनों में हड्डियों के एपीफाइसिस अपनी-अपनी हड्डियों से जुड़ चुके थे। एक्सरे कूल्हे की इलियक हड्डी व एक्सरे कॉलर हड्डी के मध्य भाग, इनके एपीफाइसिस अपनी हड्डी से नहीं जुड़े थे। रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी कहा है कि सी०एम०ओ० द्वारा गठित बोर्ड ने पीड़िता (सी) की आयु लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी थी, जिसमें मैं भी सदस्य था। उम्र परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, जिनकी मैं पुष्टि करता हूँ। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-7 एवं आयु निर्धारण प्रपत्र प्रदर्श क-8 को साबित किया है।

**17-** अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

**18-** अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 02-12-2023 को अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को झूठा बताया और कहा कि गवाहन ने उनके विरुद्ध रंजिशन झूठी गवाही दी है। वादी व पीड़िता के सम्पूर्ण कथन झूठे हैं। हैड कां० रविन्द सिंह औपचारिक साक्षी है। घटना की सत्यता एवं असत्यता से कोई संबंध नहीं है। विवेचकों ने विधिवत विवेचना नहीं की है, बल्कि वादी को लाभ पहुंचाया गया है। डाक्टर औपचारिक साक्षी है। उनके विरुद्ध मुकदमा रंजिशन चला है। अभियुक्तगण को मौहल्ले की रंजिशन की वजह से झूठा फंसाया है।

**19-** अभियुक्तगण ने सफाई में साक्ष्य देना कहा, परन्तु सफाई में कोई भी मौखिक अथवा प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं की है।

**20-** मैंने, विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद कुमार चौहान एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री आनन्द यादव, एडवोकेट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

**21-** उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

**22-** धारा-363 भारतीय दण्ड संहिता - व्यपहरण के लिए दण्ड - जो कोई व्यक्ति, विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

**23-** धारा-366 भारतीय दण्ड संहिता - विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना - जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभिन्नास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।

**24-** धारा-354 भारतीय दण्ड संहिता - स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग- जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह सम्भाव्य जानते हुए कि तद्द्वारा वह उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा, या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

**25-** धारा-328 भारतीय दण्ड संहिता - अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना - जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए या अपराध करने के, या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह तद्द्वारा उपहति कारित करेगा, कोई विष या जरिमाकारी, नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

**26-** धारा-7 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – लैंगिक हमला – जो कोई, लैंगिक आशय के साथ बालक की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छूता है या बालक को ऐसे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है या लैंगिक आशय के साथ ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक सम्पर्क अंतर्ग्रस्त होता है, उसके द्वारा लैंगिक हमला किया गया माना जाएगा।

**27-** धारा-8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 – लैंगिक हमले के लिए दंड – जो कोई लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुमाने से भी दंडनीय होगा।

### -: निष्कर्ष :-

**28-** अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू व श्रीमती रामा देवी के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

**29-** प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू व श्रीमती रामा देवी की भूमिका व संलिप्तता का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा –निर्देशों के आलोक में किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण मौखिक साक्ष्य पर आधारित है। अतः अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकन, बचाव पक्ष के साक्ष्य/तर्कों के दृष्टिगत करना है।

**30-** प्रश्नगत अपराध एक ऐसा अपराध है, जिसके विषय में विधायिका द्वारा विशेष प्रावधान किया गया है। सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार न्यायालय अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा करता है। अभियोजन पक्ष को अपना मामला युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त की किसी कमी का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन पोक्सो एक्ट 2012 इस सामान्य आपराधिक न्याय शास्त्र का अपवाद प्रस्तुत करता है। धारा 29 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियोजन प्रारम्भ होने पर अभियुक्त के दोषी होने की उपधारणा किये जाने तथा धारा-30 पोक्सो अधिनियम, 2012 अभियुक्त की आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा किये जाने का प्रावधान करता है।

**31-** धारा-29 पोक्सो अधिनियम 2012- कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा – जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, धारा 5, धारा 7 और धारा 9 के अधीन किसी अपराध को करने, करने का दुष्प्रेरण करने या करने का प्रयत्न करने के लिए अभियोजित किया जा रहा है। वहां विशेष न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने वह अपराध किया है, जब तक कि इसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता।

### 32- धारा-30 पोक्सो अधिनियम 2012, आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा-

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में, जो अभियुक्त की ओर से आपराधिक मानसिक स्थिति की अपेक्षा करता है, न्यायालय ऐसी मानसिक स्थिति की विद्यमानता की उपधारणा करेगा, किन्तु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करने के लिए प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में किसी अपराध के लिए आरोपित कृत्य के सम्बन्ध में उसकी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी तथ्य का साबित किया जाना केवल तभी कहा जायेगा जब न्यायालय इसकी विद्यमानता के बारे में युक्तियुक्त सन्देह से परे विश्वास करता है और केवल तब नहीं जब इसकी विद्यमानता संभाव्यता की प्रबलता द्वारा स्थापित होती है।

**स्पष्टीकरण-** इस धारा में "आपराधिक मानसिक स्थिति" के अन्तर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास या विश्वास किये जाने का कारण भी है।

33- इस प्रकार पोक्सो अधिनियम 2012 के उपरोक्त प्रावधान आज्ञापक हैं और उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त द्वारा अपराध किया जाना तथा अभियुक्त की आपराधिक मनः स्थिति की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य है, लेकिन यह उपधारणा खण्डनीय है, जिसे अभियुक्त अपनी साक्ष्य से खण्डित कर सकता है।

34- केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले की विवेचना उप निरीक्षक लाखन सिंह ने पर्चा सं०-1 लगायत पर्चा सं०-5 तक की। उनका स्थानान्तरण हो जाने के कारण विवेचना श्री वीरेन्द्र स्वरूप, उप निरीक्षक को सौंपी गयी, जिन्होंने केस डायरी में तीन पर्चे किता करते हुए अभियुक्तगण अमित, जीतू व रामा देवी के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा-328, 363, 366, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में न्यायालय प्रेषित किया।

35- माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुसाउद्दीन अहमद बनाम आसाम राज्य 2009 (66) ACC 682 सु०को० में यह प्रतिपादित किया है कि यदि पीड़िता के द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान एवं धारा-164 द०प्र०सं० के कथनों में गम्भीर विरोधाभास हो, तो यह अभियोजन के मामले को संदेहास्पद बनाता है। धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयान मौलिक साक्ष्य नहीं है और न ही इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

36- धारा-161 द०प्र०सं० एवं धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित कथनों का उपयोग केवल कथन करने वाले व्यक्ति के

कथनों को खण्डित करने एवं सम्पोषित करने के लिए किया जा सकता है। इस संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने विधि व्यवस्था नबी बनाम उ०प्र० राज्य-1999 (2) क्राइस 272 में यह अवधारित किया है कि धारा 164 द०प्र०स० के अन्तर्गत अंकित कथनों को सारवान साक्ष्य के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इस कथन का प्रयोग मात्र धारा 145 व धारा 157 साक्ष्य विधि के अन्तर्गत साक्षी के कथन को सम्पुष्ट करने एवं उसके कथन को खण्डित करने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है।

### -: आयु निर्धारण :-

37- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2000 की धारा-2(घ) में "बालक" को परिभाषित करते हुए यह व्यवस्था प्रदत्त है कि - "बालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।

38- विधि व्यवस्था जनरैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2013 (7) एस०सी०सी० 263, गजब सिंह बनाम पंजाब राज्य 2019(2) आर०सी०सी०आर० (क्रि०) 631, ईरा द्वारा मंजुला कृपेन्दडोर्फ बनाम राज्य (दिल्ली एन०सी०टी० सरकार) और अन्य, 2017 (15) एस०सी०सी० 13, चमन खाँ बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य, मनु/उ०प्र०/2952/2019, के अनुसार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 तथा अधिनियम 2015 के अन्तर्गत बालक (नर/मादा) की आयु का निर्धारण घटना के समय प्रचलित पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार किया जाएगा।

39- यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अधिनियम -2015, दिनांक 15-01-2016 से लागू हुआ है। यहाँ यह अंकित करना समीचीन है कि जब विवाद जन्मतिथि का हो और प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध हो तो अधिनियम-2015 उपरोक्त के प्रकाश में धारा-94 में प्रस्तुत व्यवस्था के दृष्टिगत वरीयता, प्रथम विद्यालय से प्राप्त जन्मतिथि प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा की मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो और उसके अभाव में अन्य प्रमाणपत्रों पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। इस प्रकार अधिनियम-2015 में प्रथम विद्यालय से निर्गत प्रमाणपत्र को वरीयता दी गयी है, अर्थात् हाईस्कूल से निर्गत प्रमाणपत्र के ऊपर वरीयता प्रथम बार प्रवेश लिए गये विद्यालय के प्रमाणपत्र को दी जायेगी।

40- पी०डब्लू०-1 वादी जितेन्द्र कुमार ने तहरीर प्रदर्श क-1 एवं विवेचक को दिये बयान अन्तर्गत धारा-161 द०प्र०स० तथा

न्यायालय के समक्ष दिये सशपथ बयान में अपनी बहन/पीड़िता (सी) की आयु घटना दिनांक 05-10-2017 को 16 वर्ष बताई है। जिरह में कहा कि मेरी बेटी कक्षा-3 तक पढ़ी है। मैंने दरोगाजी को शिक्षा से संबंधित कागजात दिये थे। यह मुझे याद नहीं, किस कक्षा के थे।

41- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (सी) ने बयान धारा-161 व 164 द०प्र०सं० एवं न्यायालय में दिये बयान में घटना के समय अपनी उम्र 16 वर्ष अंकित कराई है। जिरह में कहा कि मैं कक्षा -5 तक पढ़ी हूँ। मुझे अपनी जन्मतिथि याद नहीं है। जन्मतिथि, आधार कार्ड में लिखी होगी, मुझे याद नहीं है।

42- पी०डब्लू०-5 विवेचक लाखन सिंह ने विवेचना करते हुए पर्चा संख्या -3, दिनांकित 07-10-2017 में पीड़िता (सी) का चिकित्सीय परीक्षण सी०एम०ओ, फिरोजाबाद से कराया। आयु निर्धारण प्रमाणपत्र के आधार पर अपहृत/पीड़िता (सी) की आयु करीब 17 साल निर्धारित की गयी। विवेचक ने पीड़िता (सी) की आयु/जन्मतिथि के संबंध में कोई कथन नहीं किया और ना ही जिरह में अभियुक्त द्वारा कोई प्रश्न पूछा गया है।

43- पी०डब्लू०-6 डा० शशीकांत गुप्ता ने दिनांक 07-10-2017 को पीड़िता (सी) का चिकित्सीय परीक्षण आयु निर्धारण की बावत् जिला अस्पताल में कराया। डा० शशी ने पीड़िता (सी) के एकसरे पाँच भाग में कराए थे, जिनमें तीन भाग- 1. दायी कोहनी के जोड़ का एकसरे, 2. दांये घुटने के जोड़ का एकसरे, 3. दायी कलाई का एकसरे, में तीनों हड्डियों की एपीफाइसिस अपनी-अपनी हड्डियों से जुड़ चुके थे। 4. कूल्हे की इलियक हड्डी का एकसरे, 5. कॉलर हड्डी के मध्य भाग का एकसरे, की सभी एपीफाइसिस अपनी हड्डी से नहीं जुड़े थे। डा० शशी ने एकसरे रिपोर्ट प्रदर्श क-7 एवं सी०एम०ओ० द्वारा जारी आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्श क-8 में पीड़िता (सी) की अंकित आयु लगभग 17 वर्ष को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। डा० ने जिरह में कहा कि मैं, कलाई, कोहनी एवं घुटनों के संबंध में विशेषज्ञ राय रखता हूँ। यह बात भी सही है कि घुटने, कलाई, कोहनी के जोड़ फ्यूज्ड थे। लड़कियों का 18 वर्ष की उम्र में फ्यूजन हो जाता है।

44- अभियुक्तगण जीतू, अमित कुमार एवं श्रीमती रामा देवी ने बयान धारा-313 द०प्र०सं० में अभियोजन कथानक को झूठा एवं पी०डब्लू०-1 जितेन्द्र कुमार एवं पीड़िता (सी) के कथन को झूठा होना कहा तथा एच०सी० रविन्द्र सिंह को औपचारिक साक्षी बताया। विवेचक लाखन सिंह एवं वीरेन्द्र स्वरूप द्वारा वादी को लाभ पहुंचा कर विधिवत् विवेचना नहीं करना कहा है। डा० शशी द्वारा दी गयी साक्ष्य के लिए कुल

कथन राय पर आधारित और औपचारिक साक्षी होना कहा है। गवाहों द्वारा विरुद्ध रंजिश साक्ष्य देना और विरुद्ध मुकदमा रंजिशन चलना, कहा है। विशेष कथन में मौहल्ले की रंजिश की वजह से झूठा फंसाना कहा है।

45- पीड़िता (सी) की आयु का निर्धारण **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 को निरस्त कर दिया गया है और वर्तमान में **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** लागू है जिसके अन्तर्गत **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम 2016** बनाये गये हैं, जिसके नियम 54(18) (IV) के अनुसार पीड़ित की आयु के निर्धारण के लिए धारा 94 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** की प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

46- आयु निर्धारण के लिए धारा 94(2) **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** में व्यवस्था की गयी है, जिसके अनुसार आयु का निर्धारण करने के लिए निम्न प्रक्रिया होगी:-

- (i)- विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में,
- (ii)- निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र,
- (iii)- उपरोक्त (i) और (ii) के अभाव में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर की गयी **अस्थि जाँच** या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जायेगा।

47- धारा 94 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** के अनुसार पीड़िता (सी) की आयु का निर्धारण प्रथमतः शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर मान्य होगा। **शैक्षिक अभिलेखों के अभाव में चिकित्सीय परीक्षण और अस्थि जाँच के आधार पर आयु का निर्धारण किया जा सकता है।**

48- उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 05-10-2017 को पीड़िता (सी) की आयु के सन्दर्भ में अभियोजन एवं वादी ने कोई शैक्षिक अभिलेख दाखिल नहीं किया है। चिकित्सीय परीक्षण उपरान्त सी०एम०ओ० द्वारा गठित बोर्ड के अनुसार लगभग 17 वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं मोदी ज्यूरिस्प्रूडेन्स के अनुसार दो वर्ष का अन्तराल हो सकता है।

49- धारा 94 **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015** के अनुसार चिकित्सीय परीक्षण/अस्थि जाँच के

आधार पर नाबालिग पीड़िता की आयु का निर्धारण किया जाना अन्तिम आधार है। उक्त उपबन्ध में पीड़िता की आयु निर्धारण के लिए प्रथम विश्वसनीय आधार पीड़िता की शैक्षिक प्रपत्रों में अंकित जन्मतिथि और उसकी अनुपस्थिति में निगम, नगर- पालिका प्राधिकारी या नगर पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र, उपरोक्त की अनुपस्थिति में चिकित्सीय परीक्षण और अस्थि जाँच के आधार पर पीड़िता की आयु का निर्धारण किया जा सकता है।

**50-** विष्णु उर्फ अन्द्रया बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2006 (1) जुड़ीशियल क्रिमिनल पेज 281 में संप्रेक्षित सिद्धान्त है कि चिकित्साधिकारी के विचार/साक्ष्य न्यायालय की सहायता के रूप में होते हैं। चिकित्सीय अधिकारी द्वारा दी गई साक्ष्य वास्तविक रूप में सलाहकारी प्रकृति की होती है, जो तथ्य के साक्षी पर प्रभावी नहीं होती है।

**51-** पीड़िता (सी) ने अपने बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० एवं न्यायालय में दिये बयान में अपनी उम्र 16 वर्ष बताई है और स्वयं को कक्षा-5 तक पढ़ा होना कहा, जबकि वादी ने अपनी बहन/पीड़िता (सी) को कक्षा-3 तक पढ़ना कहा है। पीड़िता (सी) ने जिरह में कहा कि मेरी जन्मतिथि मुझे याद नहीं है, आधार कार्ड में लिखी होगी। वादी जितेन्द्र एवं पीड़िता (सी) ने अपनी जन्मतिथि नहीं बताई है और पत्रावली में तथा विवेचक को, पीड़िता (सी) की शिक्षा से संबंधित कोई शैक्षिक अभिलेख दाखिल नहीं किया है।

**52-** डा० शशी ने पीड़िता (सी) की आयु एकसरे व मेडीकल बोर्ड के आधार पर लगभग 17 वर्ष बताई है, जिसे सी०एम०ओ० ने भी प्रमाणित किया है। अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू एवं श्रीमती रामा देवी ने पीड़िता (सी) की घटना के समय आयु लगभग 17 वर्ष, के खण्डन में किसी स्कूल या शिक्षण संस्था का प्रमाणपत्र/अंकपत्र दाखिल नहीं किया है, जिससे सी०एम०ओ० द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रदर्शक-8 में अंकित पीड़िता (सी) की आयु लगभग 17 वर्ष का खण्डन हो सके। पत्रावली में दाखिल पीड़िता (सी) की आयु के संबंध में सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रदर्शक-8 के अनुसार पीड़िता (सी) घटना दिनांक 05-10-2017 को लगभग 17 वर्ष की थी।

**53-** धारा 94 (iii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अनुसार आयु/जन्मतिथि का शैक्षिक प्रपत्र न होने के कारण, चिकित्सीय प्रपत्रों में अंकित आयु पीड़िता (सी) की वास्तविक आयु मानी जायेगी, जिसके अनुसार पीड़िता (सी) घटना दिनांक 05-10-2017 को 17 वर्ष की पूर्णतः नाबालिग थी। नाबालिग की सहमति कानून की नजर में व्यर्थ है। पीड़िता (सी) घटना के समय

अपना अच्छा बुरा सोचने-समझने में सक्षम नहीं थी। उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रस्तुत मामले में पीड़िता (सी) की आयु, घटना दिनांक 05-10-2017 को 17 वर्ष (नाबालिग) निर्धारित की जाती है।

### -: आरोपित अपराध का विवेचन :-

54- वादी जितेन्द्र ने तहरीर प्रदर्श क-1 में कहा कि अभियुक्त अमित कुमार दिनांक 05-10-2017 की सुबह मेरी बहन/पीड़िता (सी) को बहला फुसला कर भगा ले गया। तहरीर लेखक सुशील कुमार ने लिखी है, जिस पर वादी जितेन्द्र के हस्ताक्षर हैं।

55- पी०डब्लू०-1 वादी जितेन्द्र ने तहरीर प्रदर्श क-1 का समर्थन करते हुए कहा कि अमित कुमार दिनांक 05-10-2017 को मेरी बहन/पीड़िता (सी) को बहला फुसला भगा ले गया। तहरीर मैंने सुशील कुमार से बोल कर लिखाई थी। सुनकर हस्ताक्षर किए थे। अमित का भाई जीतू व माँ रामा देवी ने मेरी बहन को भगाने में सहयोग किया था।

56- जितेन्द्र ने जिरह में कहा कि मैं कक्षा -9 तक पढ़ा हूँ और लिखा पढ़ी कर लेता हूँ। सुशील मेरे घर पर बैठे थे। तहरीर सुशील से लिखवाई थी। तहरीर मैंने स्वयं नहीं लिखी थी, लिखवाई थी। मैंने तहरीर क्यों नहीं लिखी, इसका कारण नहीं बता सकता। यह बात सही है कि जो तहरीर मैंने लिखवाई है, उसमें समय का उल्लेख नहीं है।

57- मैं घर पर ही था, बाहर नहीं गया था। अमित का घर मेरे घर से 8-10 मकान छोड़ कर होगा। यह बात सही है कि मैंने जीतू और रामा देवी का नाम तहरीर में नहीं लिखाया है। अमित को मैं मौहल्ले में रहने के कारण जानता हूँ। अमित मेरी बहन को घर से ही ले गया था।

58- मैंने दरोगा जी को बयान दिया था कि - " मैं अपनी बहन के साथ टूण्डला रेलवे स्टेशन पर आया और अपनी बहन को वेटिंग रूम में (टिकट घर) के पास बैठा कर टिकट लेने गया था। मेरी बहन/पीड़िता (सी) को इसी दौरान अमित कुमार पुत्र धीरेन्द्र कुमार बहला फुसला कर ले गया। " मेरे द्वारा आज न्यायालय में पीड़िता (सी) को घर से ले जाने वाला जो बयान दिया है, यह सही है। मेरे सामने अभियुक्त अमित, पीड़िता (सी) को नहीं ले गया।

59- जब अभियुक्त अमित, जीतू, रामा देवी टूण्डला रेलवे स्टेशन पर पकड़े गये, तब जानकारी हुई कि अभियुक्तगण मेरी बहन को भगा कर ले जा रहे थे। मेरे द्वारा घटना की एफ०आई०आर० पहले लिखवाई गई थी, जबकि अभियुक्तगण टूण्डला रेलवे स्टेशन पर बाद में पकड़े गये थे। घटना स्थल टूण्डला रेलवे स्टेशन का दिखाया गया था।

60- मैं टूण्डला रेलवे स्टेशन पर, मथुरा रेलवे स्टेशन की टिकट लेने गया था। मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने टिकट दरोगा जी को दी थी या नहीं। घर पर मेरी दादी थी, सुशील घर पर नहीं था। सुबह 7-8 बजे की बात है। मैं घर से चूड़ी जुड़ाई का काम करने 6-7 बजे निकल जाता हूँ।

61- वादी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मुझे घटना की जानकारी न हो और मैं झूठा बयान दे रहा हूँ। घटना के समय मेरी बहन बालिग हो और बहन के साथ मारपीट करने के कारण वह चली गयी हो और अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया हो।

62- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (सी) ने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० का समर्थन करते हुए कहा कि घटना आज से करीब छः दिन पहले, सुबह 05:00 बजे की है। अमित ने मुझे फोन किया कि तेरे भाई अवधेश का एक्सीडेंट हो गया है। मैं घर पर सो रही थी। उस वक्त मेरे घर पर मेरी दादी राज कुमारी, पापा सत्यवीर सिंह, छोटी बहन अश्वनी भी सो रहे थे। मेरी मम्मी खत्म हो गई हैं। जैसे ही फोन आया, मैं अमित के घर पहुंच गई। मैंने फोन की खबर अपने घर पर किसी को नहीं बताई, न मैंने किसी को जगाया और बिना बताए ही घर से चली गई। जब मैं अमित के घर पहुंची, तो उसने मुझे पानी पिलाया, जिसे पीकर मैं चक्कर खाकर गिर गई, बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद अमित, उसके भाई जीतू और उसकी माँ रामा ने मुझे छोड़ा-छाड़ा और गाड़ी में डालकर उसायनी ले गये और वहाँ से मुझे स्टेशन (टूण्डला रेलवे वाला) ले गये और जबरदस्ती दिल्ली भेजने लगे, तभी पुलिस ने मुझे और अमित को पकड़ लिया। मेरा मेडीकल पुलिस ने कराया था।

63- पीड़िता (सी) ने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० के विपरीत, महिला कां० अरुणवाला को दिये बयान धारा-161 दं०प्र०सं० कागज संख्या-7 अ में कहा कि मैं अमित को बहुत दिन से जानती हूँ। ये मेरे मौहल्ले का रहने वाला है। मैं इससे बहुत दिनों से शादी करने के लिए कह रही थी, तो नौ दुर्गों में हम दोनों ने मन्दिर में शादी कर ली है। आज सुबह दिनांक 05-10-2017 को मैं छत के ऊपर से अमित के साथ टूण्डला भाग आई और यहाँ हमको पुलिस ने पकड़ लिया। मैंने अमित से शादी कर ली है। अपनी मर्जी से अमित के साथ भाग कर आई हूँ और अब अमित के साथ ही रहना चाहती हूँ।

64- पीड़िता (सी) ने न्यायालय में दिये बयान में कहा कि अमित को पहले से जानती हूँ। घटना वाले दिन अमित ने फोन करके बुलाया और कहा कि तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मैं उस समय घर पर सो रही थी। उस समय मेरी दादी राज कुमारी, पापा सत्यवीर और छोटी बहन सो रहे थे। जैसे ही फोन आया, वैसे ही मैं इसके घर पहुंच

गयी। फोन आने की बात मैंने किसी को बताई नहीं और न किसी को जगाया। अमित ने मुझे पानी पिलाया और मुझे कुछ सुंघा दिया, तो मैं बेहोश हो गयी। बेहोश होने के बाद अमित के भाई जीतू और अमित की माँ ने मुझसे छेड़ा छाड़ी की, फिर कहा कि जीतू और अमित ने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी, परन्तु क्या छेड़ाछाड़ी की, इसको स्पष्ट नहीं किया। फिर कहा कि उक्त तीनों लोग अमित, जीतू व रामा मुझे विवाह करने के उद्देश्य से बहला फुसला कर ले गये थे, जबकि पीड़िता (सी) ने अपने बयान में कहा कि वह अमित को पहले से जानती है और उसकी उससे बातचीत होती रहती है और उसके कहने पर ही अमित ने उससे नौदुर्गों में शादी कर ली है और वह अपने पति अमित के साथ ही रहना चाहती है। ऐसी स्थिति में अमित आदि द्वारा विवाह करने के उद्देश्य से बहलाने फुसलाने का कथन अविश्वसनीय है।

**65-** पीड़िता (सी) ने जिरह में कहा कि अमित ने मुझे सुबह 05:00 बजे जिस नम्बर पर फोन किया था, वह मुझे याद नहीं। जिस नम्बर से अमित ने मुझे फोन किया था, वह नम्बर भी मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं सो रही थी। भाई अवधेश के अलावा सब लोग घर पर थे। अवधेश बाहर काम कर रहा था, पता नहीं कहाँ पर। फोन आने के कई दिन पहले अवधेश मेरा भाई, फिरोजाबाद से बाहर काम करने चला गया था।

**66-** अमित का फोन आने के पश्चात मैंने अवधेश को कोई फोन नहीं किया। घर पर भी मैंने किसी को नहीं बताया। हम छत पर ही सो रहे थे। अमित व उसके घर वालों का मेरे घर पर कोई आना-जाना नहीं है। अमित के घर की छत, मेरे घर की छत से मिली नहीं है। अमित का घर, मेरे घर से काफी दूर है।

**67-** मैं, अमित का फोन आने के पश्चात, मैं अपने घर से, सड़क से होते हुए गई थी। मैंने अपने घर के दरवाजे खोले थे, तब भी घर के सभी लोग सो रहे थे। मैं अमित का घर पहले से जानती हूँ। अमित ने फोन करके कहा कि तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तू जल्दी आ जा। जब मैं अमित के घर गयी तो वहाँ तीन लोग मिले थे। उक्त लोगों ने मुझे पानी स्टील के गिलास में पिलाया और उसके बाद कुछ सुंघा दिया था। उसके पाँच मिनट बाद मैं बेहोश हो गयी थी। बेहोश होने के बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा। जब मैं टूण्डला रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तब मुझे होश आया, उसके बाद पुलिस ने मुझे बरामद किया।

**68-** टूण्डला रेलवे स्टेशन पर मैं चिल्लाई थी, तब अमित ने मेरा मुंह बन्द कर दिया था। मैं टिकट घर से दूर खडी थी। जब टूण्डला स्टेशन पहुंची, तब 08:00-08:20 बज गये थे। पुलिस ने मुझे पकड़ लिया था,

तब घर पर सूचना मिली, तब भैया पहुंचे थे। टूण्डला स्टेशन से थाने गयी थी। मेडीकल कराने के लिए पुलिस मुझे लेकर गयी थी, उसके बाद घर आई थी।

69- मैं, सुशील को नहीं जानती। मेरे भाई का दोस्त सुशील हो, तो भी मैं नहीं जानती। वो कभी मेरे घर पर नहीं आया है। मैंने धारा-161 दं०प्र०सं० के बयान में- " कि मैं छत के ऊपर से अमित के साथी भाग कर टूण्डला आई हूं।" यह बयान मैंने पुलिस को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया, मैं नहीं बता सकती। कागज संख्या -7 अ बयान धारा-161 दं०प्र०सं० को देखकर कहा कि इस पर मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम कि मेरे हस्ताक्षर किसने बनाए हैं। घटना के तीन दिन बाद विवेचक ने मेरे बयान लिए थे। पीड़िता (सी) ने महिला आरक्षी अरुणबाला को दिये बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में अपने हस्ताक्षर अंकित किए और मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये बयान धारा-164 दं०प्र०सं० तथा चिकित्सीय प्रपत्रों पर अपने हस्ताक्षर न करके, अपना अंगूठा निशानी लगाया है। पीड़िता (सी) ने यह नहीं कहा कि वह साईन करना नहीं जानती या उसको साईन करना नहीं आता, बल्कि वह इस तथ्य को छिपा रही है कि वह साईन करना जानती है। इसी कारण उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे हस्ताक्षर किसने बनाए। इस बावत पीड़िता (सी) का कथन अविश्वसनीय है।

70- मेरे होश आने के एक-डेढ़ घण्टे बाद पुलिस आई थी। पुलिस के आने के बाद अमित को पुलिस ने पकड़ लिया था व अन्य लोग भाग गये थे। रामा देवी व जीतू शहर की तरफ भाग गये थे। पुलिस स्टेशन की तरफ से आई थी।

71- पीड़िता (सी) इस सुझाव से इन्कार किया कि घटना के समय मेरी उम्र 18-19 साल की हो और मैं नाराज होकर कहीं चली गयी थी और मेरे घर वाले, अमित के घर वालों से रंजिश मानते हों, इसी रंजिश की वजह से मेरे घर वालों ने अमित व उसके घर वालों के विरुद्ध झूठा मुकदमा लिखाया हो।

72- पी०डब्लू०-3 एच०सी० रविन्द्र सिंह ने चिक एफ०आई० आर० को प्रदर्श क-3 एवं जी०डी० नं०-29 को प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया है और जिरह में कहा कि वादी जितेन्द्र कुमार थाने पर अकेला तहरीर लिख व हस्ताक्षर करके लाया था। मैंने घटना के बारे में किसी प्रकार की कोई पूछताछ थाने पर नहीं की। यह सही है कि तहरीर पर कोई समय अंकित नहीं है। मुझे इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि प्रार्थी, अभियुक्त के रंजिशन व्यक्ति थे।

**73-** पी०डब्लू०-4 वीरेन्द्र स्वरूप, तत्कालीन द्वितीय विवेचक ने प्रथम विवेचक लाखन सिंह के स्थानान्तरण उपरान्त पर्चा सं०-7 में स्वतंत्र गवाह अमर चन्द्र, बंशी के बयान अंकित किए और पर्चा सं०-8 से अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू व रामा देवी के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा-363, 366, 328, 354 भा०दं०सं० व धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में बखूबी साबित होने पर आरोप पत्र दाखिल किया, जिसे प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया है।

**74-** साक्षी ने जिरह में कहा कि मुझे विवेचना प्राप्त होने से पहले लड़की बरामद हो चुकी थी। मैंने पीड़िता (सी) को बरामद नहीं किया और ना ही उसका बयान लिया। मैं दौरान विवेचना पीड़िता (सी) बरामदगी स्थल पर नहीं गया। मैंने अपनी विवेचना के दौरान बरामदगी स्थल पर मौजूद लोगों के बयान लिए थे।

**75-** यह बात सही है कि गवाह बंशी ने सुनी हुई बात के आधार पर अपना बयान दिया है। गवाह बंशी न घटना स्थल पर मौजूद था और ना बरामदगी स्थल पर मौजूद था। मैंने अन्य स्वतंत्र गवाहों के बयानात इसी प्रकार लिए थे। यह सही है कि जब मुझे विवेचना प्राप्त हुई, तब मुकदमा उपरोक्त में सभी धाराएं बढ चुकी थीं और विवेचना के सभी बिन्दु पूर्व विवेचक द्वारा निस्तारित कर दिए गये थे। उसके उपरान्त भी संबंधित साक्षीगणों से पुनः पूछताछ किए जाने का प्रयास किया और इसी दौरान स्वतंत्र साक्षीगणों के बयान अंकित किए। यह बात सही है कि इन बातों से संबंधित कार्यवाही मैंने विवेचना में, सी०डी० में अंकित नहीं की है।

**76-** मैंने नक्शा नजरी नहीं बनाया है। मेरे अवलोकन के आधार पर घटना स्थल रेलवे स्टेशन, टूण्डला का है। यदि वादी द्वारा घटना स्थल, अन्य स्थल बताया हो तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकता। यह सही है कि मेरे द्वारा बताये गये घटना स्थल और स्वतंत्र साक्षीगणों के निवास काफी दूर हैं। यह कहना गलत है कि मुझे घटना स्थल, बरामदगी स्थल की जानकारी न हो और मैंने दोनों स्थलों से संबंधित साक्ष्य एकत्रित न किए हों।

**77-** पी०डब्लू०-5 प्रथम विवेचक लाखन सिंह, उ०नि० ने नक्शा नजरी प्रदर्श क-6 को साबित करते हुए अपने द्वारा कित्ता किए गये केस डायरी के पर्चों की कारगुजारी का उल्लेख करते हुए जिरह में कहा कि यह बात सही है कि एफ०आई०आर० के अनुसार घटना रात्रि 12:00 बजे की है तथा एफ०आई०आर० घटना के करीब साढे बारह घण्टे बाद दर्ज करायी गयी।

**78-** नक्शा नजरी वादी की निशानदेही पर उसी दिन बनाई थी। वादी के बयानों के अनुसार घटना स्थल रेलवे स्टेशन, टूण्डला टिकट घर

के पास का था। वादी कथनानुसार पीड़िता (सी) वादी मुकदमा के साथ दिनांक 05-10-2017 को सुबह टूण्डला रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। वादी मुकदमा, पीड़िता (सी) के साथ टूण्डला रेलवे स्टेशन पर सुबह 05:00 बजे था, परन्तु वादी के बयानों में समय अंकित नहीं है। मैंने वादी से नहीं पूछा कि इतनी सुबह पीड़िता (सी) को लेकर कहाँ जा रहे थे। मैंने वादी मुकदमा के बयानों के आधार पर दिनांक 05-10-2017 को घटना स्थल टूण्डला रेलवे स्टेशन पर अन्य किसी के बयान नहीं लिए थे। टूण्डला रेलवे स्टेशन काफी पुराना व बड़ा रेलवे स्टेशन/जंक्शन है, वहाँ आने जाने वालों की काफी भीड़ रहती है। यह सही है कि तहरीर के अनुसार घटना रात्रि 12:00 बजे की है और तहरीर के अनुसार वादी मुकदमा ने घटना स्थल का खुलासा नहीं किया है, जबकि वादी मुकदमा घटना का चश्मदीद साक्षी है, जबकि वादी ने तहरीर में और पीड़िता (सी) ने अपने बयान में घटना 05:00 बजे की होना कहा है। वादी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना के समय वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, इस कारण वह चश्मदीद साक्षी नहीं है, जो विवेचक के कथन को समर्थित नहीं करता है। उपरोक्त दोनों महत्वपूर्ण बिन्दुओं की बावत मैंने वादी से पूछताछ की, लेकिन उसने कोई सन्तोषजनक व युक्तियुक्त बयान नहीं दिया।

**79-** पीड़िता (सी) को ठीक 24 घण्टे पश्चात् मैंने रेलवे स्टेशन, टूण्डला परिसर सीढ़ियों के पास से बरामद कर लिया था। पीड़िता (सी) के साथ कोई अभियुक्त नहीं था। मैंने पीड़िता की जामा तलाशी टिकट आदि के संबंध में महिला कां० से नहीं दिलवाई थी। बरामदगी के समय मैंने रेलवे स्टेशन परिसर के किसी रेलवे स्टाफ का कोई बयान नहीं लिया था।

**80-** पीड़िता (सी) के बयान धारा-161 दं०प्र०सं०, मेडीकल के बाद कराए थे। मेडीकल जाँच में पीड़िता (सी) ने अपनी आन्तरिक जाँच कराने से मना करना अंकित है। पीड़िता (सी) के बयान मैंने बरामदगी वाले दिन ही लिए थे। यह सही है कि पीड़िता (सी) ने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में अभियुक्ता रामा देवी व अभियुक्त जीतू के बारे में कुछ नहीं बताया था और पीड़िता (सी) ने घटना स्थल अपने घर का बताया था।

**81-** मेरी विवेचना में वादी मुकदमा व पीड़िता (सी) दोनों घटना के चश्मदीद गवाह हैं। बरामदगी के करीब चार दिन बाद दिनांक 10-10-2017 को पीड़िता (सी) का बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० न्यायालय में दर्ज कराया था। पीड़िता (सी) के बयान धारा-164 दं०प्र०सं० के अनुसार घटना करीब छः दिन पहले, यानि दिनांक 10-

10-2017 से छः दिन पूर्व की है।

**82-** पीड़िता (सी) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में अभियुक्त अमित द्वारा फोन करना बताया, परन्तु मेरे द्वारा फोन नम्बर के संबंध में विवेचना में कोई पूछताछ नहीं की गयी। पीड़िता (सी) के बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० के अनुसार पीड़िता (सी) दिनांक 05-10-2017 को ही टूण्डला रेलवे स्टेशन, टिकट घर के पास पहुंच गयी थी। पीड़िता (सी) के अनुसार पुलिस ने पीड़िता (सी) को दिनांक 05-10-2017 को ही बरामद कर लिया। पीड़िता (सी) की बरामदगी मैंने दिनांक 06-10-2017 को की थी। बरामदगी के पश्चात् पीड़िता (सी) अपने परिजनों के पास थी। अभियुक्तगण के घर के आस पड़ोस के व्यक्तियों के बयान मेरे द्वारा नहीं लिए गये। मैंने पीड़िता (सी) की दादी राज कुमारी, पिता सत्यवीर एवं बहन अश्वनी के बयान नहीं लिए थे। पीड़िता (सी) के घर के आस पड़ोस के किसी व्यक्ति के बयान मैंने नहीं लिए।

**83-** यह सही है कि वादी मुकदमा के बयान धारा-161 दं०प्र०सं० एवं पीड़िता (सी) के बयान धारा-161 व 164 दं०प्र०सं० में भिन्नता है तथा घटना स्थल एवं अपराध करने के तरीके में भिन्नता है। विवेचक ने इस सुझाव से इन्कार किया कि मैंने विधिवत् विवेचना न की हो और मेरी विवेचना का निष्कर्ष गलत हो।

**84-** पी०डब्लू०-6 डा० शशी कान्त गुप्त ने पीड़िता (सी) का आयु निर्धारण की बावत चिकित्सीय परीक्षण किया है। इन्हें तथ्य के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, परन्तु जिरह में स्वयं को कलाई, कोहनी और घुटनों के संबंध में विशेषज्ञ राय रखना कहा है, लेकिन इलियक क्रस्ट एवं क्लेविकल हड्डी के संबंध में विशेषज्ञ राय रखना नहीं कहा है, जबकि उक्त साक्षी रेडियोलॉजिस्ट है, जो जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद में घटना के समय तैनात था।

**85-** अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू एवं श्रीमती रामा देवी ने बयान धारा-313 दं०प्र०सं० में अभियोजन कथानक गलत/झूठा होना कहा है। पी०डब्लू०-1 जितेन्द्र कुमार द्वारा गलत/झूठी गवाही देना कहा। पी०डब्लू०-2 पीड़िता (सी) का सम्पूर्ण कथन झूठा एवं पी०डब्लू०-3 रविन्द्र सिंह, एच०सी० को औपचारिक साक्षी होना तथा उन्हें घटना की सत्यता एवं असत्यता से कोई संबंध नहीं है। विवेचकों पी०डब्लू०-4 एवं पी०डब्लू०-5 के संबंध में, वादी के दबाव में, वादी को लाभ पहुंचा कर विधिवत् विवेचना नहीं की है। पी०डब्लू०-6 डा० शशी कांत के कुछ कथन असत्य और औपचारिक होना कहा है। गवाहों द्वारा रंजिशन साक्ष्य देना कहा है और रंजिशन मुकदमा चलना कहा है और विशेष कथन में

मौहल्ले की रंजिश की वजह से प्रार्थी को झूठा फंसाया है।

**86-** अभियुक्तगण ने बचाव में कोई सफाई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है और कोई अभिलेखीय साक्ष्य भी दाखिल नहीं किया है।

**87-** पत्रावली में अभियोजन द्वारा तथ्य के मात्र दो साक्षी, वादी जितेन्द्र और पीड़िता (सी) को परीक्षित कराया है। वादी ने तहरीर प्रदर्शक-1 में अपनी बहन/पीड़िता (सी) को दिनांक 05-10-2017 की सुबह अमित द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाना कहा है, परन्तु तहरीर में वादी ने घटना स्थल एवं समय का उल्लेख नहीं किया है, जिसे वादी ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। वादी ने तहरीर सुशील कुमार से लिखवाना कहा है, परन्तु अभियोजन ने उसे साक्ष्य में परीक्षित नहीं कराया। वादी ने कहा कि सुशील घटना के समय उसके घर बैठा हुआ था और वह मेरे घर से कुछ दूर रहता है, मेरा पड़ोसी है। वह मेरे घर पर आता जाता है, जबकि पीड़िता (सी) ने कहा कि वह सुशील को नहीं जानती। वह मेरे भाई का दोस्त हो, तो भी नहीं जानती। वह कभी घर नहीं आया और ना ही उसने कभी सुशील को देखा है। वादी ने स्वयं को कक्षा-9 तक पढ़ना कहा और यह भी कहा कि मैं लिखा पढ़ी कर लेता हूँ, फिर वादी ने स्वयं तहरीर अपने हाथ से न लिखकर, सुशील से क्यों लिखवाई, इसको अपने बयान में स्पष्ट नहीं किया है, जबकि पीड़िता (सी), सुशील, जो उसके मौहल्ले में ही रहता है और उसके घर आता जाता है, उसको जानती तक नहीं है। तहरीर लिखने के संबंध में दोनों साक्षियों के कथनों में परस्पर विरोधाभास है, जो अभियोजन कथानक को समर्थित नहीं करता है।

**88-** तथ्य के दोनों साक्षियों के बयानों में, घटना को लेकर तात्विक विरोधाभास है, जिसने अभियोजन कथानक की बुनियाद हिला दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुलेश मोण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ए०आई०आर० 2007 सुप्रीम कोर्ट 1091 में कहा है कि तुच्छ प्रकृति की असंगति, सुधार एवं लोप अभियोजन मामले की विश्वसनीयता को नष्ट नहीं करते हैं। यह ऐसी सुस्थापित विधि है कि स्वाभाविक गलतियों का परिसाक्ष्यों पर कोई असर नहीं पड़ता है, जबकि तात्विक गलतियों की गड़बड़ी प्रभाव डाल सकती है। अभियोजन साक्षियों के कथन में सामान्यतः उतार-चढ़ाव तात्विक त्रुटि नहीं मानी जाती है। तात्विक त्रुटि सुधार एवं लोप अभियोजन मामलों में तभी घातक साबित होती हैं, जब उनसे अभियोजन मामले की बुनियाद ही मिट गई हो। तुच्छ विरोधाभास के चलते साक्षीगण का सम्पूर्ण साक्ष्य नकारा नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो सम्पूर्ण घटनाक्रम ही संदिग्ध है।

89- माननीय उच्चतम न्यायालय ने उत्पल दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, बैजनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य, 2010 (70) ए०सी०सी० 11 सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय द्वारा नवी अहमद बनाम उ०प्र० राज्य, 1999 (2) क्राइम 272 में यह अवधारित किया कि धारा-164 द०प्र०सं० के कथन को सारवान साक्ष्य के रूप में प्रयोग में नहीं ला सकते। उक्त कथन का प्रयोग मात्र धारा -145 व 157 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत साक्षी को सम्पुष्ट करने एवं उसके साक्ष्य को खण्डित करने के लिए ही प्रयोग में लाया जा सकता है।

90- माननीय उच्चतम न्यायालय ने मुसाउद्दीन अहमद बनाम आसाम राज्य 2009 (66) ACC 682 सु०को० में यह प्रतिपादित किया है कि यदि पीड़िता के द्वारा न्यायालय में दिये गये बयान एवं धारा -164 द०प्र०सं० के कथनों में गम्भीर विरोधाभास हो, तो यह अभियोजन के मामले को संदेहास्पद बनाता है। धारा-161 द०प्र०सं० एवं धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित कथनों का उपयोग केवल कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों को खण्डित करने एवं सम्पोषित करने के लिए किया जा सकता है। धारा-164 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित बयान मौलिक साक्ष्य नहीं है और न ही इसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

91- वादी जितेन्द्र ने कहा कि अभियुक्त अमित उसकी बहन को बहला फुसला कर दिनांक 05-10-2017 को सुबह भगा ले गया, जिसका समर्थन अपने बयान धारा-161 द०प्र०सं० व न्यायालय में दिये बयान में किया है, परन्तु जिरह में कहा कि अमित मेरी बहन /पीड़िता (सी) को घर से ले गया था। जिरह के पृष्ठ सं०-2 के द्वितीय पैरा में कहा कि मैं अपनी बहन के साथ टूण्डला रेलवे स्टेशन पर आया और अपनी बहन को वेटिंग रूम में (टिकट घर) के पास बैठाकर मथुरा रेलवे स्टेशन जाने के लिए टिकट लेने चला गया था। इसी दौरान अमित मेरी बहन/पीड़िता (सी) को बहला फुसला कर ले गया। वादी ने यह भी कहा कि मेरे द्वारा आज न्यायालय में घर से ले जाने वाला बयान दिया है, यह सही है, जबकि इससे पूर्व टूण्डला रेलवे स्टेशन से ले जाना कहा है।

92- वादी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त अमित मेरे सामने मेरी बहन/पीड़िता (सी) को नहीं ले गया था। जब अभियुक्तगण अमित, जीतू एवं रामा देवी, टूण्डला रेलवे स्टेशन पर पकड़े गये, तब जानकारी हुई कि अभियुक्तगण मेरी बहन को भगा कर ले जा रहे थे।

93- मैंने घटना स्थल टूण्डला रेलवे स्टेशन का दिखाया था। मेरी दादी घर पर थी, सुशील घर पर नहीं था, जबकि पूर्व बयान में कहा कि सुशील घर पर ही था और उससे घटना की तहरीर बोल-बोल कर

लिखाई थी। वादी के खुद के बयानों में विरोधाभास है।

**94-** पीड़िता (सी) ने बयान धारा-161 एवं 164 दं०प्र०सं० में कहा कि घटना दिनांक 05-10-2017, सुबह करीब 05:00 बजे की है। अमित ने मुझे फोन करके बुलाया, कहा कि तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मैं अमित को पहले से जानती थी। मेरे साथ मेरी दादी राज कुमारी, पापा सत्यवीर एवं छोटी बहन अश्वनी भी साथ सो रहे थे। अमित के फोन पर मैं उसके घर, बिना किसी को बताए चली गयी, किसी को जगाया भी नहीं। अमित ने मुझे पानी पिलाया और कुछ सुंघा दिया। फिर मैं बेहोश हो गयी, जबकि जिरह में कहा कि अमित के साथ जीतू व उसकी माँ रामा देवी ने स्टील के गिलास में पानी पिलाया। पीड़िता (सी) ने कुछ सुंघाने वाली बात जिरह में नहीं बताई है। तीनों अभियुक्तगण द्वारा छेड़खानी करना कहा है। फिर जिहा में कहा कि जीतू व अमित ने मेरे साथ छेड़खानी की। फिर कहा कि तीनों लोग मुझे विवाह करने के उद्देश्य से बहला फुसला कर, गाड़ी में डालकर उसायनी और वहाँ से टूण्डला रेलवे स्टेशन ले गये, जबकि पूर्व बयान में कहा कि बेहोश करके ले गये। फिर वहाँ से मुझे जबरदस्ती दिल्ली भेजने लगे, तो पुलिस ने पकड़ लिया। इस तथ्य के संबंध में वादी एवं पीड़िता (सी) के बयानों में गम्भीर विरोधाभास है, जो अभियोजन कथानक को समर्थित नहीं करता है।

**95-** पीड़िता (सी) ने अपने बयान में कहा कि वह घटना के समय अपने घर की छत पर सो रही थी, जब अमित का फोन आया था। इसके विपरीत वादी ने कहा कि वह अपनी बहन को लेकर मथुरा रेलवे स्टेशन जा रहा था, तो टूण्डला रेलवे स्टेशन से तीनों मुल्जिमान बहला फुसला कर मेरी बहन को भगा ले गये। पीड़िता (सी) ने यह भी कहा कि वह छत के ऊपर से होकर अमित के घर गयी थी। पीड़िता (सी) ने बयान धारा-161 दं०प्र०सं० में यह कहा कि मैं अमित को मौहल्ले में रहने के कारण बहुत दिनों से जानती हूँ। मैं इससे बहुत दिनों से शादी करने के लिए कह रही थी। नौदुर्गों में हम दोनों ने मन्दिर में शादी कर ली है। आज सुबह दिनांक 05-10-2017 को मैं छत के ऊपर से अमित के साथ भाग कर टूण्डला भाग आयी, जहाँ पुलिस ने हमें पकड़ लिया। मैंने अपनी मर्जी से अमित से शादी की है और अमित के साथ भाग कर आयी हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ।

**96-** उक्त बयान के विपरीत पीड़िता (सी) ने बयान धारा-164 दं०प्र०सं० में अभियुक्तगण द्वारा पानी पिलाकर बेहोश करके टूण्डला रेलवे स्टेशन ले जाना कहा, जहाँ पुलिस ने मुझे व अमित को पकड़ लिया। इसके विपरीत वादी ने अपने बयान में कहा कि रेलवे स्टेशन पर तीनों मुल्जिमान को जब पुलिस ने पकड़ा था, जबकि विवेचक लाखन सिंह ने

अपने बयान में कहा कि पीड़िता (सी) की उन्होंने बरामदगी घटना के अगले दिन कर ली थी, जबकि अभियुक्तगण अमित, जीतू व रामा देवी की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना पर दिनांक 12-10-2017 को की गयी, जबकि पीड़िता (सी) ने न्यायालय में दिये बयान में कहा कि टूण्डला रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने मुझे व अमित को पकड़ा था, जीतू व रामा देवी मौके से भाग गये थे। पीड़िता (सी) की बरामदगी और अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के संबंध में तथ्य के दोनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है, जो अभियोजन कथानक को समर्थित नहीं करता है।

**97-** पीड़िता (सी) ने कहा कि अमित का फोन आने पर वह अपने घर में सो रही दादी राज कुमारी, पापा सत्यवीर और छोटी बहन अश्वनी को बिना बताए छत से होकर चली गयी थी। अमित ने पीड़िता (सी) से फोन पर कहा कि उसके भाई अवधेश का एकसीडेंट हो गया है। पीड़िता (सी) ने जिरह में कहा कि उसका भाई अवधेश दूसरे शहर में काम करता है। क्या काम करता है और कहाँ रहता है, मुझे नहीं मालूम। पीड़िता (सी) ने अपने भाई अवधेश के एकसीडेंट की खबर सुनकर अपने भाई से फोन करके भी नहीं पूछा और स्वयं अपनी मर्जी से अमित के घर, बिना किसी को साथ लिए चली गयी, जबकि पीड़िता (सी) ने यह स्वीकार किया कि उसका मुल्जिम अमित के घर पर कोई आना जाना नहीं है।

**98-** पीड़िता (सी) ने अपने बयान में स्वीकार किया कि अमित ने जिस नम्बर पर फोन किया था, उसका फोन नम्बर मुझे याद नहीं है, जबकि यह घर में रहने वाला मोबाइल था और पीड़िता (सी) ने स्वयं को कक्षा-5 तक पढ़ना कहा है, तो ऐसी स्थिति में पीड़िता (सी) से अपेक्षा की जा सकती है कि उसे अपने घर का मोबाइल नम्बर अवश्य याद होगा, जिसे उसने बताने से इन्कार किया है। जिस नम्बर से फोन आया था, वह फोन नम्बर अमित का होना कहा है और यह भी माना कि अमित उसके मौहल्ले में रहता है और वह उसे काफी समय से जानती है और उससे, अपनी मर्जी से मन्दिर में शादी कर चुकी है और उससे उसकी बातचीत भी होती थी, तो ऐसी स्थिति में यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है कि पीड़िता (सी) को तथाकथित आरोपी अमित का मोबाइल नम्बर याद न हो। विवेचकों ने भी पीड़िता (सी) के घर पर मौजूद मोबाइल नम्बर और अभियुक्त अमित के मोबाइल नम्बर क्या थे और उनकी लोकेशन क्या थी, कब-कब और कितनी देर वार्ता की गयी, इस बावत संबंधित मोबाइल कम्पनी से, दोनों तथाकथित मोबाइलों की कॉल डिटेल् रिपोर्ट प्राप्त नहीं की और ना ही उसे केस डायरी का अंश बनाया। उपरोक्त तथ्य के संबंध में उक्त दोनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है, जो अभियोजन

कथानक को समर्थित नहीं करता है।

**99-** वादी ने पीड़िता (सी) को कक्षा-3 तक पढ़ना कहा, जबकि पीड़िता (सी) ने स्वयं को कक्षा-5 तक पढ़ना कहा है, परन्तु वादी जितेन्द्र एवं पीड़िता (सी) ने अपनी जन्मतिथि नहीं बताई। पी०डब्लू०-5 विवेचक ने अपने बयान में यह स्वीकार किया कि उसको वादी ने पीड़िता (सी) की शिक्षा के संबंध में कोई प्रपत्र नहीं दिये और पीड़िता (सी) की शिक्षा/आयु/जन्मतिथि के संबंध में कोई विवेचना नहीं की। द्वितीय विवेचक वीरेन्द्र स्वरूप ने स्वीकार किया कि प्रथम विवेचक ने विवेचना लगभग पूर्ण कर ली थी और उन्होंने कोई नवीन कार्य नहीं किया, केवल स्वतंत्र साक्षी अमर चन्द्र व बंशी के बयान लिए, जिन्होंने सुनी हुई बातों के आधार पर बयान दिया है, क्योंकि यह साक्षी घटना स्थल/बरामदगी स्थल पर मौजूद नहीं थे। तहरीर में वादी ने अभियुक्तगण जीतू व रामा देवी का नाम नहीं लिखाया था। पीड़िता (सी) के बयान धारा-164 दं०प्र०सं० के उपरान्त उनका नाम प्रकाश में आया। विवेचना उपरान्त तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। तथ्य के दोनों साक्षियों के बयानों में परस्पर विरोधाभास है, जो अभियोजन कथानक को समर्थित नहीं करता है।

**100-** वादी ने घटना स्थल टूण्डला रेलवे स्टेशन, टिकट घर के पास, विश्राम कक्ष का होना कहा है, जबकि पीड़िता (सी) ने घटना स्थल अपने घर का होना कहा है, परन्तु यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त उसे पानी पिलाकर व कुछ सुंघा कर, बहला फुसला कर अपने साथ उसायनी मन्दिर, फिर टूण्डला रेलवे स्टेशन ले गये, जहाँ पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जबकि पीड़िता (सी) ने जिरह में कहा कि बेहोश होने के बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं रहा। जब मैं टूण्डला रेलवे स्टेशन पर पहुंची, तब मुझे होश आया। होश आने के डेढ़ घण्टे बाद पुलिस ने मुझे बरामद किया। पूर्व में बयान दिया कि मुझे अभियुक्त अमित के साथ बरामद किया।

**101-** पीड़िता (सी) ने कहा कि टूण्डला स्टेशन पर मैं चिल्लाई थी, तब अमित ने मेरा मुंह बन्द कर दिया था। उस समय स्टेशन पर कम लोग थे, परन्तु किसी ने पीड़िता (सी) की सहायता नहीं की, यह असम्भव प्रतीत होता है। पुलिस द्वारा पकड़ने की सूचना घर पर मिली, तब मेरे भैया टूण्डला रेलवे स्टेशन में गये थे, जबकि भाई/वादी जितेन्द्र ने कहा कि वह अपनी बहन/पीड़िता (सी) को मथुरा ले जाने के लिए टूण्डला रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के पास बैठा कर, मथुरा की टिकट लेने गया था, वहाँ से अभियुक्तगण उसे भगा ले गये। साक्षियों के कथनों में विरोधाभास है।

**102-** विवेचक लाखन सिंह ने घटना का नक्शा नजरी प्रदर्शक-6 टूण्डला रेलवे स्टेशन, टिकट घर के पास का होना बताया है, जबकि जिरह में कहा कि मैंने रेलवे स्टेशन, टूण्डला परिसर सीढ़ियों के पास से पीड़िता (सी) को बरामद कर लिया था और पीड़िता (सी) के साथ कोई अभियुक्त नहीं था, जबकि पीड़िता (सी) ने अमित और वादी ने तीनों अभियुक्तों को पीड़िता (सी) के साथ पकड़ा जाना कहा है। वादी के कथनानुसार प्रस्तुत मामले में घटना स्थल टूण्डला रेलवे स्टेशन है, जबकि पीड़िता (सी) के बयान के अनुसार घटना स्थल उसके घर का है, जिसका समर्थन विवेचक ने अपने बयान में किया है। प्रस्तुत मामले में घटना स्थल संदिग्ध है, जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है।

**103-** पीड़िता (सी) ने कहा कि अमित ने उसे पानी पिलाया और कुछ सुंघाया, जिससे वह बेहोश हो गयी। इस तथ्य का समर्थन वादी ने अपने बयान में नहीं किया है। विवेचक ने इस बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की है कि पीड़िता (सी) ने कौन-सा पानी पिया और उसे क्या सुंघाया था, जिससे वह बेहोश हो गयी। विवेचक ने पीड़िता (सी) अथवा अभियुक्त के घर का नक्शा नजरी नहीं बनाया है और उक्त रासायनिक पदार्थ अभियुक्त के कब्जे अथवा घर से बरामद करके उसे परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा। इस बावत अभियुक्त के घर के आसपास किसी का बयान नहीं लिया है, जिसे विवेचक ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है। केवल पीड़िता (सी) के कह देने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि उसे अभियुक्त ने कुछ पिला या सुंघा कर बेहोश कर दिया और फिर उसे बहला फुसला कर टूण्डला रेलवे स्टेशन ले गया। इस तथ्य का अभियोजन के किसी भी साक्षी ने समर्थन नहीं किया है, इस कारण विवेचक द्वारा विवेचना में की गयी त्रुटिपूर्ण विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि अभियोजन कथानक को बल प्राप्त नहीं होता है और वह किसी अन्य साक्ष्य से भी सम्पुष्ट नहीं हो रहा है।

**104-** पीड़िता (सी) ने अपने बयान में कहा कि जब वह अपने घर से गयी तो उसकी दादी राज कुमारी, पिता सत्यवीर व छोटी बहन अश्वनी सो रहे थे, उनको भी बता कर नहीं गयी, जबकि वह घटना के समय घर पर थे। उनको भी परीक्षित नहीं कराया। विवेचक ने भी इस बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की और उन्हें आरोप पत्र में साक्षी नहीं बनाया। इससे अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है।

**105-** विवेचक ने पीड़िता (सी) का बयान धारा-161 दं०प्र०सं० महिला कां० अरुणबाला से लिखवाया, जबकि महिला आरक्षी रूपेश के

साथ विवेचक ने उसको गिरफ्तार किया था और महिला आरक्षी ममता ने आयु की बावत चिकित्सीय परीक्षण कराया था तथा बयान धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराने में 6 दिन का विलम्ब होने का कारण केस डायरी में अंकित नहीं किया है। पीड़िता (सी) एवं वादी ने घटना सुबह 05:00 बजे की होना कहा है, जबकि पी०डब्लू०-5 विवेचक ने विवेचना के दौरान घटना रात्रि 12:00 बजे की होना पाया और प्रथम सूचना रिपोर्ट साढ़े बारह घण्टे विलम्ब से दर्ज होना स्वीकार किया है। विवेचक के इस कथन से सम्पूर्ण कथानक को परिवर्तित कर दिया है। सभी साक्षियों के बयानों में विरोधाभास है, जो अभियोजन कथानक को समर्थित नहीं करता है।

106- साक्षियों के हितबद्ध होने के संबंध में **कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, (2018) 6 एस०सी०सी० 433, मातीराम पाधू बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए०आई०आर० 2018 एस०सी० 3245 तथा गणपति बनाम तमिलनाडु राज्य, ए०आई०आर० 2018 एस०सी० 1835** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि विधि का यह कोई नियम नहीं है कि प्रत्येक मामले में हितबद्ध साक्षी अथवा सगे-संबंधी के बयान पर विश्वास नहीं किया जा सकता, जबकि सभी हितबद्ध साक्षियों के बयानों में परस्पर गम्भीर विरोधाभास हो।

107- माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विधि व्यवस्थाओं में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि- अभियोजन कथानक में अनिश्चितता उत्पन्न करना अभियुक्त का अधिकार है और उस अनिश्चय को संदेह से परे साबित करना अभियोजन का दायित्व है। प्रस्तुत प्रकरण में इस दायित्व को, संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है।

108- अतः अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू एवं श्रीमती रामा देवी, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-363, 366, 354, 328 भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में दोष मुक्त किए जाने योग्य हैं।

### आदेश

अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू एवं श्रीमती रामा देवी को, आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा-363, 366, 354, 328 भा०दं०सं० एवं धारा-7/8 पोक्सो अधिनियम में, दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू एवं श्रीमती रामा देवी जमानत पर हैं, उनके जमानतनामों एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण अमित कुमार, जीतू एवं श्रीमती रामा देवी,  
प्रत्येक धारा-437 A दं०प्र०सं० के अनुपालन में रूपया 20,000/- का  
स्वबन्धपत्र व समान धनराशि की दो-दो प्रतिभू दाखिल करें।

दिनांक: 17-01-2024

(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में  
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 17-01-2024

(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

UPFD010095922019



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो अधिनियम)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद।  
उपस्थित – विजय कुमार आजाद, "एच०जे०एस०"  
पी०एस०टी० सं०-0003010/2019

उत्तर प्रदेश राज्य। ----- अभियोजक।

*बनाम*

मुस्ताक उर्फ छोट्टू पुत्र शरीफ खान, निवासी मौहल्ला सारस्वत मिढाकुर,  
थाना मलपुरा, जिला आगरा। -----अभियुक्त।

मु०अ०सं०-396/2019

धारा-363, 366, 376, 504,

507 भा०दं०सं० एवं

धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम

थाना-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

**:-: निर्णय :-:**

1- थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद द्वारा अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोट्टू के विरुद्ध मु०अ०सं०-396/2019, अन्तर्गत धारा-363, 366, 376, 504, 507 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम, न्यायालय में आरोप-पत्र प्रदर्श क-10 प्रस्तुत करने पर अभियुक्त का विचारण किया गया।

2- प्रस्तुत प्रकरण पीड़िता के बलात्कार होने से सम्बन्धित है, इसलिए धारा-228 ए. भा०दं०सं०, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-33(7), ओम प्रकाश बनाम उ० प्र० राज्य, ए०आई०आर० 2006 एस०सी० 2214, नगेन्द्र कुमार बनाम बिहार राज्य फौजदारी अपील (एस०जे०) संख्या-750/2020, निर्णय दिनांकित 21-01-2021, एस रामकृष्ण बनाम राज्य (2009) 1 एस० सी० सी० 133 व अन्य एवं निपुन सक्सेना बनाम भारत संघ, 2019 (2) एस० सी० सी० 703, सुप्रीम कोर्ट और विटनेश प्रोटेक्शन स्कीम 2018, उपबंध- 2(बी) में माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष

पी०एस०टी० सं०-3010/2019, सरकार बनाम मुस्ताक उर्फ छोट्टू, मु०अ०सं०-396/2019, धारा-363, 366, 376, 504, 507 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो एक्ट, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।

Digitally signed by Vijay Kumar Azad  
Date: 2023.11.27 16:21:47 IST  
Reason: Document Owner  
Location: District and Sessions Court

न्यायालय को पीड़िता का नाम निर्णय में उल्लिखित नहीं करने हेतु निर्देशित किया है। इसलिए इस निर्णय में उसे 'पीड़िता' (एम) नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

3- वादी महबूब ख़ॉन द्वारा प्रभारी निरीक्षक, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद को टाइपशुदा तहरीर प्रदर्शक-1 इन कथनों के साथ दी कि मेरी ससुराल लाइनपार, मस्जिद का नगला, टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में है। मैं अपने बच्चों के साथ मुंबई में रहकर मजदूरी कर उनका पालन पोषण करता था। ससुराल में साली रूबीना हुसैन बहुत शातिर किस्म की महिला है। उसने अपने भाई टीटू से मेरी नाबालिग पुत्री/पीड़िता (एम), उम्र करीब 15 वर्ष को बहला फुसला कर, मुंबई में ईद के बहाने बुलवा लिया। दिनांक 02-09-2019 को मेरी नाबालिग पुत्री ससुराल से कहीं अचानक गायब हो गयी। दिनांक 03-09-2019 को मेरी साली रूबीना हुसैन पुत्र श्री शराफत हुसैन ने फोन कर बताया कि तुम्हारी लड़की को मुस्ताक उर्फ छोटू, निवासी मिढाकुर, आगरा चुपचाप मेरे घर से निकाल ले गया है। अब तुम मुस्ताक के ही साथ अपनी बेटी की शादी कर दो। मैं दिनांक 03-09-2019 को मुंबई से चला और दिनांक 04-09-2019 को आगरा पहुंचा। काफी खोजबीन करने के बावजूद भी अभी तक नाबालिग पुत्री का कोई पता नहीं चला है, लेकिन मेरे मोबाइल नं०-7304399447 पर दिनांक 06-09-2019 शाम को मोबाइल नं०-8218569341 से आमीन नामक व्यक्ति ने कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी मुस्ताक के साथ कर दो। मैंने शादी से मना किया तो मेरे साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। अब मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरी साली रूबीना हुसैन ने आमीन, सद्दाम आदि के साथ मिलकर, अपनी आर्थिक पूर्ति करते हुए एक षड्यंत्र के तहत मेरी नाबालिग पुत्री को गलत हाथों में देकर गायब करा दिया है। अतः मेरी नाबालिग पुत्री/पीड़िता (एम) को बरामद कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4- वादी महबूब ख़ॉन की उक्त तहरीर के आधार पर थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में मुकदमा अपराध संख्या-396/2019 पर अन्तर्गत धारा-363, 366, 504, 507 भा०दं०सं० में अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोटू व चार अन्य रूबीना हुसैन, टीटू, आमीन व सद्दाम के विरुद्ध चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्शक-6 अंकित की गयी, जिसका इन्द्राज जी०डी० मुकदमा कायमी प्रदर्शक-7 में किया गया।

5- विवेचना निहाल सिंह, उप निरीक्षक द्वारा की गयी। विवेचक ने वादी, पीड़िता (एम) एवं घटना से सम्बन्धित सभी गवाहों के बयान अंकित किये। घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया। पीड़िता

(एम) का मेडीकल, एक्सरे व बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० अंकित कराया और सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण रूबीना हुसैन, टीटू, आमीन व सद्दाम की नामजदगी गलत पाते हुए केवल अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोटू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा -363, 366, 376, 504, 507 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम आरोप पत्र प्रदर्श क-10 न्यायालय में प्रेषित किया।

6- अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोटू न्यायालय उपस्थित आया। उसको अभियोजन प्रपत्रों की आवश्यक नकलें प्रदान करके दिनांक 16-12-2019 को उसके विरुद्ध अन्तर्गत धारा-363, 366, 376, 504, 507 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम आरोप विरचित किये। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्षी आहूत किये गये।

7- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	महबूब खाँन (वादी)	टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1 एवं सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क-2
पी०डब्लू०-2	पीड़िता (एम)	बयान धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-3
पी०डब्लू०-3	डा० नसीम अहमद	पीड़िता (एम) की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-4, आयु निर्धारण प्रमाण पत्र प्रदर्श क-5 एवं एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्श-1, 2, 3

8- पी०डब्लू०-1 वादी महबूब खाँन ने कहा कि मेरी ससुराल मस्जिद का नगला, लाइनपार, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद में है। मैं अपने बच्चों के साथ बम्बई में रहता हूँ। ससुराल में मेरी साली रूबीना हुसैन रहती है, जो शातिर किस्म की महिला है। उसने अपने भाई टीटू से मेरी नाबालिग पुत्री/पीड़िता (एम), उम्र करीब 15 वर्ष को बहला फुसला कर मुम्बई में ईद के बहाने बुलवा लिया था। दिनांक 02-09-2019 को मेरी पुत्री/पीड़िता (एम) मेरी ससुराल से ही गायब हो गयी। दिनांक 03-09-2019 को मेरी साली रूबीना हुसैन ने फोन करके बताया कि तुम्हारी लड़की/पीड़िता (एम), मुस्ताक उर्फ छोटू, निवासी मिढाकुर, आगरा

चुपचाप मेरे घर से निकाल कर ले गया है और यह भी कहा कि तुम अपनी बेटी की शादी मुस्ताक के साथ कर दो। दिनांक 03-09-2019 को ही मैं मुम्बई से चलकर दिनांक 04-09-2019 को आगरा पहुंचा। काफी खोजबीन करने के बाद भी मेरी पुत्री का पता नहीं चला। मेरे मोबाइल नं०-7304399447 पर दिनांक 06-09-2019 को शाम को आमीन का फोन आया और उसने कहा कि अपनी बेटी की शादी मुस्ताक के साथ करवा दो। मैंने शादी से मना कर दिया तो वह गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने लगा। मैंने घटना की तहरीर टाइप वाले से टूण्डला में टाइप करायी थी। टाइप करने के बाद उसने मुझे पढ़कर सुनायी थी, तब मैंने तहरीर पर हस्ताक्षर किए थे, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ। साक्षी ने आगे यह भी कहा कि घटना के संबंध में मेरा पुलिस ने बयान लिया था और मेरी पुत्री/पीड़िता (एम) बरामद होने के बाद मुझे सुपुर्द की गयी थी, जिसका सुपुर्दगीनामा लिखा गया था, वह पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरी साली रूबीना हुसैन ने आमीन, सद्दाम से मिलकर, आर्थिक पूर्ति के लिए राय, षडयंत्र के तहत गलत हाथों में देकर मेरी पुत्री को गायब कर दिया था। इस साक्षी ने अपने सशपथ बयान से टाइपशुदा तहरीर प्रदर्श क-1 एवं सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क-2 को साबित किया है।

**9-** पी०डब्लू०-2 पीड़िता (एम) ने कहा है कि घटना दिनांक 09-09-2019 की है। मैं घर से राजस्थान में मुस्ताक के साथ, मुस्ताक के भाई के घर गयी थी। घटना के समय मेरी उम्र करीब 16 वर्ष थी। मैं, मुस्ताक से शादी करना चाहती थी। मेरे साथ मुस्ताक ने गलत काम किया था। मैं, मुस्ताक के साथ रहना चाहती थी और वह भी मुझसे शादी करना चाहता था। घटना के संबंध में पुलिस ने मेरा बयान लिया था। मेरा मजिस्ट्रेट साहब के सामने पुलिस ने बयान कराया था। साक्षी को बयान धारा-164 दं०प्र०सं० खोल कर दिखाया व पढ़कर सुनाया तो गवाह ने कहा कि इस पर मेरा फोटो है और मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं अपने फोटो व हस्ताक्षर की पुष्टि करती हूँ। यह बयान मैंने मजिस्ट्रेट साहब के सामने दिया था। इस गवाह ने अपने सशपथ बयान में अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० प्रदर्श क-3 को साबित किया है।

**10-** पी०डब्लू०-2 पीड़िता (एम) ने अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० में कहा है कि -

*दिनांक 09-09-2019 को मैं घर से राजस्थान में मुस्ताक के भाई के घर चली गयी थी। मैं, मुस्ताक के साथ गयी थी। मुझे मुस्ताक बहला फुसला कर नहीं ले गया था। मेरे साथ मुस्ताक ने गलत काम किया था। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ।*

वह भी मुझसे शादी करना चाहता है। मैं अपने नानी-नाना के पास रहती थी। मेरी मम्मी ने रिपोर्ट कर दिया था, इसलिए मैं राजस्थान से वापस आई थी। मैं, मुस्ताक के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं गर्भवती भी हूँ।

**11-** पी०डब्लू०-3 डा० नसीम अहमद ने कहा है कि दिनांक 11-09-2019 को मैं, जिला हॉस्पिटल में सीनियर रेडियोलॉजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने पीड़िता (एम) पुत्री महबूब खान, निवासी फाउण्ड्री नगर, विनोद बिहार, टेड़ी बगिया, थाना एत्मादौला, जिला आगरा। हाल पता नगला मस्जिद, लाइनपार, थाना टूण्डला, जिला फिरोजाबाद की एक्सरे व अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट तैयार की थी, जिसको सी०एम०ओ०, फिरोजाबाद द्वारा भेजा गया था और महिला होमगार्ड रफतआरा, थाना टूण्डला लेकर आई थी। एक्सरे कोहनी, एक्सरे घुटना, इन दोनों की एपीफाइसिस जुड़ी थीं। एक्सरे कलाई, एक्सरे कूल्हे की हड्डी, एक्सरे हसली की हड्डी, इन तीनों की सपीफाइसिस जुड़ी नहीं थीं। गर्भाशय में 33 सप्ताह का बच्चा था। पीड़िता गर्भवती थी। एक्सरे मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ। साक्षी ने आगे कहा है कि सी०एम०ओ० की अध्यक्षता वाले बोर्ड में, मैं भी सदस्य था। पीड़िता की रिपोर्ट, आयु प्रमाणपत्र पर मेरे लेख में है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। बोर्ड द्वारा पीड़िता (एम) की उम्र लगभग 16 वर्ष निर्धारित की गयी थी। आयु प्रमाणपत्र पत्रावली पर मौजूद है, जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूँ। पत्रावली पर तीन एक्सरे प्लेट संलग्न हैं। साक्षी ने अपने सशपथ बयान से एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्शक -4 व आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्शक -5 एवं एक्सरे प्लेट वस्तु प्रदर्शक-1, 2, 3 को साबित किया है।

**12-** अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।

**13-** अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० दिनांक 18-11-2023 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने वादी की पुत्री के साथ कोई घटना नहीं की है। पीड़िता ने झूठा बयान दिया है। मैंने शादी की कोई बात पीड़िता से नहीं की है। डाक्टर ने आख्या गलत दी है। पीड़िता बालिग थी। मैंने पीड़िता के साथ कोई सैक्स नहीं किया। बच्चा किसी और का हो सकता है। गवाहन ने रंजिशन गवाही दी है तथा मेरे विरुद्ध रंजिशन झूठा मुकदमा किया है। मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं निर्दोष हूँ।

**14-** अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया गया।

15- मैंने, विशेष लोक अभियोजक श्री अजमोद सिंह चौहान तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री शफी अहमद, एडवोकेट की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

16- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना आवश्यक है।

17- धारा-363 भारतीय दण्ड संहिता - व्यपहरण के लिए दण्ड - जो कोई व्यक्ति, विधिपूर्ण संरक्षकता में से किसी व्यक्ति का व्यपहरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

18- धारा-366 भारतीय दण्ड संहिता - विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना या उत्प्रेरित करना - जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा; और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथापरिभाषित आपराधिक अभिन्नास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने के लिए उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।

19- बलात्संग की परिभाषा, दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम 2013 की धारा-9 द्वारा धारा-375 के स्थान पर प्रतिस्थापित की गयी है जो दिनांक 03-02-2013 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी है। नवीन धारा-375 भा०दं०सं० निम्न प्रकार है -

**बलात्संग** - मनुष्य "बलात्संग" करता है, यह कहा जाता है, यदि वह व्यक्ति -

(क) अपने लिंग को, किसी सीमा तक, स्त्री की योनि, मुख, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेशन करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के ऐसे किसी अंग को, जो लिंग नहीं है, स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(ग) स्त्री के शरीर के किसी अंग से इस प्रकार का हस्तसाधन करता है, जिससे कि ऐसी स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी अंग में प्रवेशन कारित किया जाये या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

(घ) अपने मुख को स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है ; या

ऐसा निम्न लिखित सात विवरणों में से किसी के अधीन आने वाली परिस्थितियों के अधीन किया जाता है -

**प्रथम** - उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।

**दूसरा** - उस स्त्री की सम्मति के बिना।

**तीसरा** - उस स्त्री की सम्मति से, जबकि उसकी सम्मति उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गयी है।

**चौथा** - उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है, क्योंकि वह विश्वास करती है कि वह एक ऐसा पुरुष है, जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

**पाँचवाँ** - उस स्त्री की सम्मति से, जबकि ऐसी सम्मति देने के समय वह विकृत चित्त या मत्तता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप में या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञा शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ का सेवन कराये जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देती है, प्रकृति एवं परिणामों को समझने में असमर्थ है।

**छठवाँ** - उस स्त्री की सम्मति से या बिना सम्मति के, जबकि वह अठारह वर्ष से कम आयु की है।

**सातवाँ** - जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

**स्पष्टीकरण 1**-इस धारा के प्रयोजनों के लिये, 'योनि' (Vagina) में बृहद् भगोष्ठ (Labia Majora) भी शामिल हैं।

**स्पष्टीकरण 2**-सम्मति से ऐसा स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों,

भावभंगिमाओं या मौखिक या गैर-मौखिक संसूचना के किसी भी रूप द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कार्य में भागीदारी करने की रजामन्दी संसूचित करती है :

परन्तु यह कि वह स्त्री, जो शारीरिक रूप से लैंगिक प्रवेशन का प्रतिरोध नहीं करती, केवल इसी तथ्य के कारण वह लैंगिक क्रिया-कलाप में सम्मति देने वाली नहीं मानी जाएगी।

**अपवाद 1**-किसी चिकित्सा प्रक्रिया या अन्तःप्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा।

**अपवाद 2**-किसी पुरुष का अपनी ही पत्नी के साथ मैथुन या यौन क्रिया बलात्संग नहीं है, जब पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।

**धारा-376 भा०दं०सं०** बलात्कार के अपराध से संबंधित है। किसी व्यक्ति को तब कहा जाता है कि उसने बलात्कार किया है, जब वह अपना लिंग किसी भी सीमा तक स्त्री की योनि में घुसाता है। उसका लिंग योनि में कितना अन्दर गया है, महत्वहीन है। किसी व्यक्ति द्वारा थोड़ा सा भी लिंग को स्त्री की योनि में प्रवेश कराना, बलात्कार कहा जाता है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि (a) धारा-375 यह कहती है कि किसी पुरुष द्वारा अपने लिंग को किसी सीमा तक स्त्री की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में डालना या घुसाना बलात्कार है, चाहे कोई पुरुष लिंग योनि में डालता है अथवा स्त्री द्वारा ऐसा कराता है, ऐसा करना बलात्कार कहलायेगा। यहाँ तक कि एक स्त्री भी मनुष्य के लिंग को अपनी योनि में डाल सकती है। खण्ड (क) लिंग को योनि में डालने या घुसाने से संबंधित है।

धारा-375 का खण्ड (ख) यह कहता है कि मनुष्य द्वारा लिंग के अतिरिक्त भी किसी वस्तु या शरीर का कोई अंग किसी सीमा तक योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसाना या डालना या स्त्री से डलवाना, जो लिंग नहीं है, बलात्कार कहलाता है। धारा-375 के खण्ड (ग) के अनुसार यदि कोई मनुष्य, महिला के शरीर के किसी भाग को इस प्रकार हस्तसाधन करता है, जिससे कि उसका लिंग स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या स्त्री से ऐसा अपने शरीर या किसी व्यक्ति के शरीर के साथ कराता है।

धारा-375 के खण्ड (घ) के अनुसार यदि कोई पुरुष स्त्री की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना मुंह लगाता/चाटता है तो इसे भी बलात्कार कहा जाता है। यदि कोई पुरुष किसी महिला से ऐसा कार्य कराता है या वह स्वयं करता है या अन्य व्यक्ति से कराता है, तो उसे भी बलात्कार कहते हैं। कोई भी काम जो धारा-375 भा०दं०सं० के खण्ड (क) से खण्ड (घ) के अन्दर आता है, उसे धारा में वर्णित सात प्रकार की परिस्थितियों में होना चाहिए। परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़िता/पीड़ित के चिकित्सीय खर्चा और पुनर्वास को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होना चाहिए। इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने का भुगतान पीड़िता को किया जायेगा।

**20-** **धारा-376 भारतीय दण्ड संहिता - बलात्संग के लिए दण्ड - (1)** जो कोई, उपधारा (2) में उपबन्धित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं होगी (अधिनियम संख्या-22 वर्ष 2018 की धारा-4 द्वारा "सात वर्ष" के स्थान पर "दस वर्ष" दिनांक 21-04-2018 से किया गया है), किन्तु जो **आजीवन कारावास तक** की हो सकेगी **और जुर्माने** से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई -

(क) पुलिस अधिकारी होते हुये -

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है, बलात्संग करेगा, या

(ii) किसी भी थाने के परिसर में बलात्संग करेगा, या

(iii) ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ

पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ लोक सेवक की अभिरक्षा में स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(ग) सशस्त्र बल का सदस्य होते हुए, जो केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र में परिनियुक्त है, ऐसे क्षेत्र में बलात्संग करेगा, या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या विधि के अधीन स्थापित किसी कारागार, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का अथवा स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था का प्रबन्धन वर्ग या कर्मचारीवृन्द होते हुए, ऐसे कारागार, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्थान के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबन्धन वर्ग या कर्मचारीवृन्द होते हुए, उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(च) स्त्री का संबंधी, संरक्षक या अध्यापक या उसके प्रति विश्वास या प्राधिकार की स्थिति में रहते हुए ऐसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

(छ) साम्प्रदायिक या अलगाववाद हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा, या

(ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है, बलात्संग करेगा,

(झ) 2[ \* \* \* ]

(ञ) उस स्त्री से बलात्संग करेगा, जो सम्मति देने में असमर्थ है,

(ट) किसी स्त्री के नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में रहते हुए, ऐसी स्त्री से बलात्संग करेगा, या

- (ठ) मानसिक या शारीरिक निर्योग्यता से पीड़ित स्त्री से बलात्संग करेगा, या  
 (ड) बलात्संग करते समय स्त्री को घोर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्वेषित करेगा या जीवन को संकटापन्न करेगा, या  
 (ढ) उसी स्त्री से बार-बार बलात्संग करेगा,

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि उस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका तात्पर्य उस व्यक्ति के नैसर्गिक जीवन के शेष के लिए कारावास से होगा, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा।

**स्पष्टीकरण** - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) 'सशस्त्र बल' से नौसेना, सैना एवं वायुसैना अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अर्द्धसैनिक बलों एवं किसी सहायक बलों को, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन हैं, शामिल करके तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य शामिल है।

(ख) 'अस्पताल' से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत ऐसी किसी संस्था का अहाता है, जो आरोग्य स्थापन के दौरान व्यक्तियों को चिकित्सीय ध्यान या पुनर्वास की अपेक्षा करने वाले व्यक्तियों को ग्रहण करने और उनका उपचार करने के लिए है।

(ग) 'पुलिस अधिकारी' का वही अर्थ होगा, जैसा कि पुलिस अधिनियम, 1861 (1861 का 5) के अधीन पद 'पुलिस' को समनुदेशित है।

(घ) 'स्त्रियों या बालकों की संस्था' से स्त्रियों या बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित या अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसका नाम अनाथालय या उपेक्षित स्त्रियों या बालकों के लिए गृह या विधवाओं का गृह या किसी अन्य नाम से पुकारे जाने वाली संस्था।

1[(3) जो कोई सोलह वर्ष की कम आयु की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डित होगा :

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़ित की चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। ]

**21-** धारा-504 भारतीय दण्ड संहिता - लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान - जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

**22-** धारा-507 भारतीय दण्ड संहिता - अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभिन्नास - जो कोई अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का, जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभिन्नास का अपराध करेगा, वह पूर्ववर्ती अन्तिम धारा द्वारा उस अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड के अतिरिक्त, दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

**23-** धारा-3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 - प्रवेशन लैंगिक हमला - कोई व्यक्ति, "प्रवेशन लैंगिक हमला" करता है यदि वह -

(क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(ग) बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करता है जिससे कि वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या

(घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर मुँह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।

**24-** धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 - प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए दण्ड -

(1) जो कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला कारित करेगा वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नहीं (दिनांक 16-08-2019 से पूर्व सजा सात वर्ष अधिनियम क्रमांक-25, सन 2019 धारा-3(क) पोक्सो एक्ट सात वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष प्रतिस्थापित) होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

(2) - जो कोई सोलह वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित जुर्माना न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और उसका संदाय, ऐसे पीड़ित के चिकित्सा व्ययों और पुनर्वास की पूर्ति के लिए ऐसे पीड़ित को किया जाएगा।

### -: निष्कर्ष :-

25- अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोटू के विरुद्ध लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं?

26- प्रस्तुत मामले में अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोटू की भूमिका व संलिप्तता का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना है। प्रस्तुत प्रकरण मौखिक साक्ष्य पर आधारित है। अतः अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य का मूल्यांकन, बचाव पक्ष के साक्ष्य/तर्कों के दृष्टिगत करना है।

27- वादी महबूब ख़ॉन ने अपनी पुत्री/पीड़िता (एम), उम्र करीब 15 वर्ष, को दिनांक 02-09-2019 को अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोटू व चार अन्य द्वारा उससे विवाह अथवा अयुक्त संभोग हेतु विवश करने के लिए बहला फुसला कर भगा ले जाने, गाली गलौज करने एवं अनाम संसूचना देने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अन्तर्गत धारा-363, 366, 504, 507 भा०दं०सं० में दिनांक 08-09-2019 को थाना टूण्डला में अंकित करायी। विवेचक ने विवेचना के उपरान्त बयान वादी, बयान पीड़िता, बयान अन्य गवाहन एवं डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर, अन्य अभियुक्तगण की नामजदगी गलत पाते हुए, केवल अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोटू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-363, 366, 376, 504, 507 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया।

28- पी०डब्लू०-1 वादी महबूब ख़ॉन ने अपनी मुख्य परीक्षा में यद्यपि तहरीर प्रदर्श क-1 एवं सुपुर्दगीनामा प्रदर्श क-2 को साबित किया है, लेकिन जिरह में साक्षी ने कहा है कि घटना से यार साल पहले मैं व मेरी बेटी/पीड़िता (एम) मय परिवार के बम्बई में रहते थे, तब पीड़िता (एम) की उम्र 15 वर्ष थी। मेरी सास ने ईद पर पुत्री/पीड़िता (एम) को बुलाया था, तब पीड़िता (एम) की उम्र 18-19 साल हो गई थी। मैं बम्बई में ही रह गया था। मैंने पीड़िता (एम) को भगा कर ले जाते हुए किसी को नहीं देखा, क्योंकि मैं उस समय बम्बई में था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पढ़ भी नहीं पाता हूँ, केवल हस्ताक्षर करना सीख गया हूँ। थाने पर एक सिपाही ने टाइप कराकर एक कागज मुझे दे दिया था और मेरे उस

कागज पर हस्ताक्षर करा लिए थे। वह कागज मुझे पढ़कर नहीं सुनाया गया था। उस कागज में सिपाही ने क्या टाइप कराया था, मुझे जानकारी नहीं है।

29- साक्षी जिरह में आगे कहा है कि मुझे अपनी शादी की दिनांक याद नहीं है, न अपने किसी बच्चे की जन्मतिथि याद है। मैं थाने में तहरीर देकर सीधे अपने घर चला गया था और वहाँ से बम्बई चला गया था। फिर कहा कि बम्बई जाने से पहले मैं कुछ दिन घर पर रूका था। जब तक मैं घर पर रूका था, उस दौरान कोई पुलिस वाला घर नहीं आया था। मेरे मुस्ताक पर दस हजार रूपये के लेन-देन का विवाद था, उसी के सुलझाने के लिए मैं थाने गया था। यह कहना गलत है कि मैंने न्यायालय में सिखाने पढ़ाने पर बयान दिया हो।

30- पी०डब्लू०-2 पीड़िता (एम) ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अपने बयान अन्तर्गत धारा-164 दं०प्र०सं० को साबित किया है, परन्तु जिरह में कहा है कि घटना की तारीख, महीना, वर्ष एवं मेरी जन्मतिथि मुझे याद नहीं है। मेरे माँ, बाप ने आधार कार्ड में मेरी जन्मतिथि कम अंकित करा दी थी। मैंने अपने मम्मी-पापा और दरोगा जी के कहने पर मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दिया था कि मैं अपनी मर्जी से मुस्ताक के साथ गई थी। मुस्ताक मुझे बहला फुसला कर नहीं ले गया था। मेरे साथ मुस्ताक ने गलत काम किया था, जबकि सच में मुस्ताक ने मेरे साथ गलत काम नहीं किया था। मैं अपने मम्मी-पापा के साथ बम्बई में रहती थी तथा मेरे घर पर मेरे पापा के कई मिलने वाले पुरुष आया करते थे, जो मेरे साथ बदतमीजी और गन्दी हरकतें करते थे तथा मेरे पापा उन्हीं में से किसी के साथ जबरिया मेरी शादी करना चाहते थे, जिस वजह से मैं अपनी जान बचाकर अपनी मर्जी से, वहाँ से भाग आयी थी। मेरे मम्मी-पापा ने यह मुकदमा कब और क्यों लिखाया, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने अपने मम्मी-पापा को मुस्ताक का नाम नहीं बताया था और मेरे पापा ने मुस्ताक के खिलाफ रिपोर्ट मुझसे बिना पूछे लिखा दी थी। मैंने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। यदि दरोगा जी ने मेरे बयान में यह लिखा है कि मैं, मुस्ताक के साथ गई और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाये। मैं मुम्बई में थी, जब से मुस्ताक को जानती हूँ। मेरे पेट में जो बच्चा है, वह मुस्ताक है, लिखा है, तो मैं इसकी वजह नहीं बता सकती। मैंने दरोगा जी को यह बयान नहीं दिया था। मेरी दूसरी जगह शादी मेरे पापा ने बिना मेरी मर्जी के कर दी है। यह कहना गलत है कि मैं, मुस्ताक को बचाने के उद्देश्य से सही बात ना बता रही हूँ।

31- पी०डब्लू०-3 डा० नसीम अहमद ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पीड़िता (एम) की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श क-4 एवं पीड़िता का

आयु निर्धारण प्रमाणपत्र प्रदर्शक-5, को साबित किया है। यह साक्षी, मात्र औपचारिक साक्षी है।

32- अभियोजन ने घटना के समर्थन में तथ्य के दो साक्षी पी०डब्लू-1 वादी महबूब ख़ॉन एवं पी०डब्लू-2 पीड़िता (एम) को परीक्षित कराया है, जिनके सम्पूर्ण साक्ष्य से अभियोजन कथानक को कोई बल नहीं मिलता है। यहाँ तक कि प्रस्तुत मामले की पीड़िता एवं आहत साक्षी पीड़िता (एम) ने तो अपनी जिरह में अभियुक्त मुस्ताक के द्वारा उसके साथ कोई भी घटना घटित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया है और कहा है कि इससे पूर्व उसने जो भी बयान दिये वह अपने माता-पिता व पुलिस के दबाव व उनके कहने के अनुसार दिये थे। इस प्रकार तथ्य के दोनों साक्षियों के सशपथ बयान से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध के आरोप साबित नहीं होते हैं। पी०डब्लू०-3 डा० नसीम अहमद औपचारिक साक्षी हैं, जिन्होंने मात्र पीड़िता (एम) की एक्सरे रिपोर्ट एवं आयु निर्धारण प्रमाणपत्र को साबित किया है। शेष अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। औपचारिक साक्ष्य से अभियोजन प्रपत्रों को साबित करा देने मात्र से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध के आरोपों को साबित नहीं माना जा सकता है।

33- पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोटू के विरुद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा-363, 366, 376, 504, 507 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम को संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोटू, उपरोक्त आरोपों में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

### आदेश

अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोटू को आरोप अन्तर्गत धारा - 363, 366, 376, 504, 507 भा०दं०सं० व धारा-3/4 पोक्सो अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनान को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त मुस्ताक उर्फ छोटू धारा-437 A दं०प्र०सं० के अनुपालन में रूपया 20,000/- का स्वबन्धपत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल करें।

दिनांक: 22-11-2023

(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: 22-11-2023

(विजय कुमार आजाद)  
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट)/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
फिरोजाबाद।